खण्ड-160, अंक-5
शुक्रवार, 4 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(25 नवम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 160 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त,श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विवनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोबिंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेनवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

पोलियोटेक्निक इन्स्टीट्यूट, नैनीताल पर व्यय

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल में पोलियोटेक्निक इन्स्टीट्यूट खोला जा रहा है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा अब तक हुआ है और कितना वार्षिक होगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां, अब तक ५८,०५३ रु० व्यय हुआ है। सन् १९५५-५६ के लिये वार्षिक अनुमानित व्यय १,९३,४५५ रु० है।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने व्यक्तियों को प्रारम्भ में इस संस्था में भर्ती किया जावेगा और उसमें कितने हरिजन होंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कुल ७५ व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे जिनमें ७० प्रतिशत हरिजन होंगे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस संस्था के ऊपर यह वार्षिक खर्च क्यों पड़ रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह संस्था तो अभी खुल ही रही है लिहाजा इसमें नान-रिकरिंग एक्सपेंडीचर तो जरूरी ही ज्यादा होगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह ५८ हजार, ५३ रुपया जो व्यय किया गया वह कब से कब तक व्यय हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह खर्च ५-६ मास में हुआ है क्योंकि तमाम इक्विपमेंट और मशीन वगैरह मंगाना पड़ा है।

*३—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४—श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—[१४ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५–७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[१४ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ४७–४९ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*८–१०—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१४ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ५०–५२ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*११—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया ।]

*१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में हरिजन प्राइमरी पाठशालाएं तथा वाचनालय

*१३—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने हरिजन प्राइमरी पाठशाला हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—११ ।

*१४—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने हरिजन वाचनालय कहां–कहां चल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—गाजीपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों में हरिजन वाचनालय चल रहे हैं :—

१—सदियाबाद
२—सलारपुर
३—बैजनाथ का चौक ।

श्री यमुनासिंह—क्या मंत्री जी बताने की का कष्ट करेंगे कि इन हरिजन पाठशालाओं में इस समय कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने ट्रेन्ड हैं और कितने अनट्रेन्ड हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री यमुनासिंह—क्या यह सत्य है कि इन हरिजन स्कूलों में जो अध्यापक कार्य करते हैं उनको ट्रेन्ड अध्यापकों का ग्रेड नहीं दिया जाता ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने पहले ही कहा है कि इसकी सूचना चाहिये ।

गाजीपुर तहसील की राजकीय प्रारम्भिक पाठशाला

*१५—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तहसील में कितनी राजकीय प्रारंभिक पाठशालायें हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—केवल एक ।

श्री यमुनासिंह—वह पाठशाला किस स्थान पर है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह लड़कियों का एक जूनियर हाई स्कूल है । स्थान के लिये सूचना चाहिये ।

हरिजन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देने के लिये जिला बोर्डों को सहायता

*१६—श्री अमृतनाथ मिश्र (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड की पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन बालकों के लिये सरकार द्वारा बिना मूल्य वितरण करने वाली पुस्तकें इस वर्ष कितनी खरीदी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार जिला बोर्डों को उनकी पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों में वितरण करने के लिये कोई पुस्तकें नहीं खरीदती । जिला बोर्ड स्वयं खरीद कर छात्रों में पुस्तकें बांटते हैं और इसके लिये सरकार उनको अनुदान देती है ।

ग्राम सेवक तथा सेविकाओं का वेतन

*१७—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलेज लेविल वर्क्स (ग्राम सेवक) तथा महिला ग्राम-सेविका को प्रतिमास वह कितना वेतन व महंगाई देती है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो ग्राम सेविकाएं काम करती हैं उनका वेतन-क्रम ३५-१॥-४५-२-६५ रु० है । उनको महंगाई २० रु० प्रति मास की दर से मिलती है। नियोजन विभाग के अन्तर्गत जो ग्राम सेवक तथा महिला ग्राम सेविका काम करती हैं उनका वेतन-क्रम, ५-५-१२० रु० है। उनको १० रु० प्रति मास की दर से यात्रिक भत्ता (traveling allowance) मिलता है। महंगाई की दर १०० रु० तक पाने वालों के लिये २५ रु० और १०० रु० से अधिक पाने वालों के लिये ३० रु० है ।

*१८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[१४ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट परीक्षा में महिलाओं के लिये पूरी फीस

*१९—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडियट परीक्षा के लिये छात्राओं को आधी फीस देने की सुविधा, जो इस वर्ष हटा ली गयी है, उन्हें कब से दी जा रही थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९३१ से ।

*२०—श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार यह बतायेगी कि उपर्युक्त सुविधा हटा लेने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अन्य बोर्डों में यह सुविधा नहीं दी जाती, इसलिये इस सुविधा की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि अब तक जो सहायता दी गयी, क्या वह गलत काम किया गया और अगर नहीं, तो आगे भी वह क्यों न जारी रखी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह सहायता प्रोत्साहन के लिये दी जाती थी और अब उसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

महिलाओं की शिक्षा-उन्नति के लिये सुविधायें

*२१—श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि वह महिलाओं की शिक्षा उन्नति के लिये क्या-क्या विशेष सुविधायें व साधन प्रदान कर रही है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सीताराम शुक्ल--यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह कहना मुश्किल है कि कब तक एकत्र हो जायगी, क्योंकि जितनी सूचना मांगी गयी है उसमें समय लगना स्वाभाविक है ।

*२२-२३--**श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले में पिछड़ी जातियों के कृषि-विकास-हेतु अनुदान

*२४--**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सच है कि जिला मिर्जापुर में पिछड़ी जातियों के कृषि-विकास-हेतु ५,००० (पांच हजार) रुपया का अनुदान इस वर्ष दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

*२५--**श्री रामकृष्ण जैसवार**--क्या यह ठीक है कि अभी तक उक्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । इसका कारण यह है कि इस अनुदान के वितरण की निर्धारावली बन रही है । तथापि इस बीच में इस अनुदान के प्रयोग-हेतु आज्ञा जारी की जा रही है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कुआं उस वक्त तक तैयार नहीं हुआ तो क्या मार्च के बाद यह रुपया लैप्स नहीं होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस रुपये के लैप्स करने का सवाल नहीं है इसलिये कि इसी साल वह वहां भेजा गया था । यह कुआं जल्दी ही बन जायगा । मैं समझता हूं कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा । यह तो निश्चय है ही कि यह लैप्स नहीं होगा ।

जालौन जिले में हरिजनों को घरेलू धंधों के लिये हरिजन कल्याण विभाग से सहायता

*२६--**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् ५२ से अब तक प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता हरिजनों को घरेलू उद्योग-धंधों के लिये दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जिला जालौन के हरिजनों को सन् ५२ से औद्योगिक कारोबार को प्रारम्भ करने के लिये प्रति वर्ष निम्नलिखित धनराशि वितरित की गई :—

	प्रदेशीय सरकार द्वारा	भारत सरकार द्वारा
१९५२-५३ ..	..	..
१९५३-५४ ..	..	२५०
१९५४-५५ ..	..	९५० ५००

श्री बसन्तलाल--क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ढाई सौ रुपये ५३-५४ को मिले हैं एक ही व्यक्ति को वह मिला है और किस उद्योग के लिये मिला है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना चाहिए ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या जिस कार्य के लिये इतना धन दिया गया है, वह सुचारुरूप से चल रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आयी कि वह कार्य नहीं चल रहा है ।

श्री बसन्तलाल--सन् ५४-५५ में जो रुपया भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार से हरिजनों को इस कार्य के लिये मिला है वह किनको मिला है और किन उद्योगों के लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसके लिये भी सूचना चाहिये ।

*२७-२८--**श्री बसन्तलाल**--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३०--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३२--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

जूनियर हाई स्कूलों में निःशुल्क विद्यार्थियों का प्रतिशत

*३३--**श्री शिवपूजन राय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों की फीस मुआफ होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ११५ तथा ११६ के अनुसार समस्त सहायता प्राप्त और राजकीय शिक्षा संस्थाओं में (जिनमें जूनियर हाई स्कूल भी सम्मिलित हैं) १० प्रतिशत छात्रों को पूर्ण शुल्क और १५ प्रतिशत छात्रों को अर्द्ध शुल्क की छूट दी जाती है ।

जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में यह प्रतिशत 'स्वयं' परिषदों द्वारा ही जिला शिक्षा परिषद् नियम ८५ के अन्तर्गत निश्चित किया जाता है ।

*३४-३६--**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)--[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

कोली जाति के सम्बन्ध में पूछताछ

*३७--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोली जाति पिछड़ी हुई जाति में रहने पर भी उसके साथ परिगणित जातियों की भांति ही व्यवहार किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हुई जातियों के वर्गीकरण सूची के अनुसार कोली नाम की कोई भी जाति नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोरी जाति पिछड़ी हुई जाति में है या परिगणित जाति में है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यहां कोली जाति के बारे में पूछा गया था मैंने यह बतलाया कि कोली नाम की कोई जाति नहीं है । कोरी जो हैं वह मेरे ख्याल से शिड्यूल कास्ट में हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि गवर्नमेंट के जी० ओ० के अनुसार कोरियों के लिये पूर्वीय जिलों में सुविधा अलग हैं और पश्चिमी जिलों में अलग हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पूर्वी जिलों में कोली नहीं होते और न कोरी होते हैं। कोयरी होते हैं जो पिछड़ी हुई जाति में सम्मिलित हैं शिड्यूल कास्ट में नहीं हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कोरी जाति को वह सुविधा दी जाती है जो शिड्यूल कास्ट को दी जाती है।

श्री हरगोविन्द सिंह---मेरे ख्याल में कोरी शिड्यूल कास्ट में हैं इसलिये उनको वही सुविधा दी जाती होंगी। अगर वे शिड्यूल कास्ट में नहीं हैं तो बैकवर्ड क्लास में होंगे तो उनको वही सुविधा दी जाती होंगी।

श्री जोरावर वर्मा---अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोरी शिड्यूल्ड कास्ट में हैं तो क्या यह सही है कि वह शिड्यूड कास्ट में नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मैं खुद इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि वह शिड्यूल कास्ट में हैं या बैकवर्ड में हैं, लेकिन वह इन दोनों में से एक में जरूर हैं।

*३८-३९---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०-४२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले की हरिजन सहायक उपसमिति में विधायकों की सदस्यता के लिये मांग

*४३---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--- क्या सरकार को पता है कि मैनपुरी जिले में जो हरिजन सहायक उप-समिति है, उसमें पिछड़ी हुई जाति के एम० एल० ए० मेम्बर नहीं हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में हरिजन सहायक समिति में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों, उनको छात्रवृत्ति और पिछड़ी हुई जनता को पैसे से सहायता देने के प्रश्न पर विचार हुआ करता है?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, हरिजन सब-कमेटी से सब कुछ होता है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलायेगी कि मैनपुरी में विधान सभा के सदस्यों को इस समिति का मेम्बर बनाने के प्रश्न पर विचार सरकार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसके मेम्बर्स बनाया करते हैं और इसमें असेम्बली के मेम्बरान और विशेष कर शिड्यूल कास्ट के जो मेम्बर होते हैं वह जरूर उसमें रहते हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---बैकवर्ड क्लास के एम० एल० एज० को ऐसी उपसमिति में न रखने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्द सिंह---कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वह न रखे जायं, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां हैं और बहुत से ऐसे जिले भी हैं जहां नहीं भी हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिन जिलों में ऐसी उपसमितियों में बैकवर्ड क्लासेज के एम० एल० एज० नहीं है वहां उनको लेने की नसीहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह सिर्फ इसलिये है कि शायद वह कमेटी बहुत बढ़ जाय इस बात की आशंका है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार इस बात के लिये आदेश देगी कि हरिजन सदस्यों की भांति बैकवर्ड क्लासेज के सदस्य भी उसमें हुआ करें ?

श्री अध्यक्ष---सवाल पूछा जा चुका है और उसका जवाब भी मिल चुका है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह सत्य है कि इस विधान सभा के बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि एम० एल० एज० ने मंत्री जी के समक्ष यह बात रक्खी थी कि बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि उस समिति के सदस्य होने चाहिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, यह बात कही थी और जैसा उत्तर दिया यह कोई बात नहीं है कि न रक्खे जायं। बहुत सी जगहों पर रक्खे भी गये हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से यह कर दिया जाय कि सब असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरान भी उसके सदस्य होंगे तो संभव है वह कमेटी काफी बड़ी हो जाय।

*४४--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)---[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५--**श्री रामकृष्ण जैसवार**---[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६--४७--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)---[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रामपुर जिले में राजकीय जूनियर विद्यालय शाहाबाद को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने का विचार

*४८--**श्री कृष्णशरण आर्य**-क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के राजकीय जूनियर विद्यालय, शाहाबाद को उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बनाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक सरकार का यह विचार कार्यान्वित होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, इस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या यह सत्य है कि यह प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में रक्खा गया है इसलिये अगले वर्ष बजट में यह आ जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उस पर विचार हो रहा है। अगर पहले ही वर्ष में उसको लेना होगा तो पहले वर्ष में कर दिया जायगा।

*४९-५०---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१---५३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[१६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रदेश में आदिवासियों को सुविधायें

*५४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार प्रश्न संख्या ४५ दिनांक ९-९-५५ के सम्बन्ध में बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार जिलेवार एक सूची मेज रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की कुल संख्या ९८०३६ है। इनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

*५५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इन आदिवासियों में से किन-किन को Scheduled Caste व Scheduled Tribes की भांति संरक्षण व सुविधायें दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इन आदिवासियों में से निम्नलिखित जातियों को ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं—

बनमानुष, गौंड, कौल, खरवार, चेरो, अगारिया, घासिया, महार, अवैजा, ढंगर, धरीकर, भूयाण, वादी, पथारी, पनीका, खराहो, कोरा, कारवा, मजाही तथा बनरावत।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ये सुविधायें इन आदिवासियों को कब से दी जा रही हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ये तो काफी दिनों से दी जा रही हैं। जब से शेड्यूल्ड कास्ट को दी जाती हैं तब से इनको दी जा रही हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि इन जातियों की जो गणना की गयी है वह सन् ५२ से की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, मुमकिन है ५१-५२ से हुई हो।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको भी पिछड़ी जाति, शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह से सुविधायें दी जाती हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो सुविधायें हैं वे सभी को दी जाती हैं।

श्री झारखडे राय—क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के हेतु जिलेवार जो आदिवासियों की सूची है उसे पढ़ कर सुना देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—रायबरेली, महाराजगंज- ३५, बांदा- १०,६५०, प्रतापगढ़ - २,०००, मिर्जापुर (राबर्ट्सगंज तथा दूधी) - ८२,०८२, अल्मोड़ा-२५०, बहराइच-३,०३१ तथा बलिया - १८।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि कुछ दिन पहले माननीय जगपति सिंह सवाल के जवाब में जो आदिवासियों के बारे में था बांदा जिले के उन्होंने यह कहा था कि उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है और न उनका आदिवासियों की लिस्ट में कोई नाम ही है तो वह जवाब सत्य है या जो आज कहा कि दी जाती है यह सत्य है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिन जातियों का नाम लिया गया है उन सबको शायद न दी जाती हों लेकिन जिनका नाम इसमें दिया हुआ है उन सब को दी जाती हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को याद है कि कुछ दिनों पहले यहां एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आजमगढ़ जिले में मुसहर जाति भी कुछ संख्या में रहती है, तो क्या कारण है कि आजमगढ़ में उन मुसहरों का नाम छूट गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मुसहर जाति ऐसी है जो किसी जिले में स्थायी रूप से नहीं रहती। मुमकिन है कि हट गयी हो।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जातियां प्रदेश में रहती थीं या कहीं से आयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मेरा ख्याल है कि बहुत पहले से रहती हैं यह जातियां। लेकिन आयी भी हो सकती हैं सब बाहर से आयी हैं। ऐसी बात नहीं है। यह जातियां बहुत दिनों से हैं भी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में स्थायी रूप से बहुत से मुसहर रहते हैं, उनको इस सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, रहती तो हैं। लेकिन सूची में उनका नाम तो है नहीं। मुमकिन है कि छूट गया हो।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि दो साल पहले उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते हैं ? वह उनका उत्तर सही था या जो आज दिया गया है वह सही है ?

श्री अध्यक्ष---अनुसूचित जाति।

श्री जोरावर वर्मा---आदिवासी अनुसूचित जाति हीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आदिवासी जहां तक मेरा ख्याल है अनुसूचित जाति में अब भी नहीं होते।

*५६-५८---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

नायक क्षत्रिय सुधार सभा, कुमायूं का आवेदनपत्र

*५९---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास नायक क्षत्रिय सुधार सभा, कुमायूं का कोई आवेदन-पत्र नायक समाज के भविष्य एवं सम्बन्धित सुधार के बारे में आया है ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

उक्त आवेदन-पत्र दिनांक, ३० मार्च, १९५५ में उल्लिखित मुख्य बातें निम्नलिखित हैं---

१---नायक परिवारों को जीवन निर्वाह के लिये नैनीताल जिले की तराई में भूमि दी जाय।

२---नायक जाति के बच्चों की शिक्षा के वास्ते १०,००० रु० वार्षिक नायक क्षत्रिय सुधार सभा, कुमायूं के सुपुर्द कर दिया जाय।

३---नायक बच्चों को सरकारी संरक्षण द्वारा औद्योगिक शिक्षणालयों में प्रवेश किया जाय।

४--रेस्क्यू आफिसर का पद समाप्त कर दिया जाय और नायक लड़कियों का रेस्क्यू कार्य कुमाऊं के एस० पी० को दे दिया जाय ।

५--नायक सुधार के कार्य को तीव्र गति देने के निमित्त सभा को ६,००० रु० वार्षिक सहायता दी जाय ।

यह सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी अपनी डिस्क्रेशनरी ग्रांट में से नायक जाति के सुधार के लिए वैतनिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति के लिए कुछ ग्रांट देंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस तरह का कोई सुझाव आयेगा तो विचार करेंगे ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या माननीय मंत्री महोदय के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिनसे पता लगे कि कुमायूं में नायक जाति की संख्या कितनी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नायक जाति के सुधार के लिए जो इस सदन ने नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट बनाया था उसके अनुसार बनायी गयी ऐडवाइजरी कमेटी कार्य नहीं कर रही है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में वह क्या कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । इस तरह का कानून बना है । उसके सिलसिले में ऐडवाइजरी कमेटी का इस समय क्या स्थान है, मुझे नहीं मालूम । परन्तु मैं इसके बारे में मालूम करके आपको बतला सकता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस नायक क्षत्रिय सुधार सभा के जो कार्यकर्त्ता हैं उनसे बातचीत करने के लिए विशेष अवसर निकाल कर इन मांगों पर शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । हमने उनके प्रतिनिधि को बुला रखा है ।

बनारस जिले में भदोही बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों के अध्यापकों का नवीन वेतनक्रम के लिये आवेदन-पत्र

*६०--**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि भदोही तहसील, जिला बनारस के राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल सब-बोर्ड भदोही में १-८-५५ से मिला दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

*६१--**श्री बेचनराम गुप्त**--क्या यह सही है कि इन स्कूलों के अध्यापकों को सरकार ने सेवा कार्य से मुक्त कर दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

श्री बचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि सब-बोर्ड भदोही इन अध्यापकों को अपने ग्रेड का न्यूनतम वेतन देना चाहता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । ऐसी सूचना मिली तो है ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि सरकार इन अध्यापकों को जो वेतन दे रही थी सब-बोर्ड भदोही को सिपुर्द करने के पहले, उसके हिसाब से जोड़ कर के अनुदान दे रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । अनुदान वही दिया जा रहा है ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह बात सही है कि अध्यापकों ने सरकार के यहां दरख्वास्त दी है कि उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वह ग्रेड जोड़ कर मिलना चाहिए जितने दिनों तक वह सरकार की सेवा कर चुके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, उन्होंने दरख्वास्त शायद दी है, मुझे यह ख्याल नहीं है कि यह उसमें है या नहीं, लेकिन वह यह कहते हैं कि हमारा सेवा काल जो विलीन काशी राज्य में था वह इसमें जोड़ दिया जाय और उस पर जो हमको वेतन मिलना चाहिए वह मिले।

श्री राजनारायण--क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या कारण हैं जिनकी वजह से यह राजकीय पाठशालायें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दी गई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां। वह कारण यह है कि एक ही जिले में कुछ प्राइमरी पाठशालायें तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर रहें और कुछ राजकीय रहें, यह असंगत बात है, इसलिए जिससे कि उनका प्रबन्ध ठीक रहे, वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दे दी गई ?

श्री राजनारायण--क्या जो अध्यापकों की तनख्वाहों का अन्तर हो रहा है इसके बारे में सरकार बतायेगी कि यह कब तक खत्म किया जा सकता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई तनख्वाहों में अन्तर नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि और भी राजकीय जूनियर हाई स्कूल हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा नहीं संचालित हो रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं। जितनी राजकीय प्राइमरी पाठशालायें खुली थीं वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को हस्तांतरित कर दी गई।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन मास्टरों की दरख्वास्तों पर क्या करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसमें स्थिति यह है कि जब काशी राज्य विलीन हुआ था तो उसमें मास्टरों की तीन श्रेणियां थीं एक तो विलीन होने के पहले जो परमानेंट थे, और दूसरे जो परमानेंट नहीं थे। तीसरे वह थे जो विलीनीकरण के बाद एप्वाइंट हुए थे उन स्कूलों में। तो जो परमानेंट थे वह तो परमानेंट हैं और मर्जर की शर्तों के लिहाज से उनके लिए तो सरकार के लिए यह बाध्य था कि उनको वही तनख्वाह दी जाय। दूसरे लोगों के लिए यह था कि या तो उनको कंपेंसेशन और ग्रेच्युइटी दे दीजिए, तो उनको कम्पेंसेन और ग्रेच्युटी दे दी गई और या अगर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नौकरी करना चाहते हों तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने स्केल में उनको फिर से नौकर रख सकता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था राजकीय जूनियर हाई स्कूल के संबंध में, तो क्या बनारस के अन्तर्गत ऐसे राजकीय जूनियर हाई स्कूल अब भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये अब भी संचालित नहीं हो रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसे जूनियर हाई स्कूल राज्य सरकार के तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई होगा भी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही संचालित होता होगा।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक मुक्त कर दिये गये हैं सेवाओं से, तो क्या उनमें कोई ट्रेन्ड अध्यापक भी थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुमकिन है अनट्रेन्ड भी रहें हों।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि मास्टरों की पेंशन, ग्रेच्युटी और वेतन के विषय में सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली है उसका यह मतलब कभी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब की नियुक्ति न्यूनतम वेतन पर ही करे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इन तीन श्रेणियों में पहली श्रेणी के जो परमानेंट लोग थे तो वह उसी वेतन पर रखे जायंगे, लेकिन दूसरे जिनको मजदूर की शर्तों के लिहाज से ग्रेच्युटी और कम्पेंसेशन दे दिया गया है अगर फिर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नौकरी करना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अधिकार है कि वह न्यूनतम वेतन से उनको शुरू करे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब सरकार पूरा अनुदान देती है और उसी के आधार पर पहले वह तनख्वाहें देते थे, तो अब उसमें अन्तर क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिखेगी कि उसी रेश्यू से तनख्वाह दे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की उसमें कुछ दिक्कत समझ में आती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने टीचरों को कई ग्रेड नहीं दे सकता। वह अपने कुल टीचरों को एक ही ग्रेड देगा और अगर वह टीचर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी करेंगे तो उनको वही ग्रेड लाजमी होगा जो सब को देता है। और चूंकि उस ग्रेड को देने में उसको इन्कार हो सकता है, इसलिए यदि हम अनुदान देते हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं कि अगर टीचर्स रखिये तो यही तनख्वाह दीजिये।

प्रादेशिक त्रिदल सम्मेलन, नैनीताल का, श्रमिकों के वेतन, बोनस संबंधी निर्णय

*६२---**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ ई० में नैनीताल में प्रान्तीय सरकार के निमंत्रण पर कोई प्रादेशिक त्रिदल सम्मेलन (मालिक-मजदूर-सरकार) हुआ था ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

*६३---**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**---क्या यह सच है कि इस त्रिदल सम्मेलन में श्रमिकों के वेतन और बोनस की उस रकम को श्रम हितकारी कार्यों में ही खर्च करने का निर्णय किया गया था, जोकि श्रमिकों को नहीं दी गयी या नहीं दी जा सकती ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, सम्मेलन ने इस विषय पर कानून बनाने का अनुमोदन किया था।

*६४---**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस उपर्युक्त निर्णय के अनुसार यह रकम खर्च की जा रही है ? अगर हां, तो किस सन् से ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस सम्बन्ध में एक विधेयक का आलेख्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धन अब तक किस कार्य में खर्च कर रहे हैं मिल मालिकान ?

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक मुझे मालूम है बिना कानून के कोई इस तरह का धन इकट्ठा नहीं किया गया है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह विधेयक कब तक इस सदन में पास हो जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--बहुत जल्द।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगें कि धन जो वतन और बोनस का है वह कुल कितना है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसके बारे में मुझे सूचना चाहिये । मैं बाद में बतला सकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सन् १९५२ के इस त्रिदल सम्मेलन के निर्णयों को अभी अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, उनके ऊपर विचार किया गया है ।

राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस की वेधशाला को नैनीताल में स्थापित करने का आयोजन

*६५---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य में एक पर्यवीक्षणालय (observatory) खोलने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, परन्तु राज्य सरकार के कुछ वर्ष पूर्व राज्य में एक वेधशाला (observatory) खोलने का निश्चय किया । यह वेधशाला इस समय राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस के भवन में अवस्थित है और गत वर्षों में इसके लिए कुछ सज्जा सामग्री पुस्तकें इत्यादि खरीदी गईं । इस वेधशाला के स्थानान्तरण और उचित विकास के लिये द्वितीय-पंचवर्षीय योजना में आयोजन किया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वेधशाला का स्थानान्तरण कहां हो रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए कितना रुपया रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह नैनीताल जा रही है और कितना रुपया रखा गया है यह थोड़ी देर में देख कर बतला सकता हूं, लेकिन एक लाख के ऊपर है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि अगले वर्ष किसी नक्षत्र की गति विधि का निरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार कोई विशेष योजना बना रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, उसके लिये उनको २० हजार रुपये दिये गये हैं कि वे यह प्रबन्ध कर लें कि उसका निरीक्षण कर सकें ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि आगरा में एक सेंट्रल आब्जर्वेटरी थी और उसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहां अब तक मौजूद है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सम्भव है ऐसा हो, मुझे तो मालूम नहीं था ।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में और स्थानों पर भी कोई वेधशालायें हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस टाइप की तो कोई और नहीं है जैसी यहां बनाई जा रही है । पुराने टाइप की वेधशालायें तो हैं ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वेधशाला का कोई सम्बन्ध आबहवा से भी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पानी से हो, या न हो लेकिन हवा से तो जरूर मालूम होता है क्योंकि हवा अगर साफ रही तभी वह दिखालायी पड़ेगा। जैसे पहले सारनाथ में इसे रखने की योजना थी लेकिन इसी कारण से उसे वहां से हटाने की आवश्यकता हुई कि विशेषज्ञों ने यह बतलाया कि वहां रेल की लाइन नजदीक है जिसकी वजह से इंजिन का धुआं भी आ सकता है और हवा में ऐसा वाइबरेशन भी हो सकता है जिससे निरीक्षण ठीक तरह से नहीं हो सकता है। इसीलिये उसको बदल कर नैनीताल में बनाया गया।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बनारस में भी राजा सवाई मानसिंह के जमाने की बनी हुई कोई वेधशाला है? यदि हां, तो क्या सरकार उसके जीर्णोद्धार के लिये विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, एक है तो जरूर, मान मंदिर के नाम से।

ज्योलीकोट में स्वर्गीय जे० पी० श्रीवास्तव स्मारक निर्माणार्थ समिति की नियुक्ति।

*६६--**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि ज्योलिकोट नामक स्थान में स्वर्गीय जे० पी० श्रीवास्तव की स्मृति हेतु कोई सम्पत्ति राज्य सरकार के श्रम विभाग को समर्पित की गई है? अगर हां, तो राज्य सरकार उस सम्पत्ति का क्या उपयोग करने वाली है?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। राज्य सरकार का विचार इस स्थान पर एक श्रम विश्राम तथा स्वास्थ्य लाभ गृह (Labour Rest and Convalescent Home) खोलने का है किन्तु इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये और योजना बनाने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त कर दी है। अन्तिम निर्णय कमेटी की सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं और यह कब बनी थी?

आचार्य जुगलकिशोर---इस कमेटी के सात सदस्य हैं, लेबर कमिश्नर, श्री जे० के० श्रीवास्तव, श्री पावेल, श्री नारंग, श्री राजाराम शास्त्री, श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी और श्री काशीनाथ पांडेय। जो पिछली मीटिंग नैनीताल में हुई थी उसमें इसका निरीक्षण हुआ था।

आचार्य एवं हिन्दी साहित्यरत्न अध्यापकों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड न मिलना

*६७--**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)--क्या शिक्षा मंत्री संस्कृत के उन आचार्य एवंहिन्दी साहित्यरत्न व्यक्तियों को ग्रेजुएट ग्रेड दिलाने एवं देने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जोराजकीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--जहां तक राजकीय विद्यालयों का संबंध है आचार्य एवं हिन्दी साहित्य रत्न व्यक्तियों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड दिया जा रहा है। परन्तु यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो उक्त योग्यता के साथ रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग की योग्यता भी रखते हैं।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी आचार्य योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त ग्रेड बहुत पहले से दिया जा रहा है। परन्तु साहित्यरत्न योग्यता वाले व्यक्तियों को अभी नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जब साहित्य रत्न और आचार्य ये दोंनो साहित्यिक विशेष योग्यतायें हैं तो फिर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उनके पारिश्रमिक में अन्तर क्यों है?

श्री हरगोविन्द सिंह---जहां तक राष्ट्रीय पाठशालाओं का सम्बन्ध हैं कोई अन्तर नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में दोनों योग्यता प्राप्त व्यक्तियों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अन्तर मिटाने की चेष्टा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि साहित्यरत्न लोगों की गणना एम० ए० पास शुदा लोगों में की जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जैसा मैंने उत्तर दिया जहां तक राजकीय पाठशालाओं का संबंध है जिनकी उपयुक्त योग्यता है उनको ट्रेन्ड ग्रेजुयेटस का ग्रेड दिया जाता है, सिर्फ मान्यता प्राप्त विद्यालयों का सवाल है, उसके लिये मैंने कहा कि वह प्रश्न विचाराधीन है ।

जिला नियोजन कमेटी, अलीगढ़ द्वारा हरिजनों के लिये कुओं का निर्माण

*६८---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि जिला नियोजन कमेटी अलीगढ़ ने सन् १९५४--५५ में कितने कुऐं हरिजनों को पानी पीने के लिये बनवाये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--३७ ।

*६९---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार बतायेगी कि इन कुओं में से ऐसे कितने कुयें हैं जो अभी तक नहीं बनाये गये हैं लेकिन उनका कुल रुपया उठा लिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसा कोई कुआं नहीं है ।

*७०---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो हरिजन नगर पालिका, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में बसते हैं उनको पानी पीने के कुओं की सहायता देने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसे हरिजनों को पानी पीने की सुविधा देने के लिये संबंधित नगरपालिका टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया ही उत्तरदायी है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि लोकल बाडीज हरिजनों को पीने के पानी की सुविधा के लिये कोई सहायता नहीं देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जैसा मैंने कहा कि यह तो उत्तरदायित्व उनका है। वह सहायता देते होंगे या नहीं या कुऐं बना दिये होंगे या नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी लोकल बाडीज को इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि वह हरिजनों को पीने के पानी की सुविधा के लिये हरिजनों को कुऐं बनाने में सहायता दें ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मेरा ख्याल है कि लोकल बाडीज प्रबन्धकरती होंगी कि हरिजनों की बस्ती में पानी की सुविधा मिल सके। यदि ऐसा हो और कहीं की सूचना मिले तो मैं उसको देखूंगा ।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया कमेटी की दशा कमजोर होने के करण वह हरिजनों को कुयें बनाने में सहायता नहीं दे रही है ।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैंने अर्ज किया कि मुझे सूचना नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा होता हो और हरिजनों को पानी की दिक्कत हो तो उसमें सरकार द्वारा जो संभव होगा जरूर किया जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतानेकी कृपा करेंगे कि कितने रुपये की ग्रांट की गई थी ग्रौर कितने कुएँ बनाने का ग्रायोजन था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने बतलाया कि ३७ कुएँ थे ग्रौर सभी बन गये ।

परिगणित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*७१--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेंगी कि ग्रप्रैल, १९५३ से मार्च, १९५४ तक प्रांत में कितनी छात्रवृत्ति परिगणित जाति को दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कुल २३,६९० छात्रवृत्तियां परिगणित जाति के विद्यार्थियों को दी गई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रवृत्ति में कितना रुपया व्यय हुग्रा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो बतलाया कि २३,६९० रुपया खर्च हुग्रा । कुल टोटल १४,६७,०६२ रुपया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति किस माध्यम से बांटी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हर एक श्रेणी का ग्रलग-ग्रलग तरीका है । डिग्री क्लासेज को यहां से दी जाती है ग्रौर जिलों में छात्रवृत्ति हरिजन कमेटी द्वारा दी जाती है या प्लानिंग की सब कमेटी द्वारा दी जाती है तो हर हर श्रेणी का ग्रलग-ग्रलग तरीका है ।

फीस की मुग्राफी के लिये सिविल तथा हैवेट इंजीनियरिंग कालेजों के हरिजन विद्यार्थियों का प्रार्थना-पत्र

*७२--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेक्निकल शिक्षण संस्थाग्रों में भी ग्रन्य शिक्षण संस्थाग्रों की भांति हरिजन छात्रों व प्रशिक्षार्थियों को फीस माफ रहती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--फीस माफ रहती है ।

*७३--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या इस संबंध में सरकार को सिविल इंजीनियरिंग ग्रौर हैविट इंजीनियरिंग स्कूलों के हरिजन छात्रों द्वारा कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुग्रा है ? यदि हां, तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । संबंधित ग्रधिकारियों से सूचना मांगी गई है ।

*७४--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार की संस्थाग्रों के लिये कोई ग्रादेश केंद्रीय सरकार से भी ग्राया है कि हरिजन छात्रों की फीस माफ हो ग्रौर उस कमी को केंद्रीय सरकार पूरा करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, परन्तु प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जा सकती ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो जवाब दिया गया है वह केवल शिक्षण संस्थाग्रों के बारे में है या टेक्निकल संस्थाग्रों के बारे में भी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न तो टेक्निकल संस्थाग्रों के बारे में था ग्रौर उन्हीं का यह जवाब है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रार्थना-पत्र उनको कब मिला ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह प्रश्न ७३, दिनांक २१-१०-५५ को स्थगित हो गया था तो उस समय से आज तक उनको इस बारे में पूरी जानकारी न हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—चूंकि इसका संबंध दूसरे डिपार्टमेंट्स से भी है और बहुत से टेक्निकल स्कूल्स हैं जो सारे प्रांत में फैले हुये हैं, इसलिये सूचना मिलने में देर हो रही है।

श्री जोरावर वर्मा—प्रश्न ७४ के उत्तर में लिखा हुआ है कि प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की जा सकती। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका कारण यह है कि जो करस्पांडेंस स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया में होती है वह सब कांफीडेंशल समझी जाती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार का यह आदेश उनको कब प्राप्त हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जुलाई, सन् १९५५ में।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश पत्र उन संस्थाओं को भी भेजा गया है ? यदि हां, तो इसके अनुसार उन संस्थाओं ने यह फीस माफ क्यों नहीं की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, इसमें यह लिखा हुआ है कि संस्थाओं को भी भेजा गया है लेकिन उनको मिला या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सिविल इंजीनियरिंग और हैविट इंजीनियरिंग स्कूल के छात्रों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें यह लिखा गया है कि उनकी फीस माफ नहीं की जाती है और भरती होने के पहले ही उनसे ६०० रुपया कालेज का और २५० रुपया होस्टल का ले लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर दिया जा चुका है कि जहां तक फीस माफी का सवाल है वह तो माफ रहेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि गत वर्ष इन छात्रों की फीस माफ नहीं रही है और अभी भी यह माफ नहीं की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने बताया कि यह आदेश जुलाई, १९५५ में प्राप्त हुआ है लिहाजा गत वर्ष का प्रश्न तो शायद उठता नहीं।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ—इन स्कूलों के क्षात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, क्या वह पोलिटिकल सफरर्स को भी दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसे तो पोलिटिकल सफरर्स को जनरल एजूकेशन में ही छात्र-वृत्ति दी जाती है, लेकिन कभी कभी इसमें भी दी जाती है।

अतारांकित प्रश्न

१-२—**श्री रामसहाय शर्मा** (जिला झांसी)—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

३—**श्री यमुनासिंह**—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

लालडिग्गी व मलानी बांध जांच समिति के प्रतिवेदन पर विवादार्थ प्रार्थना

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लालडिग्गी और मलानी बांध की जांच के लिये जो जांच कमेटी नियुक्त की गयी थी क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को मिली या नहीं ? क्या हमको उसके बारे में मौका मिलेगा कि बहस कर सकें ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न आप बाकायदा कर सकते हैं। उसके लिये मैं नया प्रश्न नहीं पैदा करने दूंगा।

ठक का समय बढ़ाने की मांग

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--- (जिला गोंडा)--जनाबवाला, ४ रोज तो गुजर गये हैं इस रिपोर्ट पर बहस होते हुये और अभी बोलने वाले काफी हैं।

कुछ सदस्य--आज ४ दिन नहीं गुजरे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--आज चौथा दिन है। अगर घंटा २ घंटा बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--मुझे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आफ्टरनून में इस पर विचार कर लिया जाय। कुछ लोग रह गये होंगे तो समय बढ़ाने का उस समय प्रस्ताव कर देंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--इस वक्त अगर पूछ लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--आप तजवीज तो कर ही नहीं रहे हैं। आप तो १ या २ घंटा कह रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--मैं सिर्फ इतना प्रस्ताव करता हूं कि समय ७ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, ६ बजे तक बढ़ा दिया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ७ बजे तक में मुझे एक निजी दिक्कत है कि कल लड़की यूनीवर्सिटी का कन्वोकेशन है और उसमें मुझे ऐड्रेस देना है और ट्रेन ७ बजे के लगभग ही जाती है। अगर ७ बजे तक बढ़ाया गया तो अन्त में जो कुछ मुझे कहना है शायद मैं न कह सकूंगा। मैंने सुना है कि कुछ और माननीय सदस्य हैं जिनको ट्रेन भी ६-३० या उसी के लगभग जाती है और वे भी जाना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वे तो बीच में बोल सकते हैं। लेकिन आपको तो आखिर में बोलना है इसलिये आपका तो ख्याल रखना होगा। मैं समझता हूं कि ६ बजे तक समय ठीक रहेगा।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५२-४५६ पर)

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (समाप्त)

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुन्दर पांडेय, आप अपना भाषण जारी रखेंगे। ८ मिनट बाकी है, ७ मिनट आप कल ले चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह, नेता विरोधी दल और माननीय शास्त्री जी पर यह आरोप लगाया गया था सदन में कुछ और माननीय सदस्यों पर भी कि वे पूरब और पश्चिम की बात करते हैं। मैं इस आक्षेप का खंडन करना चाहता हूं। यह प्रश्न माननीय शिवस्वरूपसिंह और कतिपय सदस्यों ने उठाया है। हम तो साफ साफ कहना चाहतें हैं कि पूरब और पश्चिम का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। अगर इस प्रश्न को उठाया ही जाता है तो आप, श्रीमन्, पूर्वी जिलों की दशा को देखें और पश्चिमी जिलों की दशा को देखें। श्री शिवस्वरूपसिंह जी ने कहा कि मेरा भी क्षेत्र ऐसा है जहां आने-जाने का कोई साधन नहीं है और वहां के लोग गरीबी में समय बिताते हैं। अगर यह मान लिया जाय कि प्रदेश का बंटवारा हो तो क्या इससे वहां के गरीब लोगों की समस्याएं हल हो जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि "नहर रेट वृद्धि रोको" आन्दोलन चला था और हजारों आदमी जेलखाने गये और नतीजा यह हुआ कि किसानों को कुछ राहत मिली। यह आन्दोलन हमारी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चलाया गया था। लेकिन शिवस्वरूप सिंह जी ने एक शब्द भी यहां नहर रेट के संबंध में नहीं कहा। दूसरे लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। माननीय दीनदयालु जी शास्त्री ने कहा था कि बटवारा होने से हमारी आमदनी बढ़ेगी और बजट से जो रुपया बचेगा उसे हम बढ़े हुये प्रदेश की गरीबी दूर करने में सहायता कर सकते हैं। मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि अभी तक किसने हमारी गरीबी का खयाल किया है ? माननीय पणिक्कर साहब ने खुद अपनी असहमति टिप्पणी में लिखा है कि यह इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन पिछड़ा हुआ है, यहां पढ़े-लिखे लोग कम हैं। ९६ करोड़ का इस प्रदेश का बजट है। उसमें हम सामाजिक कल्याण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि जब बटवारा हो जायगा तो उसके बाद सिद्धांत विहीनों की सरकार छोटे राज्य का कल्याण कर सकेगी ? मोहनलाल जी ने कहा कि जिस जिले का मिनिस्टर होता है वहां तो कुछ कार्य हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि कितने जिले हैं और कितने मिनिस्टर बनेंगे, और कितने जिलों में काम हो सकेगा ? टैक्स किस पर लगेगा ? टैक्स लगेगा उस पर जो शोषित, भूखा और नंगा है। टैक्स ही से तो रुपया आता है जिससे कल्याण का कार्य हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि देश का बटवारा करने के लिये हमारी जनता पर, जिसकी कमर पहले ही से टूटी हुई है, टैक्स का भार लादा जाय। मैं कहता हूं कि मिनिस्टर बढ़ाने के लिये और अफसरों की संख्या बढ़ाने के लिये प्रदेश का बटवारा नहीं होना चाहिये। प्रदेश के बटवारे के पहिले क्या यह सदन स्वीकार करेगा कि ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले अपनी कमी करें। इस प्रदेश के जो सरकारी हाकिम हैं उनकी तनख्वाह ५०० से कम हो सकती है। जब हमारे हाथ में हुकूमत नहीं आई थी तो एक कमेटी ने निर्णय किया था कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी नहीं लेंगे। क्या यह सरकार जनता की सुविधा के लिये आज कोई ऐसा कार्य कर रही है ? क्या राष्ट्रीयकरण की योजना सरकार कार्यान्वित करेगी ? क्या सरकार उन लोगों को खेत देगी और सीमा निर्धारित करेगी कि जिनके पास भूमि नहीं है ? कहा जाता है कि हमारी आबादी बढ़ी है, उसे रोकना चाहते हैं। रूस और जर्मनी में तो वहां की सरकार आबादी बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करती है। सरकार को लोगों को रोटी देने की व्यवस्था करनी चाहिये। यह सरकार का निकम्मापन है कि वह साधन नहीं दे सकती है। हमारे पास अब आजादी है, हमारे पास पैसा है और हमारे पास श्रम है। आप भूमि और पूंजी का वितरण कीजिये, और जिस दिन भूमि और पूंजी का बंटवारा होगा, भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, और जिनके पास रोटी नहीं है उनको रोटी मिलेगी उसके बाद रामचन्द्र जी विकल और श्रीचन्द्र जी और ख्वाजा साहब और जयपाल सिंह जी यदि

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

नारा लगावें कि प्रदेश का बटवारा हो तो उसमें कोई बात नहीं होगी। मैं तो चाहता हूं कि जिले का भी बटवारा हो और गांव-गांव में गांव की सरकार होनी चाहिये। एक सरकार और दो सरकारों की बात ही क्या है। महात्मा गांधी ने देश में किसानों और गरीबों के राज्य की बात कही थी। वह राज्य आज कहां है? वह रूपरेखा आज हमारे सामने नहीं है। वह कौन दिन होगा जबकि करोड़ों और लाखों आदमी बिना रोजी के नहीं रहेंगे? मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप राज्य को समाजवादी राज्य बनाने की कोशिश कीजिये और बटवारे का नाम मत लीजिये। हम सबका अभ्युदय चाहते हैं। "बसुधैव कुटुम्बकम्, नत्वं कामये राज्यं" आदि का नारा चरितार्थ करना चाहते हैं।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास) (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, एस० आर० सी० रिपोर्ट इस वर्ष की सब से महत्वपूर्ण घटना है और आज हमारे सामने अपने देश के नक्शे को फिर से बनाने का प्रश्न उपस्थित है। इस पर विचार करने के लिए एक विशाल दृष्टि और इस दुर्भाग्य या सौभाग्य में भी एक विचलित न होने वाली बुद्धि की जरूरत है और ऐसी समस्या को हम मजहबी कट्टरपन और जहादी जोश से नहीं सुलझा सकते। माननीय शास्त्री जी, गौतम जी और अपने कुछ दोस्तों से यद्यपि मैं इत्तफाक नहीं करता लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अपना यह पक्ष सदन के सामने रखा उसकी मैं कद्र करता हूं। लेकिन मालूम होता है कि श्रीचन्द्र जी और विकल जी के लिए तो यह एक आर्टिकिल आफ फेथ हो गया है, और कल माननीय विकल जी के भाषण में माननीय प्रधान मंत्री जी, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी, माननीय सम्पूर्णानन्द जी, हाफिज जी और माननीय विचित्र नारायण शर्मा पर हमले तथा कमीशन की इंडिपेन्डेन्स पर जो आक्षेप किये गये वह यथार्थ में सदन के सम्मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। मैं यह समझ सकता हूं ईमानदारी से इस प्रश्न पर दो मत हो सकते हैं और उस पर गम्भीरता से विचार भी किया जा सकता है और मैं यह भी समझ सकता हूं कि यदि श्रीचन्द्र जी और विकल जी एक नये प्रदेश के जनक बनने की अभिलाषा इतिहास में रखते हैं तो मुझे उनके इस स्वप्न पर कोई आपत्ति नहीं है। इसमें शक नहीं कि माननीय विकल जी को और दूसरे दोस्तों को अंग्रेजी समय के जमाने में अपना जौहर दिखलाने और अपने साहस को कसौटी पर रखने का अवसर नहीं मिला। यदि वे अपने साहस की परीक्षा विभाजन के आन्दोलन से करके करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह व्यक्तिगत बात है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत···

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं तो यह कह रहा था कि उनको यह हक है, लेकिन जब वह इस सदन के माननीय सदस्यों पर कायरता, कमजोर और बुजदिली का आरोप करते हैं तो यह चीज सदन की मर्यादा के लिए शोभनीय नहीं होती और यहां की प्रतिष्ठा के विरुद्ध मालूम होती है। यह सवाल बड़ा गम्भीर था क्योंकि हम सौ साल से अधिक एक जगह पर रह रहे हैं। इस प्रान्त में पश्चिमी जिलों की जनता यदि पिछड़ी हुई थी और यदि नेतृत्व की तरफ से न्याय नहीं हो रहा था तो प्रेम का बन्धन जो उत्तरदायित्व से पैदा होता है उसके अनुसार क्या उनका फर्ज नहीं था कि वह पार्टी मीटिंग में पहले इस प्रश्न को रखते, अपने नेता के सामने रखते और उनसे कहते कि आपके नेतृत्व में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और हमारा हित इस प्रदेश के साथ रहने में नहीं है और इस वजह से हम को इजाजत दी जाय कि हम अपना

रास्ता अख्तियार करें। क्या कभी पार्टी में इस प्रश्न पर विचार किया गया? क्यों इस तरह से चुपके-चुपके दस्तखत कराये गये। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रश्न पर गम्भीरता से पार्टी मीटिंग में विचार किया गया होता...

श्री अध्यक्ष—यहां पर पार्टी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—अध्यक्ष महोदय, वह क्या कह रहे हैं? (शोर)

श्री अध्यक्ष—मैं उनको स्वयं रोक रहा हूं, आप बैठ जायं।

श्री बनारसीदास—चुप रहो।

श्री अध्यक्ष—आप शान्त रहिए, दो काली चीज मिल कर एक गोरी चीज पैदा नहीं हो सकती।

श्री बनारसीदास—मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों का जोश मजहबी जनून तक पहुंच चुका है और इसीलिए वह लोग बेचैन हो रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर इस तरह से व्यक्तिगत दस्तखत चुपके-चुपके न कराये गये होते तो काफी लोग, जो भाई आज किसी वजह से विभाजन के पक्ष में हैं वह विभाजन के पक्ष में नहीं रह सकते थे। मैं यह तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह विचार उनके दिमाग में नहीं आया लेकिन मालूम होता है कि उनको अपने पर विश्वास नहीं था, यदि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया गया होता तो यह तर्क की कसौटी पर नहीं उतर सकता था। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं तो विचार करना होगा कि विभाजन का आधार क्या है? विभाजन के पक्ष में पणिक्कर जी के नोट को पेश किया गया है। तो पणिक्कर जी के नोट को और मुख्य रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि पणिक्कर जी के नोट और मुख्य रिपोर्ट में असंगतियां हैं। सम्बन्धित रिपोर्ट के अन्दर पणिक्कर महोदय उन सभी बातों से सहमत हैं जिनको कमीशन के अन्य दो सदस्यों ने कहा है। उन्होंने स्वयं माना है कि हिस्टारिकल ग्राउन्ड्स किसी भी प्रदेश के विभाजन का कारण नहीं हो सकते। उन्होंने स्वयं ६५ पेज पर लिखा है कि—

"The facts of the existing situation are much more important than the fact that in previous times the area concerned had a different administrative attachment."

तो श्रीमन्, यह पणिक्कर जी का भी मत है, लेकिन वह अपने नोट आफ डिसेंट में हिस्टारिकल बैकग्राउंड लिखते हैं। इसी प्रकार वह कहते हैं कि यह सूबा बहुत बड़ा है लेकिन जनरल रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने स्वयं पैरा २१८ के अन्दर कहा—

"In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit."

तो पणिक्कर जी मानते हैं कि हिस्टारिकल आधार पर ही या साइज आफ यूनिट के आधार पर ही स्टेट नहीं होती। तो फिर कौन-सा आधार है? अगर उनके रिपोर्ट के पैरा १९ पर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है—

"If on this occasion when the whole problem of the State's structure in relation to the Centre is being seriously considered we omit to rectify what I consider to be the major and basic weakness of the Indian Constitution—the extraordinary disparity between one unit and the rest—then in my opinion we will only be strengthening the forces of disunity by making it practically impossible to tackle this problem at any later stage."

तो पणिक्कर जी के दिमाग में तो केवल एक चीज घुसी हुई थी कि एक यूनिट बड़ा है और दूसरा यूनिट बड़ा है। उनको यह परेशान कर रहा था इस प्रान्त के विभाजन को सजेस्ट करने के लिये। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा लार्ज साइज, और

[श्री बनारसीदास]

हिस्टारिकल बैकग्राउंड ही इस प्रान्त में यूनिटी की यह दलील बाद में उन्होंने अपने पक्ष का समर्थन करने के लिये पेश की है। वे फेडरल उसूल की यहां पर बात पेश करते हैं और ख्वाजा साहब जो फेडरल कांस्टीट्यूशन के पंडित हैं मैं नहीं समझ पाता कि उन्होंने इस बात को गौर से पढ़ा होगा। पणिक्कर जी स्वयं कहते हैं कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया के कांस्टीट्यूशन में सीनेट के अन्दर स्टेट्स की पेरिटी है लेकिन सीनेट में पेरिटी होने से क्या कांस्टीट्यूशन का करेक्टर चेंज हो जाता है? अगर कौंसिल आफ स्टेट्स में यू० पी० को ट्रावनकोर-कोचीन के बराबर सीटें दे दी जायं तो क्या हाउस आफ पीपुल का प्रतिनिधित्व बदल जायगा? हाउस आफ पीपुल में मनी बिल्स पेश होते हैं, विधान बदला जा सकता है। अगर कौंसिल आफ स्टेट्स में पैरिटी कर दी जाय तो क्या फेडरल करेक्टर हो जायगा? और फिर अगर आप गौर से देखें तो अमेरिकन कांस्टीट्यूशन की वर्किंग इस बात को साबित करती है कि जैसे-जैसे पेरिटी वहां विकसित हुई है कहीं पर भी रीजनल बेसिस पर वोटिंग नहीं होती। वोटिंग होती है पार्टी बेसिस पर। इसलिये अमेरिका के अन्दर वहां स्टेट्स की बात चलती है लेकिन वोटिंग वहां पार्टी के आधार पर होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर क्या वोटिंग जिले के आधार पर होती है? पार्टी व्हिप के अनुसार वोटिंग होती है, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार होती है। अगर डिमोक्रेसी को कामयाब होना है तो फिर लोक सभा में वोटिंग कांग्रेस, पी० एस० पी०, जनसंघ और दूसरी पार्टियों के बीच में होगी न कि रीजनल बेसिस पर, न कि प्रोविंशियल बेसिस पर होगी। तो इसलिये यह कहना कि इससे डिसरप्शन फैलेगा या यू० पी० डामिनेट करेगा यह मैं कहता हूं कि फेडरल प्रिंसिपुल्स के अगेंस्ट है।

फिर आप गौर करें कि सन् १९५१ में हमारे देश में सेंसस रिपोर्ट लिखी गई। उस वक्त कमीशन नियुक्त नहीं हुआ था। सेंसस सुपरिंटेंडेंट ने इस देश को ६ डिवीजन्स में विभाजित किया था। उनमें से यू० पी० एक था। एक पंजाब आदि दूसरे सूबे का था। एक पूर्वी डिवीजन था, एक दक्षिणी-पश्चिमी डिवीजन था, एक पूर्वी-दक्षिणी डिवीजन था, और दक्षिण का डिवीजन था। तो क्या सेंसस सुपरिंटेंडेंट ने यू० पी० का डिवीजन माना? रेलवे ने भी ६ जोन्स बनाये। इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई बाधा नहीं पड़ती। लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पंजाब के लाला लाजपतराय और लोकमान्य तिलक ने बंगविच्छेद का विरोध किया और अंग्रेजी साम्राज्य को झुकना पड़ा। मैं पूछता हूं अगर देश में पाकिस्तान न बनता, यदि बंगाल का विभाजन न होता तो क्या कभी यह प्रश्न उपस्थित होता कि बंगाल का विभाजन किया जाय या पंजाब का विभाजन किया जाय? अगर एक गांव के एक परिवार के लोग आपस में लड़ते हैं और जुदा हो जाते हैं तो क्या यह दलील ठीक है कि चूंकि हम लोग अलग-अलग हो गये हैं और तुम्हारा परिवार बड़ा है इसलिये तुम्हें गांव से अलग होना पड़ेगा। हमने द्रविणों और तेलगुओं से कब कहा कि मद्रास से अलग हो जाओ? हम कब कहते हैं गुजराती और महाराष्ट्रियन से कि तुम अलग हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि एक जगह रहें। हमने कभी यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया। चूंकि एक जगह वे रह नहीं सकते इसलिये यह कहना कि यू० पी० डामिनेट करता है यह तर्क के खिलाफ है। यह भी मान लें कि यू० पी० का डिवीजन हो जाय तो कल को यह दलील पेश की जायगी कि यह तो हिन्दी का साम्राज्य है। हिन्दी स्पीकिंग पापुलेशन १८ करोड़ है। तो अगर मेरे दोस्त यह चाहते हैं कि इंडिया की यूनिटी कायम रहे तो यू० पी० की भाषा हिन्दी न होकर बंगला या तेलगू हो। महाकोशल की भाषा मराठी हो और उन्हें यह कहना चाहिये कि राजस्थान की भाषा कुछ और हो। इस तरह से हमारे इस देश का निर्माण किया जाय कि भाषाओं की पैरिटी हो जाय। तो श्रीमन्, यह तो असंभव है। और जब हिन्दी भाषा रहेगी तो

लोग यह दलील देंगे कि यह हिन्दी का साम्राज्य है और लोग वास्तव में ऐसा कहते भी हैं। इसलिये इस सूबे के विभाजन का कोई कारण नहीं है।

साम्प्रदायिकता, रीजनलिज्म तथा प्रान्तीयता यह इंडियन यूनिटी के लिये खतरा है। इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि यू० पी० का विभाजन करके देश की पैरिटी के लिये बैलेंस कायम करने की बात कहते हैं वे प्राविन्शियलिज्म तथा रीजनलिज्म को राष्ट्रीयता पर एक दर्जा और तरजीह देना चाहते हैं। इंडियन यूनियन कायम रहेगा विशाल हृदय से। आज धेवर कांग्रेस प्रेसीडेंट हैं इसलिये नहीं कि सौराष्ट्र में पैदा हुए बल्कि इसलिये कि हम सब लोगों की श्रद्धा उनके अन्दर है। तो नेतृत्व का चुनाव होगा गुणों के आधार पर। इसलिये आज यह कहना कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है--अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है तो नेतृत्व को बदल दिया जाय। सम्पूर्णानन्द जी को हटा दिया जाय। यहां के नेता श्रीचन्द्र जी बनें, विकल जी बनें। अगर विभाजन कर भी लिया और वहां के नेता यहीं रहे, पन्त जी आ गये तो इससे तो समस्या का हल होने वाला नहीं है। श्रीमन् जी, अगर हम बैकवर्ड हैं तो मैं वीरेन्द्रपति जी से कहता हूं कि वे बैकवर्ड क्लासेज के नेता हैं तो हरिजनों के लिये विशेष रुपया, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिये विशेष रुपया क्यों मांगते हैं? अगर पूर्वी जिले बैकवर्ड हैं लिहाजा उनके लिये सब रुपया खर्च करना जुर्म है तो बैकवर्ड क्लासेज के लिये वह तर्क ठीक क्यों नहीं उतरता। तो फिर बैकवर्ड कम्युनिटी का अलग प्रदेश हो, हरिजनों का अलग प्रदेश हो और जो एडवांस्ड कम्युनिटीज हैं उनका अलग हो। न्याय कहता है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग पीछे रह गये हैं उनको उभाड़ कर हम अपने स्तर तक लायें। तो इस दृष्टि से जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं वे हिन्दुस्तान के अंग हैं। दिल्ली का जिक्र किया कि ३८ परसेंट लिट्रेसी है। लखनऊ से मुकाबला किया जाय, इलाहाबाद से मुकाबला किया जाय, अरबन एरिया का अर्बन एरिया से किया जाय। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में १० रुपया पर कपिटा खर्च देती है और बी० क्लास स्टेट्स में ५ रुपया पर कपिटा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। अगर १० रुपया पर कैपिटा के हिसाब से ६६ करोड़ रुपये हमको मिलता तो हम भी आगे होते। इसलिये छोटे-छोटे सूबे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भार बन रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट १० रुपया पर कैपिटा उनको देती रहे। देश का फायनेन्स इस बात का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा यू० पी० के विभाजन की कोई गुंजायश नहीं है।

पुलिस उपमंत्री (श्री नगनप्रसाद रावत) (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इसमें जोश या कड़ुवाहट के लिये कतई गुंजायश नहीं है। मैं जब आज अपनी राय इस सदन में देने की धृष्टता कर रहा हूं तो मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जिन भाइयों की राय मुझसे भिन्न है मैं उनकी नीयत पर उनकी राय देने की क्षमता पर या देश हित में जो उनकी भावना है उसमें किसी प्रकार की कमी की बात सोचता नहीं हूं। इस प्रश्न पर हर एक को अपना-अपना विचार आजादी से देने का हक है और दूसरों का कर्त्तव्य है कि उसको ठंडे दिल से बैठ कर सुनें और सोचें।

राज्यों के पुनस्संगठन का विषय कुछ व्यक्तियों का विषय नहीं है। न केवल यह कोरे इतिहास का विषय है, न भाषा या संस्कृति का ही विषय है। यह विषय है हमारे देश की एकता कायम करने का, हमारे लिये सुरक्षा कायम करने का, और साथ ही साथ हमारा देश किस तरह दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में अपनी आर्थिक, सामाजिक, सैनिक और औद्योगिक शक्ति को बढ़ा सके।

मैंने बहुत कुछ सोचने की कोशिश की, अपने साथियों से विचार-विनिमय भी किया और उसके बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करना देश के प्रति अन्याय है, देश की तरक्की के आगे एक रुकावट डालना है। देश को अधिक से अधिक दस या बारह भागों से ज्यादा हिस्सों में हमें विभक्त नहीं करना चाहिये। इसका एक कारण है और वह यह है कि जितने छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं उनमें साधनों और जन

[श्री जगनप्रसाद रावत]

शक्ति की कमी होती है। छोटे-छोटे टुकड़ों में जो जनसेवक होते हैं वह भी मेरे खयाल में अधिक योग्य नहीं होते। और वह स्वयं अपना बोझ तो संभाल ही नहीं सकते। वे केन्द्र पर एक भार स्वरूप रहा करते हैं। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश अब तक केन्द्र के ऊपर भारस्वरूप नहीं रहा है, बल्कि उसने समय-समय पर देश की कुछ न कुछ सेवा ही की है।

माननीय गौतम जी ने इस सम्बन्ध में अपना एक वक्तव्य दिया। मैंने उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना और उनके वक्तव्य का जो पहला हिस्सा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। हमारे सूबे की आबादी अधिक है और सूबे की आबादी को देखते हुये हमारे सूबे के पास जो क्षेत्रफल है वह कुछ कम है। मैं चाहता हूं कि देश की भावी उन्नति को देखते हुये हमारे सूबे के साथ विन्ध्य प्रदेश के कुछ जिले मिला दिये जायं। मैं चाहता हूं कि मध्य भारत के वे जिले, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी जो हमारे सूबे से मिले हुये हैं, राजस्थान का एक जिला धौलपुर, हमारे सूबे में मिला दिया जाय। मैं इसके कारण भी बताने की कोशिश करूंगा। इन जिलों को ले लेने से आबादी तो हमारी तरफ अधिक नहीं आती, क्षेत्रफल हमारी तरफ कुछ अधिक आ जाता है। साथ ही साथ इनमें जो बहुत से साधन हैं, खनिज पदार्थादि वे इतने हैं कि आगे बनने वाला मध्य प्रदेश, उसको अपने साधनों से शायद सम्भाल नहीं पायेगा और हमारे पास जो साधन हैं, संगठन शक्ति है उससे शायद हम सम्भाल भी सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा अपना यह विचार है कि अगर जिन जिलों की मिलाने की मैं बात करता हूं उन जिलों के लोगों की यह मांग हो कि उत्तर प्रदेश में वह नहीं आना चाहते तो वे जिले हमारे सूबे में नहीं मिलाने चाहिये। यदि इन जिलों के लोग मध्यभारत और विन्ध्य प्रदेश के यह निरन्तर चेष्टा करें, इस बात की कोशिश करें और इच्छा प्रकट करें कि वे उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं तो उनको उनकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे से बांधा भी न जाय।

अब मैं इसके बाद थोड़ी-सी बात सरदार पणिक्कर के सम्बन्ध में कहूंगा। सरदार पणिक्कर साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसमें और हमारे जो भाई विभाजन की बात कहते हैं उनके दृष्टिकोण में एक बड़ा ही मौलिक मतभेद है। यदि सरदार पणिक्कर की रिपोर्ट को माना जाय तब तो नक्शा ही बिल्कुल बदल जायगा और उसके कारण भी बिल्कुल दूसरे हैं जिस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं अधिक कहना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरदार पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के आधिपत्य से लोगों में द्वेष है, लोगों के दिल में ईर्षा है, जलन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो किसी के दिल में कोई ईर्षा है, न कोई द्वेष है, न जलन है। लेकिन इस भावना के उकसाने के फलस्वरूप, उनके नोट आफ डिसेंट के फलस्वरूप इस भावना को थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिला है और इस प्रोत्साहन की वजह से थोड़ी सी हमारे भाइयों में गरमागरमी आ गई है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि क्यों हम उस रिपोर्ट के आधार पर आपस में कटुता लायें, इस रिपोर्ट को हम एक तरफ रख दें और इस नोट आफ डिसेंट को भी, और यहां बैठ कर प्रेम से आपस में वार्ता करें। एक बात और कह दूं कि सरदार पणिक्कर के नोट में जो भावना नजर आती है, उसमें इतिहास का एक नज्जारा भी हमारे सामने आता है। इसमें जो भावना है उसने सन् १७६२ में हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया, इसी भावना ने सन् १८५७ में हमको गुलाम बनाया। सन् १७६२ में सूरजमल भरतपुर से आया था, उसको ठुकराया गया केवल इसीलिये कि कहीं उसका आधिपत्य न हो जाय। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का भी साथ केवल इसी भावना के कारण लोगों ने नहीं दिया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नेतृत्व हमेशा उसका चलेगा जिसमें योग्यता होगी, जिसमें लोगों का दिल जीतने की ताकत होगी। अधिकार मांगने से, आधिपत्य मांगने से नहीं मिला करता। यह तो स्वाभाविक होता है। कुछ ऐसे ही बनते हैं, कुछ पैदा होते हैं।

मैं एक बात थोड़ी सी यह कहूंगा कि कुछ भाइयों ने यह कहा, शायद शास्त्री जी ने कहा कि राम की जन्मभूमि से मथुरा और आगरा हरे-भरे नहीं हो सकते। मुझे तो हंसी आई इसलिये कि शायद और कोई कहता तो कोई ऐसी

हंसी की बात नहीं थी, लेकिन शास्त्री जी को जो इतने बड़े विद्वान हैं, वह भी यह भूल गये कि राम की ही जन्मभूमि का रहने वाला था, राम का ही कोई पूर्वज था जो गंगा जी को लाया, जिससे मेरठ हरा-भरा हुआ, हरिद्वार हरा-भरा हुआ और पश्चिम के और जिले हरे-भरे हुये। एक मेरे भाई ने यह भी कह दिया कि पश्चिम तो गिरधारी लाल को पैदा करता है और पूरब कमलापति को पैदा करता है, बात मेरी समझ में नहीं आई। गिरधारी लाल और कमलापति में अन्तर क्या है, गिरधारी लाल का ही दूसरा नाम कमलापति है और कमलापति का ही दूसरा नाम गिरधारी लाल है। तो हमको तो दोनों को ही पैदा करने का फख्र है। मैं तो दोनों को ही पैदा करना चाहता हूं चाहे वह पूरब में हों या पश्चिम में, लेकिन अपने यहां हम हुकुम पर चलने वाले शेर और भालू नहीं पैदा करना चाहते।

अब एक बात यह कही गयी कि पूरब के जिलों में कुछ कमजोरी है और पश्चिम के जिलों के पास साधन कुछ ज्यादा हैं, उनकी दोनों की गाड़ी कैसे चल सकती है। लेकिन भाई, बदकिस्मती से मैं भी एक गरीब जिले का ही रहने वाला हूं और कई मामलों में मैंने कोशिश करके अपने जिले को और मथुरा को पूर्वी जिलों के साथ नत्थी भी किया। आबपाशी के मामले में, सिंचाई के मामले में, मैंने कहा कि इसको पूर्वी जिले में शामिल करना चाहिये और सरकार ने शामिल भी किया। मैं तो यह सोचता हूं कि आज तो पूरब और पश्चिम का प्रश्न है, और अगर दोनों हिस्से अलग-अलग हो गये तो फिर कहां मेरठ और मुजफ्फरनगर के अमीर जिले और कहां हमारा आगरा और मथुरा के गरीब जिले! हमारे यहां नहरें भी नहीं हैं, नलकूप भी नहीं हैं, तो क्या वह हमको निभा पायेंगे? तो अगर वह आज गोरखपुर को नहीं देख सकते, बलिया को नहीं देख सकते तो बाद में आगरा और मथुरा को वह कहां निभा पायेंगे! मैंने उसका सबूत भी देखा। मैंने देखा कि पणिक्कर साहब के नोट को हमारे भाई श्री नन्द ने स्वीकार किया, लेकिन जहां पर उसमें लिखा है कि आगरा राजधानी हो, उसको वह गोल कर गये। उन्होंने कहा कि वहां तो दिल्ली में बड़ा सेक्रेटेरियट है और दिल्ली में यह है और वह है। एक भाई ने आज से कुछ अर्से पहले यह कहा था कि उस नये सूबे की राजधानी अलीगढ़ हो! अरे भाई, अभी तो बना नहीं जो यह कहा जाय कि दिल्ली हो या अलीगढ़ हो या कहां हो। ये तो बाद के सवाल हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हमको इस प्रश्न पर इस प्रकार नहीं जाना है, क्योंकि उसकी एक हद होती है। अगर आज मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिले कहें कि हम पूरब के जिलों के साथ नहीं रहेंगे तो कल को वह कहेंगे कि हम मथुरा और आगरा के साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो अमीर तहसीलें हैं वह कहेंगी कि हम दूसरी तहसीलों के साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह से यह चीज चल नहीं सकती। हमें तो देखना है कि सारे सूबे को तरक्की एक साथ हो और उसके साथ जिन जिलों में कमी है उसको पूरा करें, एक ऐसे स्तर पर ले आयें कि ५ वर्ष के अन्दर या १० वर्ष के अन्दर जो सारे ५१ जिले हैं—और हमारे साथ कुछ जिले आ सकें— तो उन सब का स्तर एक सा हो जाय और हमारी गाड़ी तेजी के साथ और रफ्तार के साथ आगे चले।

एक बात सरदार पणिक्कर के नोट में मैंने बड़े मजे की पढ़ी। उन्होंने कहा कि उत्तर-प्रदेश ने शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया या सोशल वेलफेयर पर बहुत कम खर्च किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले १० वर्ष का इतिहास हमारे देश में बड़ा अनोखा इतिहास रहा है। हमारे सूबे ने शरणार्थियों के प्रश्न को हल किया, हमारे सूबे में बड़े-बड़े दंगे और बलवे का आघात हुआ, हमारे सूबे में एक अन्न की कमी के प्रश्न को हल किया गया। मैं आप से ही पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लिये यह लाजमी था कि हम अन्न की समस्या पर खर्च न करते, बलवा के दबाने की समस्या पर खर्च न करते, हम शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने में खर्च न करते, केवल शिक्षा पर और कुछ चन्द लोगों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए या स्कूल खोलने में हम खर्चा करते? यदि हम ऐसा करते तो हम देश के साथ द्रोह करते और भयंकर पाप करते। हमने तो जो पहली चीज थी उसको प्राथमिकता दी और बाद की चीज को बाद में लाना तय किया।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

अन्त में एक बात मैं कह देना चाहता हूं। मैं राम और कृष्ण की भूमि के निवासियों में आपस में अन्तर और भेद-भाव मानने में भयंकर पाप मानता हूं। मैं तो समझता हूं कि राम और कृष्ण की भूमि के लोग सब एक हैं और मुझे प्रत्यक्ष अनुभव भी है। मुझे अपने राजनीतिक जीवन में लगभग ७ वर्ष पूर्वी जिलों की जेल में रहने का मौका मिला और मेरे साथ अधिकतर पूर्वी जिलों के लोग थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह मौका अनुभव करने का नहीं दिया कि हममें कोई अन्तर है। हमेशा मैंने उनमें भ्रातृ-भाव और प्रेम का भाव पाया।

*श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अक्सर देखने में आया है कि जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसके अजीज व अकारिब उसको एक ऐसे हकीम या डाक्टर के पास ले जाते हैं, जो कि उसके मर्ज की सही तशखीस करके इलाज कर सके और उसकी दवा तजवीज कर सके। इसी किस्म के हालात हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए कि मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ किस्म की बाउंडरीज तब्दील करने के सवाल उठ खड़े हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज को मुनासिब समझते हुए एक कमीशन मुकर्रर किया कि वह सूरते हालात की जांच करके जो चीज मुल्क के अन्दर पैदा हो गयी है, उसके सही साल्यूशन के लिये वह सही तजवीज रखे। जनाबवाला, इसी किस्म की वह रिपोर्ट है। बड़ी तहकीकात के बाद और जुस्तजू के बाद, जिस पर बहुत रुपया भी सर्फ हुआ है और बड़ी मेहनत के साथ कमीशन ने यह रिपोर्ट पेश की है जो कि आज ४ दिन से इस सदन में जेरे बहस है। जनाबवाला, एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि मैंने निहायत तकलीफ के साथ इस चीज को देखा, सुना और अखबारात में पढ़ा कि हमारे विरोधी दल के डिप्टी लीडर साहब--माननीय उपाध्याय जी ने पणिक्कर साहब के मुताल्लिक कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो किसी तरह से एक इतनी बुलन्द हैसियत के लिये कहना मुनासिब नहीं है। हम उनसे एख्तिलाफ राय रखते हों या इत्तफाक राय रखते हों और हमारा एख्तिलाफ कितना ही शदीद क्यों न हो, हमें ऐसे अल्फाज उनके लिये नहीं कहने चाहिये। वे तो इसलिये मुकर्रर किये गये थे कि एक इलाज हिन्दुस्तान के सूबों के लिये तजवीज करें और उनकी समझ में जो बात मुनासिब मालूम हुई वह उन्होंने अपने रिपोर्ट में सामने रख दी। अब अगर वह हमें नापसन्द है तो इसके यह माने नहीं कि उन्होंने जो राय दी है उसकी वजह से नाखुश हो कर हम ये अल्फाज कहें जो कि उपाध्याय जी ने कहे हैं और जो कि आज के अखबारात में निकल चुके हैं। मैं अर्ज करूंगा कि उपाध्याय जी पणिक्कर साहब को नहीं जानते जितना मैं उनको जानता हूं। जितना मैं उनकी जहनियत और काबिलियत को जानता हूं उतना इस सदन का दूसरा आदमी नहीं जानता क्योंकि मेरा और उनका रिश्ता एक उस्ताद और शागिर्द का रहा है जब कि वे अलीगढ़ में हिस्ट्री के प्रोफेसर की हैसियत से लेक्चर दिया करते थे। मैं जानता हूं कि उनकी जहनियत और काबिलियत क्या है। उनकी हुब्बलवतनी का दर्जा इतना बुलन्द है कि वे इस मुल्क को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वह मुल्क की भलाई के लिये लिखा है और उस तजवीज से मुतासिर होकर लिखा है, जिसको आज से ३७ वर्ष पहले मैं जानता था। उनके मुताल्लिक उपाध्याय जी ने जो कहा है वह बिलकुल मुनासिब नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा कि आप हुक्म दें कि उनकी स्पीच से वे अल्फाज निकाल दिये जायं। उन्होंने जो चीज सही समझी वह कह दी। अगर हम बीमार हों और उसका ऐसा इलाज हो जो हमें ठीक न लगे और दवा पीने में कड़वी हो लेकिन फिर भी हमारे हमदर्द उसको जबर्दस्ती मेरे हलक के नीचे उतार देंगे जो मेरी बीमारी को जल्द दूर कर देगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य बार-बार उपाध्याय जी का नाम लेकर कह रहे हैं और उनके भाषण से अल्फाज निकालने के लिये भी कह रहे हैं। जिस वक्त कोई भाषण दे उसी वक्त टोकना चाहिये क्योंकि मैं उसी वक्त रोकता हूं। अब कौन से अल्फाज निकाल दिये जायं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह तो आप बता नहीं रहे हैं और न वे शब्द याद हैं जिन्हें मैं समझूं कि वापस ले लेना चाहिये। इसलिये मेरा ध्यान उसी वक्त आकर्षित करना चाहिये था। इस वक्त आप नहीं कह सकते।

श्री मुश्ताक अली खां—जनाबवाला, अब मुझको यह अर्ज करना है कि कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, और उत्तर प्रदेश के मुतल्लिक जो कुछ भी कहा है वह दूसरे दोनों रिपोर्ट लिखने वालों ने भी कहा है। जिन साहबानों ने उस रिपोर्ट को गौर से पढ़ा है वे इस चीज को तसलीम करेंगे कि मेजारिटी ने जो अपनी तजवीज पेश की है, उसमें उन्होंने भी इस पोलिटिकल आब्जेक्शन को तसलीम किया है जिसको पणिक्कर साहब ने तसलीम करते हुये उत्तर प्रदेश के तकसीम की तजवीज पेश की है। मैं जनाब से यह अर्ज कर दूं कि तवारीख जिन लोगों ने पढ़ी है और जो पढ़ते हैं उसका बड़ा मकसद यह है कि पिछले वाकयात की रोशनी में अपनी आयन्दा जिन्दगी को बनाने के लिये कोशिश करें। अगर हमारे अन्दर वे खराबियां हैं जो कि हमको तवारीख बतलाती है कि पछिली कौमों में भी रह चुकी है तो हमको यह चाहिये कि हम अपनी जिन्दगी को दुरुस्त करने के लिये उन बुराइयों को अपने से दूर करने की कोशिश करें। पणिक्कर जी एक सियासत दां हैं, वे एक निहायत ऊंची हस्ती हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा और लिखा है, और अपनी मालूमात की बिना पर मैं दावे से यह कह सकता हूं कि उनको कांस्टीट्यूशनल मालूमात बहुत ज्यादा हैं। और जो कुछ उन्होंने मश्विरा दिया है वह सही किस्म का है। अब यह बात दूसरी है कि आप उसको मानें या न मानें और यह काम हमारी यूनियन गवर्नमेंट का है कि वह इस पर अमल करती है या नहीं। लेकिन यह कहना कि रिपोर्ट गलत है और वह इस वजह से गलत है यह कहना सही नहीं होगा। मैं तीन दिन माननीय सदस्यों की मुख्तलिफ किस्म की स्पीचें सुन रहा हूं और मैं यह कहता हूं कि उनमें हकीकत को नजर-अन्दाज किया गया है। आज भी कुछ तकरीरें हुईं, मुझसे पहले जो साहबान बोले, उनकी तकरीर कुछ ऐसी थी जिसमें जजबात का दखल है और वाकेआत को नजरअन्दाज करने की कोशिश की गई है।

मैं उत्तर प्रदेश से निहायत मुहब्बत रखता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूं, उत्तर प्रदेश में मैं रह रहा हूं और उत्तर प्रदेश में ही मैं मरने वाला हूं। मैं यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी मौजूदा हुदूद के अंदर रहे। लेकिन मैं यह मानता नहीं हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की वजह से सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट कमजोर होती हो तो भी वह बना रहे। ऐसी हालत में मैं यकीनन अर्ज करूंगा कि उत्तर प्रदेश की उन बुराइयों को दूर कर दिया जाय जिनसे हमारा सेंटर कमजोर होता हो। अब पणिक्कर साहब ने क्या लिखा है, और मैजारिटी क्या है, मैं इस पर आता हूं और मैं चन्द बातों को पेश करता हूं। तवारीख की उन चीजों पर आप न जाइये और यहां की मिसाल मैं देता हूं, तवारीख की मालूमात की बिना पर आप आगे बढ़िये। जर्मन फेडरेशन में नाजियों की हालत १८८६ से पहले देखिये कि वहां फेडरेशन में किस तरह की डिसपैरिटी थी, और किस तरह से वहां काम होता था और वहां की गवर्नमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचता था? वहां क्या सूरत थी? वहां भी यही सूरत थी। आप यह कह सकते हैं कि सावरेन स्टेट है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं जो सावरेन स्टेट नहीं है वहां क्या करते हैं। दुनिया में अपनी हुकूमत को और सेंटर को मजबूत करने के लिये हर तरह की कोशिशें की जाती है। जो जर्मनी में हालात थे वही हालात आज हमारे यहां हैं। तवारीख से हम यह सबक लेते हैं कि अगर कहीं इस तरह की डिस्पैरिटी हो और इख्तलाफ हों तो छोटे-छोटे यूनियन्स के अंदर यह जजबात पैदा कर दिये जाते हैं कि जो ताकत बड़ी हो उसके खिलाफ सब इकट्ठा होकर उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करें। यही बात उत्तर प्रदेश के लिये भी है और यह सबसे बड़ा है। यह भी कहा गया है कि पणिक्कर साहब एक तरफ उत्तर प्रदेश की तक्सीमी की तजवीज पेश करते हैं और दूसरी तरफ विन्ध्य प्रदेश और राजस्थान के सूबों को मिलाकर एक नया प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से बनाने की तजवीज भी फरमा देते हैं। कारण क्या है? खुला हुआ कारण है कि वहां पर इतनी आबादी नहीं है। लोअर हाउस में जो नुमायन्दगी होती है वह आबादी के लिहाज से होती है, तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के मुकाबले में आबादी बहुत ही कम है।

[श्री मुश्ताक़ अली ख़ां]

उत्तर प्रदेश की आबादी साढ़े छः करोड़ है । क्या मध्य प्रदेश में भी ६३ मिलियन इंसान वहां बसते हैं ? अगर वह रकबे के हिसाब से बड़ा है तो वहां रेगिस्तान है, पहाड़ है और जंगल है । सवाल यह है कि वहां आबादी कम है इस बिना पर पणिक्कर साहब ने उसके लिये कहा है और मेरा दावा है कि मैजोरिटी लोग उसको तस्लीम करते हैं और लिखने वाले भी करते हैं । उन्होंने यह तजवीज पेश नहीं की कि उत्तर प्रदेश को भी तकसीम कर दिया जाय । पणिक्कर जी का जो कहना है वह यह है कि वह उस चीज को मालूम करते हैं कि खराबी क्या है, और उसके लिये वह इलाज भी तजवीज करते हैं लेकिन वह इलाज उनके नजदीक और मैं समझता हूं कि जो उनके व्यू प्वाइंट को समझते हैं, उनसे सहमत हैं उनके लिये वह तंदुरुस्ती का बायस होगा, लेकिन चूंकि वह बहुत कड़ुवा है इसलिये हम उसको हलक के नीचे उतारने के लिये किसी तरह से भी तैयार नहीं होते । हमको उत्तर प्रदेश को बाकी रखना है, हम उत्तर प्रदेश की प्रास्पैरिटी चाहते हैं, इससे उम्मीद रखते हैं और हमारी जिन्दगी इससे वाबस्ता रही है, और यहां तक कि हम मौत तक यहीं रहेंगे । हम उत्तर प्रदेश से कोई अदावत नहीं रखते । लेकिन हम इसको भी बरदाश्त नहीं करते कि उत्तर प्रदेश की खातिर जो भारतवर्ष हमारा है उसको अधिक ताकत न दें । उसको तरक्की देना और मजबूत बनाना हमारा पहला काम है । हम बड़े होकर क्या करेंगे ? क्या उससे हिन्दुस्तान बड़ा हो जायगा ? ऊंचा हो जायगा ? आप हिन्दुस्तान को ऊंचा कीजिये । आज हिन्दुस्तान जवाहरलाल जी की वजह से ऊंचा है और इतना ऊंचा है कि दूसरी कौमें हमारी तरफ देख रही हैं, लेकिन वहां बैठ कर कोई भी उत्तर प्रदेश को नहीं देख रहा है ! यहां जो कुछ हो रहा है और दूसरी जगह जो कुछ हुआ है उसके लिये पार्लियामेंट में जवाहर लाल जी ने कहा था कि दूसरी नेशन्स हमारे काम को बड़े गौर से देख रही हैं और हमें अपने आपको डिस्प्लनरी तरीके पर रखना चाहिये । तो इसलिये पणिक्कर साहब ने जो कुछ कहा है, अगर वाकई उत्तर प्रदेश को तकसीम से हमारे यूनियन को फायदा पहुंचता है तो हमको उसे मान कर तकसीम मंजूर कर लेना चाहिये । मैंने अभी मिसाल दी कि १८६६ में जर्मनी की क्या हालत थी । सन् १८७० में जर्मनी, रूस और फ्रांस की लड़ाई होने के बाद जो भी हालत हुई वह यह थी कि सदर्न हिस्से भी उस फेडरेशन में शामिल कर दिये गये, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां जो अपर चेम्बर था उसकी ताकत को कम कर दिया जाय और दूसरे यूनिट्स की ताकत को बढ़ा दिया गया । हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं हुई । पणिक्कर साहब तकसीम को भी पेश करते हैं और वह कांस्टीट्यूशन में सुधार भी चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जो डामिनेटिंग पोजीशन है वह दूसरों को कुचल न दे । मैं भी नहीं चाहता कि तकसीम हो, आप अपने कांस्टीट्यूशन में तब्दीली कर दें ताकि उन माइनारिटीज को जो कि उत्तर प्रदेश के बराबर आबादी नहीं रखते, यह खतरा न पैदा हो कि वह यह समझें कि हम नीचे हैं, वह ऊंचे हैं । नीचा रहने वाला, जलाबवाला, ऊंचे वाले को हमेशा दूसरी निगाह से देखता है । मैं यह नहीं कहता कि हमारी हुकूमत ने या हमारे माननीय सदस्यों ने कोई ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से यह जज्बा पैदा हो गया, लेकिन वह कुदरती तौर पर पैदा हो गया है कि हम छोटे हैं और वह बड़े हैं । हमें चाहिये कि हम इसको दूर करने के लिये कांस्टीट्यूशन में जरूरी तदारुक करें । मेरी गुजारिश यह है कि अगर आप प्रदेश को तकसीम करना नहीं चाहते तो आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहिये कि वह कांस्टीट्यूशन की नीति ऐसी रखे कि जिसको अपनाकर यह खतरा मिट जाय ।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा) (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है उसमें किसी को कोई मोटिव एट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है । सबने अपनी-अपनी बुद्धि से जो देश के लिये और प्रदेश के लिये उचित है, कहा है । लेकिन कभी-कभी सोचने में गलती हो सकती है । हर वक्त हर आदमी का सोचना सही हो, यह बात नहीं हो सकती है । इसलिये यहां कोई बात अगर कही जाय उसका अर्थ यह

लगाया जाय कि वह कोई व्यक्तिगत चीज है उचित नहीं जान पड़ता। मेरे ख्याल में उसको यह सोचें कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह पुनस्संगठन राज्यों के होने का जो मन्शा है, उसको हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने जब पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य दिया था तो बतलाया था और उन्होंने एक कमीशन नियुक्त करने की बात कही थी। तो उन्होंने उसके आब्जेक्ट (उद्देश्य) के बारे में जो कहा था वह इसके पहले पेज पर दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि :—

"A Commission would be appointed to examine objectively and dispassionately the question of the reorganization of the States of the Indian Union so that the welfare of the people of each constituent unit as well as the union as a whole is promoted."

इस कमीशन का उद्देश्य यह था कि हर एक यूनिट और सारे देश का वेलफेयर जिस तरह से बढ़े उसी तरह से राज्यों का पुनस्संगठन हो। असल कसौटी इसके देखने की यह है कि आया नये राज्यों के बनाने से या राज्यों के घटाने या बढ़ाने से हमारे देश और यूनिट का कल्याण बढ़ेगा या नहीं। सब से बड़ी कसौटी यह है कि वह इस आब्जेक्ट को पूरा करता है या नहीं? उसमें अगर यह बात आती है और इस कसौटी पर जब आप इसको कसें तो यह आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप यह देखें कि हमारे सारे देश की इकोनामी अनडेवलेप्ड (आर्थिक अवस्था अविकसित) है। हमारा गरीब मुल्क है जो आज विकसित नहीं है। क्या आज हम उन अधिकारों के लिये लड़ें जिनके लिये कभी कोई मैजारिटी और माइनारिटी का नारा लगाकर इस देश में कुछ लड़ाई हुई? आज जब एक व्यक्ति के मन में यह बात है कि वह थोड़ी पापुलेशन की स्टेट का रहने वाला है इसलिये जिसमें ज्यादा आबादी है उसके खिलाफ वह कोई बात करेगा, तो जब यह चेतना आती है तब अधिकारों की बात रखी जाती है। लेकिन जब हमारी इकोनामी डेवलेप्ड नहीं है और विकास करना है तब हमको यह देखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में विकास किस तरह से हो सकता है? यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये कि आया बड़ी स्टेट रखने से हमारे भारत का विकास हो सकता है या छोटी स्टेट रखने से हमारा विकास हो सकता है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि छोटी स्टेट का बिकास नहीं हो सकता है। अगर यह बात होती तो सारी सी क्लास स्टेट्स को मिलाने की बात नहीं होती। अगर छोटी स्टेट में ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती है तो छोटी स्टेट चल नहीं सकती है। वहां पर कोई विकास नहीं हो सकता है और आप के लिये विकास रुक जाता है। इसलिये छोटी स्टेट को खत्म करके बड़ी स्टेट बने, यह मंशा है और उसी मंशा की पूर्ति के लिये यह किया गया है और इतना ही कमीशन बैठाने का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के लिये यह कमीशन बैठा। इस दृष्टि से आप इस उत्तर प्रदेश को देखें तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि एक यूनिट में जो आज उत्तर प्रदेश है या जो उसमें रहने वाले हैं उनकी हालत का दूसरे राज्यों के साथ गठन करें तो उससे अच्छा होगा या बुरा होगा इस दृष्टिकोण से हमको इसको देखना है।

जो पणिक्कर साहब की तारीफ की गयी है मैं उससे सहमत हूं। मैं उनके दिल और दिमाग के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता। लेकिन एक अर्ज मैं यह करूंगा कि यहां पर देश का सदा ध्यान रखा गया है और यदि कांग्रेस ने इस देश के लिये लड़ाई लड़ी है तो वह सारे देश के लिये, देश के फायदे के लिये और देश की स्वतंत्रता के लिये उसने लड़ी है। इस देश में जो सबसे बड़ा दृष्टिकोण रहा है वह सारे के सारे देश के लिये रहा है। यही कारण था कि इस दृष्टिकोण के होने के कारण हमारे यहां कभी किसी ने महसूस नहीं किया कि किस राज्य की ज्यादा आमदनी है, किस राज्य के ज्यादा आदमी हैं और किस राज्य में कौन सी बात है? सबने मिलकर देश में एक होकर राष्ट्रीय उन्नति के लिये और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये काम किया है। वह दृष्टिकोण जब थोड़ा सा ओझल हो जाता है तो चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा, उसकी विचारशैली में परिवर्तन आयेगा। उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के ऊपर जो यहां डिबेट हुआ है, मुझे अफसोस है कि उसमें इस प्वाइन्ट आफ व्यू से काम नहीं लिया गया है कि देश का विभाजन न हो। यहां देश के विभाजन की बात नहीं है बल्कि बात तो यह है कि जो राज्य का पुनस्संगठन हो रहा है आया उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो, किस तरह वहां

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

के आदमी रहते हैं, उसकी जो अभी आमदनी है राज्य के पुनस्संगठन के बाद क्या उसकी माली हालत पहले से अच्छी हो जायगी जब यह दूसरा राज्य बन जायगा। अगर इस दृष्टि को रखते हैं तब तो ठीक है। लेकिन यदि वे इस दृष्टिकोण को सामने न रखें तो आपको वह मानना पड़ेगा कि न केवल उत्तर प्रदेश जितना है उतना रहे बल्कि जैसा कि माननीय रावत जी ने कहा कि यदि यहां के लोगों की माली हालत को सुधारना है तो वह प्रदेश जो हमारे वहां से मिलते-जुलते हैं जैसे मध्यभारत के ग्वालियर आदि चार जिले और विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिलाना होगा। इस दृष्टि से नहीं कि यहां की आबादी और बढ़ जायगी, बल्कि इसलिये कि यहां के रहने वालों की माली हालत सुधर जायगी, देश की माली हालत सुधर जायगी। उसके साथ ही साथ जो तीन-चार बातें कभी किसी राज्य के पुनस्संगठन के लिये ध्यान में रखने की हैं वे शासकीय ला ऐंड आर्डर, भौगोलिक परिस्थिति, यातायात के साधन, वेलफेयर, एकोनामिक विकास ये सब बातें हैं जो सही माने में प्रजातंत्र ढंग की हैं। इसका असर शासन के ऊपर भी आता है। छोटी यूनिट होगी तो ज्यादा खर्चा होगा। और हमको यह भी देखना है कि पब्लिक की क्या राय है, वहां के रहने वाले क्या चाहते हैं, उनका एग्रीमेंट है या नहीं ? ये चार मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिये। मैंने देखा कि सैनिक अखबार में एक परचा लिखा हुआ है जिसमें आगरा राज्य का नकशा दिया गया है और उसमें बुन्देलखंड को शामिल किया गया है, ग्वालियर को शामिल किया गया है और खींचतान कर इटावा को भी शामिल किया गया है क्योंकि अगर इटावा को शामिल नहीं करते तो बुन्देलखंड से उसकी हद्द ही नहीं मिलती। जहां तक बुन्देलखंड के एग्रीमेंट की बात है वहां के किसी भी आदमी ने, एक भी आदमी ने किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है कि बुन्देलखंड को कहीं अलग कर दिया जाय और इसको कहीं दूसरी जगह मिला दिया जाय। बल्कि उसके बिलकुल खिलाफ बात हुई है कि बुन्देलखंड और विन्ध्य प्रदेश के सब लोग एक जगह इकट्ठे हुये और वहां तय हुआ कि बुन्देलखंड के चार जिले जहां हैं वही रहें और विन्ध्य प्रदेश अगर बरकरार रहे तो रहे लेकिन बुन्देलखंड का वह हिस्सा जो विन्ध्य प्रदेश के अन्दर है, अगर विन्ध्य प्रदेश टूटता है तो उसे उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, यह एग्रीमेंट की बात थी।

मैंने दूसरी बात जो कही वह यह कि प्रशासन के लिये, ला ऐंड आर्डर के लिये जो दलीलें मध्य प्रदेश में मध्यभारत को मिलाने के लिये दी गई हैं और कही गयी हैं बुन्देलखंड से चम्बल की तराई वगैरह में ला ऐंड आर्डर की खराब हालत है हो सकता है कि खराब हालत हो, लेकिन उसके लिये जो दलीलें दी गयी हैं कि इससे वहां की हालत दुरुस्त हो जायगी, वे दलीलें इस बात को साबित करती हैं कि वे बातें पूरी की पूरी नहीं उतरतीं। फिर क्यों नहीं मध्य भारत के हिस्से के वे चार जिले उत्तर प्रदेश में मिलाते हैं। यह कहा गया है कि उस हिस्से के लिये राजस्थान ने कोई क्लेम नहीं किया है, और ९९ प्रतिशत हिन्दी बोलने वाले हैं इसलिये शायद राजस्थान ने क्लेम नहीं किया। और कहा गया कि चम्बल की घाटी से आगरा, झांसी डिवीजन को मिलाते हैं और मध्य प्रदेश से मध्य भारत को मिलाते हैं तो वैसे ही एक यूनिट हो जायगी। करीब-करीब एक यूनिट हो जायगी लेकिन फिर भी यू० पी० और मध्य प्रदेश दो ही यूनिट होंगे। वह दो तो रहेंगे। अगर वह मध्य भारत का भाग इस प्रांत में मिलाया जाता है तो वह तो ला एन्ड आर्डर की समस्या हल होती है। इसी तरह से विन्ध्य प्रदेश की बात है, अगर वहां कोई कमजोरी है तो एक शासन में आने के बाद नहीं रहेगी। कमीशन के सदस्यों की ओर से भी दलील दी गई है कि विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाय और उसके अलावा एक दूसरी दलील भी है कि माताटीला बांध के सिलसिले में, क्योंकि वह ३ प्रदेशों में होकर जाता है, तो उसमें झगड़ा पड़ता है इसलिये उस भाग को अगर करीब-करीब उसमें मिला दिया जायगा तो बहुत आसानी होगी और खर्च भी कम हो जायगा। यह स्कीम हमारी सरकार की ही है, वह ६ करोड़ की इर्रीगेशन की स्कीम है और ४ करोड़ की बिजली की है क्योंकि उनके कहने के अनुसार भी २ प्रदेशों में समस्या ठीक से हल नहीं होती। इस तरह से सब एरिया इस प्रदेश में आ जायगा तो विकास भी अधिक सम्भव हो सकेगा और कोई प्रदेशीय

झगड़ा न रहेगा और न इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह से जहां तक शासकीय और ला एन्ड आर्डर की बात है मध्य भारत जो प्रस्तावित है उसका एक सिरा राजस्थान और दूसार उड़ीसा से मिलता है और सब रकबा मिलाकर एक लाख ७१ हजार वर्गमील होगा। उसको सिर्फ इसलिये दिया जाय कि इस प्रदेश की आबादी ज्यादा होगी। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि इस समस्या को शुरू से गलत तरीके से उठाया गया है। अगर केवल यह सोचा जाता कि इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो तो ठीक था, लेकिन दोनों तरफ से लोग डरने लगे कि कहीं कोई ज्यादा मांग करेगा तो विभाजित कर देंगे और वह भी जो मांगने वाले थे उन्होंने भी नहीं मांगा कि हमारा ही दे दें। देखना यह चाहिये कि इस सूबे की बहबूदी कैसे हो सकती है और कैसे पुनस्संगठन के बाद खुशहाली होगी। मैं कहूंगा कि डाक्टर पणिक्कर साहब की जो दलीलें हैं कि इस सूबे में शिक्षा की कमी है और दूसरी चीजें हैं या विकास कार्य में कम रुपया व्यय होता है, मैं कहता हूं उनकी यह दलील तो हमारे पक्ष में है कि यहां रकबा कम है और साधन कम हैं, और हमारी आबादी अधिक है, और यदि हम अपने यहां इन चीजों पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपनी बढ़ी हुई आबादी की उन्नति के लिये क्षेत्र मिलना चाहिये, जिससे विकास पर और कम्युनिकेशन्स आदि पर हम और अधिक खर्च कर सकें। ग्वालियर के बारे में उन्होंने कहा कि जब उधर रेल बन जायगी तो मिला दिया जायगा, लेकिन सवाल यह है कि जहां आलरेडी रेल बनी हुई है वहां उसको क्यों न मिला दिया जाय? जहां तक सेफ्टी का सवाल है जो बार्डर की स्टेट हैं उनको खास तौर से हमें देखना है और देखना है कि सुरक्षा की दृष्टि से वह कितनी मजबूत हैं? और साथ ही यह भी देखना होता है कि उसका आर्थिक विकास कैसे संभव हो सकता है। हमारे यहां तो अधिकतर कृषि क्षेत्र है लेकिन ग्वालियर और विन्ध्य प्रदेश का जो रकबा है वहां मिनरल एरिया भी है। सन् ५४ में एक पत्रिका निकली थी वहां से उसमें लिखा हुआ है कि—

"Iron ore occupies the next place of importance in the hills. Another mining lease has been granted for Panihar village, near Gwalior, within ten miles of which occurrence of this ore has been found."

वहां ७७ एकड़ में ४ हजार टन लोहा निकाला गया था और बुन्देलखंड में जो अबरक आदि हमें निकलता है उससे हम काफी विकास आदि कर सकते हैं। अगर सारे देश की दृष्टि से देखें तो यदि वह मिनरल एरिया इधर मिलाया जाय तो हम अधिक उन्नति और विकास कर सकते हैं। मिनरल्स दी जायं तो हम लोग डेवलप करेंगे। हमें मध्य प्रदेश से कोई चिढ़ नहीं है लेकिन अगर एग्रीमेंट हो और यदि मध्य भारत के लोग, तख्तमल जी जैन, जो मध्य भारत के प्रधान मंत्री हैं वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय तो मेरे ख्याल में जब वहां के लोग चाहते हैं और भौगोलिक इंटेग्रिटी है तो फिर उनको यहां से अवश्य मिलाना चाहिये।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था, परन्तु अभी एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने शर्मा जी से पहले भाषण दिया, मुझे कुछ कहने के लिये प्रेरित कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति माननीय उपाध्याय जी के भाषण के सम्बन्ध में उठाई और यह कहा कि अखबारों में आज माननीय उपाध्याय जी का भाषण निकला है जिसके लिये उन्हें बहुत आपत्ति है। मैंने भी अखबार का अध्ययन किया था यद्यपि मुझे माननीय उपाध्याय जी के भाषण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मुझे उनके भाषण में कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई दी। उन्होंने माननीय पणिक्कर जी का जिक्र किया और उनकी योग्यता के विषय में चर्चा की। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसा समझते हैं कि माननीय पणिक्कर जी हमारे देश के इतिहास के वेत्ताओं में एक हैं, विद्वान् व्यक्ति हैं और शिक्षक के नाते उन्होंने मेरे ऐसे विद्यार्थियों को बहुत कुछ शिक्षा भी प्रदान की है। लेकिन उसी इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते मुझे भी इस बात का अधिकार है कि उन्होंने जो बातें उत्तर प्रदेश के विषय में कही हैं और अपना जो मत रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों से इस विषय में भिन्न मत प्रकट किया है उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। यदि हम इस रिआर्गे-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

माइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को आद्योपान्त अध्ययन करें तो हमें अनुभव होगा कि माननीय पणिक्कर जी ने जो नतीजा उत्तर प्रदेश के सिलसिले में निकाला वह उन मूल सिद्धान्तों से, जिन्हें उन्होंने स्वयं अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है, वह नतीजा बिलकुल भिन्न है। उन मूल सिद्धांतों से और आदर्शों के खिलाफ है जिनको उन्होंने स्टेट्स की रिआर्गनाइजेशन के विषय में रिपोर्ट में व्यक्त किये हैं। उन्होंने चार-पांच बातें स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन के विषय में प्रारम्भ में ही इस रिपोर्ट में व्यक्त की हैं उनमें से एक बात उस कीमत के बारे में है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दीली होने पर देनी होगी, कास्ट आफ चेंज क्या होगी ? उन्होंने इस रिपोर्ट के एक चैप्टर में कहा है। दूसरी बात उन्होंने फाइनेंशल लाइबिलिटी के सिलसिले में कही है। तीसरी उन्होंने लैंगुएज ऐंड कल्चर के विषय में कही है। चौथी लार्जर वरसेस स्मालर स्टेट्स के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं और पांचवीं बात उन्होंने हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी के विषय में भी कही है, और उसे भी एक स्टेट को कायम करने के विषय में एक आधार बताया है। मैं अपनी तरफ से कुछ न कहूंगा। उस रिपोर्ट के इन्हीं चैप्टर्स के कुछ सेंटेंसेज और कुछ पैराज को आपके समक्ष उद्धृत करने की चेष्टा करूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १५ मिनट ही हैं। उसके हिसाब से ही अपने भाषण को सीमित करना है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं चूंकि तमाम बहसों में जाना नहीं चाहता और केवल पणिक्कर जी की दलील के ही बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं इसलिये मैं अवश्य ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मैं ५, ७ मिनट में उनकी बातों की इनकांसिस्टेंसी इस सदन के समक्ष व्यक्त कर सकूं। माननीय सदस्यों ने बड़े-बड़े एतराज किये और बहुत बातें उनकी प्रशंसा में कहीं। मैं भी उनके प्रशंसकों में हूं लेकिन उनकी काब्लियत का ही, जो बात उन्होंने कही उस का प्रशंसक नहीं हो सकता। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते और जिसने खुद भी इस रिपोर्ट को पढ़ने का प्रयत्न किया हो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कास्ट आफ चेंज नामक चेप्टर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उसमें उन्होंने जिन बातों को स्वयं रक्खा है। पेज २५–२६ पर पैरा ६४ में उन्होंने लिखा है :—

"Before we go into these and other principles relevant to the task with which we are charged, it would be well to take note of the unsettling consequences of reorganization. The pace of change in recent years has been such and the changes themselves have been so far-reaching that there has been a general tendency to assume that the administrative and financial consequences of reorganization cannot be serious. This is an unrealistic view. Changes in the existing set-up resulting in the breaking up of old ties and the creation of new associations must involve, atleast during the transitory phase, a large-scale dislocation of the administrative machinery, no less than of the life of the people. As the J. V. P. Committee has pointed out, whatever the origin of the existing units, and however artificial they might have been, a century or so of political, administrative and, to some extent, economic unity in each of the existing State areas, has produced a certain stability and a certain tradition. Any change would naturally have an upsetting effect."

प्रारम्भ में ही उन्होंने यह बात व्यक्त की है कि बहुत सी स्टेट्स चाहे जैसे भी वे बनी हों, उन्होंने इन १०० वर्षों के बीच में कुछ ट्रेडीशंस पैदा कर दिये हैं। अगर उनमें कुछ तब्दीली करते हैं तो हमारे बीच में एक अनसेटिंग पैदा हो जायगी। पैरा ६८ में यह कहा है—

"The process of disintegration and reintegration of the existing administrative units must also entail serious dislocation of the administration."

२९वें पेज पर पैरा १०६ में यह कहा है —

"A preliminary but essential consideration to bear in mind, therefore, is that no change should be made unless it is distinct improvement in the existing position and unless the advantages which result from it, in terms of the promotion of 'the welfare of the people of each constituent unit, as well as the nation as a whole' —the objectives set before the Commission by the Government of India—are such as to compensate for the heavy burden on the administrative and financial resources of the country which reorganization of the existing units must entail. The reorganization of States has to be regarded as a means to an end and not an end in itself ; that being the case, it is quite legitimate to consider whether there is on the whole a balance of advantage in any change."

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने स्वयं इस प्रकार के आधार पर स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के विषय में मान्यताएं बनायीं तब ऐसी स्टेट्स में जो कि १०० वर्षों से स्वयं उनके शब्दों में चली आ रही हैं यदि उसमें परिवर्तन किया जाय, उसके ट्रेडीशंस को तोड़ने की कोशिश की जाय तो क्या जो आज ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें अपसेटिंग न होगी, और क्या यह हमारे बीच में दिक्कतें उत्पन्न न करेंगी ? यूनिटी एण्ड सेक्योरिटी आफ इंडिया के विषय में भी उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उसमें उन्होंने यह कहा है कि यदि छोटी-छोटी स्टेट बनेंगी, और खास कर हिन्दुस्तान के उस कोने पर जो कि बाहर के देशों से घिरा हुआ हो. और जिस पर हमला किया जा सकता हो वह भी हिन्दुस्तान के हित में न होगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पेज ३४ पर पैरा ११६ की ओर आकर्षित करूंगा। उसमें उन्होंने कहा है—

"This puts succinctly the case for larger States on the frontier. It seems clear to us that, when a border area is not under the direct control of the Centre, small units and multiplicity of jurisdictions, would be an obvious handicap from the point of view of national security."

यदि ऐसी बात है और उत्तर प्रदेश हमारा ऐसे प्रदेशों में से है जो कि बार्डर पर बसा हुआ है, जिसके ऊपर तिब्बत है, और जिसके नजदीक पंजाब को छोड़ कर पाकिस्तान का मुल्क है तो ऐसे प्रदेश का हम विभाजन करें तो उससे इस देश की सेक्योरिटी और यूनिटी है वह स्थापित रह सकेगी ? अतः उनका यह विचार व्यक्त करना कि उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाय यह कहां तक उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके आधार पर हिन्दुस्तान की यूनिटी को उन्होंने एडवोकेट किया है ? फिर उन्होंने पृष्ठ ५४ पर "रिक्वायरमेंट्स आफ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स" शीर्षक के अधीन एक्स्ट्रा कास्ट आफ रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में बताया है। पृष्ठ ५४ पर पैरा १८९ में उन्होंने लिखा है—

"It is also necessary that the direct extra cost of reorganization should be as little as possible ; and some economy in existing expenditure may even be aimed at. The claims which have been made in the memoranda submitted to the Commission are so numerous and are of such variety that if they were to be substantially met the burden of extra non-development expenditure on Governors, Legislatures, etc., is bound to be very heavy. It is obvious, however, that at a time when all the available resources are to be used for the purposes of the plan, and when attempts are being made to increase such resources through economy in non-development expenditure, a scheme of reorganization which significantly increase load of non-development expenditure would be prejudicial to the national interests."

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने यहां इस बात को व्यक्त कर दिया तो एक प्रदेश जो कि सौ वर्षों से चला आ रहा है, उसके टुकड़े कर के हम उसका नान-डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ा दें, दूसरा लेजिस्लेचर बना कर, गवर्नर और मिनिस्टर आदि बढ़ा कर, और ऐडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा ढांचा बना कर तो क्या यह प्रेजुडिशल नहीं होगा उन विकास के लिये, जिनको उन्होंने आधार माना है नये राज्य निर्माण करने का? इसी प्रकार से पणिक्कर महोदय ने बड़े राज्यों के विषय में और उत्तर प्रदेश के बड़े होने के विषय में जो विचार प्रकट किया है, वह उनके उन विचारों के विपरीत है, जो उन्होंने स्मालर वरसस लार्जर यूनिट्स के विषय में पृष्ठ ६१, पैरा २१८ में व्यक्त किये हैं--

"In actual practice, some of the larger States in India have proved to be the best administered. In fact, efficiency of administration is seldom determined by the size of the unit. There are other factors, such as economic and social conditions within the different areas; political consciousness, tempers and traditions of the people; and the political acumen and the sense of public service of the leaders in different areas, which set the pace of progress and administrative efficiency."

वहां उन्होंने उस रिपोर्ट को लिखने से पहले बड़ी स्टेट्स और छोटी स्टेट्स के विषय में, जो विचार व्यक्त किये हैं, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि बड़ी स्टेट्स का ऐडमिनिस्ट्रेशन एफीशेंट होता है। मैं नहीं समझता कि अगर हम उस उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटें जो १०० वर्षों से अपना कार्य चलाता रहा है, तो वह क्या एफीशेंसी की तरफ हमें ले जायगा?

फिर मैं आप का ध्यान उस स्थल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां उन्होंने स्वयं कहा है--

"The wishes of the people, to the extent they are objectively ascertainable and do not come into conflict with larger national interests, should be an important consideration in re-adjusting the territories of the States."

यदि वे स्वयं इस प्रकार के विचार अपनी रिपोर्ट में व्यक्त करते हैं, तो मैं बहुत अदब के साथ जानना चाहूंगा कि उन बातों का क्या आधार है जिनकी बिना पर उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े कर दिये जायं? प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने अपने विचार इस विषय में प्रकट किये हैं। इस सदन में चन्द साहेबान ने विचार प्रकट किये हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उन सदस्यों में से, जो इस प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, यदि एक या दो व्यक्ति या इस सदन के सदस्यों में से १५, २० या २५ व्यक्ति अपना विचार विभाजन के पक्ष में रखते हैं तो क्या उससे यह मान लिया जायगा कि यह आम जनता का ख्याल है, और आम जनता बटवारे के हक़ में है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बिलकुल विदित हो गया है कि श्री पणिक्कर के विचार जो उन्होंने अपनी मिनिट आफ डिसेंट में व्यक्त किये हैं, वे उन विचारों से, जो उन्होंने स्टेट्स के रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, संगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश लम्बा-चौड़ा है इसलिये उसका प्रभाव सारी इंडियन यूनियन पर पड़ता है। उन्होंने अपनी मिनिट आफ डिसेंट में फेडरेशन कैसा होना चाहिये, उसके विषय में भी बताया है। उन्होंने हमारे फेडरेशन की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की फेडरेशन से कर दी। लेकिन मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरेशन स्ट्रक्चर है वह हमारे फेडरेशन स्ट्रक्चर से बिलकुल भिन्न है। वहां जो सिनेट को अधिकार हैं वह क्या यहां पर हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका का सिनेट है, उसे तो लड़ाई छेड़ने और अन्य बहुत बड़े-बड़े अधिकार हैं। परन्तु अपने यहां तो ऐसी बात नहीं है। जहां तक हाउस आफ दि रिप्रिजेंटेटिव्स का सवाल है, जो रिप्रिजेंटेटिव्स जाते हैं, वह जन संख्या के अनुपात में जाते हैं और जब जन संख्या के अनुपात में वह जाते हैं और पहले से भी जाते रहे हैं तो आज के बदले हुये वातावरण में यह कहना चाहता हूं कि आज का बदला हुआ तावरण और उसके मुकाबले में मैं आज से २० वर्ष पहले का वातावरण .....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। एक ही मिनट में आप अपना सेंटेंस खत्म करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो किसी प्रदेश का प्राबल्य या बहुमत है, वह जांचा नहीं जाता है उस के मेम्बरों की संख्या द्वारा, वह जांचा जाता है दलों के द्वारा, दलों के विचारों के द्वारा क्योंकि अब जहां सरकारें बनती हैं वह दलों की सरकारें बनती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी प्रदेश से किसी समय किसी दल के अधिक व्यक्ति चुन कर आ जायं और वह सरकार केन्द्र में बनायें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर-प्रदेश से अधिक व्यक्ति किसी दल के तहत में घुस जायं और वह सरकार बनायें। कहने का तात्पर्य यह है कि स्टेट्स आगे आने वाले भारत में उतनी ताकत नहीं रखेंगी जितनी कि पोलिटिकल दल और पोलिटिकल विचार। इसलिये मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस विचार की चर्चा करना नितान्त आवश्यकीय नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कोई राय साउथ में खिलाफ न हो तो उसके लिये उत्तर प्रदेश को वे कार्य करने चाहियें जिससे कि साउथ वाले यह समझें कि उत्तर प्रदेश वास्तविक रूप से उनकी सेवा करना चाहता है।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस सदन में इस वाद विवाद में बहुत से सदस्यों ने उत्तेजना से काम लिया और अपने विपक्ष वालों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे शब्द कहे कि जो अनुचित थे, जो उनकी नियत पर सन्देह करते थे और जो इस सदन के लिए शोभा नहीं देते थे। ९७ सदस्यों ने जो एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किये थे और अब उसके विरुद्ध हैं, उनकी नियत पर भी हमला किया और यहां तक कह डाला कि यह जो बदले हैं इस कारण बदले हैं कि उनके ऊपर दबाव है। असली राय उनकी वही है जो उन्होंने जिस समय हस्ताक्षर किये थे। मैं नहीं चाहता था कि उस बात पर कि जो इस सदन से बाहर हुई है, उस पर कुछ कहूं, परन्तु जब यह बात.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों को जब आप उचित नहीं समझते हैं तो क्यों आप उठाते हैं? किन्तु आप शायद उन लोगों में से हैं जिन्होंने नाम वापस लिया है?

श्री रतनलाल जैन—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो फिर कह सकते हैं।

श्री रतनलाल जैन—मैं भी उन लोगों में से हूं जिन्होंने हस्ताक्षर ही केवल नहीं किये थे बल्कि प्रारम्भ में संचालन करने वालों में से एक मैं भी था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस समय हमारी क्या भावना थी और वह क्यों परिवर्तित हुई? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिमी जिले वालों को इस सम्बन्ध में एतराज था कि हमारे पश्चिमी जिलों के सुधार के कामों में खर्चा नहीं किया जा रहा है। जब पश्चिम वाले सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार यह कर रही है, तो वहां के लोग कहते हैं कि आपने हमारे यहां क्या किया? इसीलिए उनमें एक असन्तोष था और इस असन्तोष के कारण यह भावना पैदा हुई थी कि हमारे प्रांविंस का विभाजन हो जाय तो यह अच्छा होगा ताकि उधर भी कार्य हो। परन्तु जब इस पर कांग्रेस के सदस्यों की एक बड़ी मीटिंग हुई और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर एक रोशनी डाली और कहा कि इस कार्य के लिए विभाजन करना तनिक भी उचित नहीं है, जो आप लोगों की इच्छा है उसका पूरा ध्यान रखा जायगा।

[श्री रतनलाल जैन]

इसके पश्चात विभाजन के संचालकगण और सदस्यों की एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि हम अपनी इस योजना को छोड़ दें और पन्त जी के पास जाकर यह कह दें कि हम इस विभाजन की भावना को जो मेमोरेंडम के अन्दर दिखलाई गयी है हम छोड़ देते हैं। चुनांचे दो तीन व्यक्तियों को छोड़ कर सबकी सम्मति से यह निश्चय हो गया । अगले दिन कुछ सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जाकर इस भावना को प्रकट कर दिया। केवल दो-तीन सदस्य इस राय के विरुद्ध थे और उन्होंने ही बाद को विभाजन की राय कायम रखी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें केवल यह भावना थी कि पश्चिमी जिलों में भी कुछ कार्य हो जाय। यह जरूर है कि पहिली पंचवर्षीय योजना में पश्चिम में बहुत कम काम किया गया लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं तो उसमें पश्चिमी जिलों के लिये काफी किया जा रहा है। जहां मिर्जापुर में रिहैन्ड डैम बनाया जा रहा है वहां बिजनौर जिले के पास गढ़वाल के किनारे पर एक बड़ा भारी रामगंगा डैम बनाया जा रहा है जिसमें ४२ करोड़ रुपया खर्च होगा जो रिहैन्ड डैम से भी अधिक होगा। उससे जो सिंचाई होगी वह भी पश्चिमी जिलों में होगी और केवल विजनौर में ही नहीं बल्कि मथुरा और आगरा के जिलों में भी होगी। साथ में जो बिजली बनेगी वह तमाम पश्चिमी जिलों को पहुंचेगी। इसके अलावा जहां आज मिर्जापुर जिले में सरकार ने एक सीमेंट फैक्टरी बनायी है वहां देहरादून घाटी में और पश्चिमी जिलों में भी कोई न कोई इंडस्ट्री और खास तौर से कागज की इंडस्ट्री खड़ी की जायगी। इसलिये मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले दस्तखत किये थे उन्होंने केवल इस भावना से किये थे कि पश्चिमी जिलों का खयाल किया जाय। उन्होंने किसी दबाव के कारण अपने दस्तखत वापस लिये यह मैं कैसे समझ सकता हूं। वे कांग्रेसी सदस्य जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुकाबिला किया, क्या वे आज छोटी-छोटी बातों में पड़ कर अपने को इतना नीचे गिरा लेंगे कि किसी के दबाव में आ जायं ?

विभाजन के पक्ष में बार सबूत उन लोगों के ऊपर है जो विभाजन चाहते हैं। यह इस सदन में मान लिया गया है कि जहां तक भाषा और संस्कृति का सवाल है वह एक ही है। फिर शासन की बात कही गयी कि यहां का शासन ठीक नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि प्रशासन में जो उन्होंने फीगर्स लिये हैं वे सन् ५०–५१ के लिये हैं। इस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने बड़ी प्रगति की है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा दूनी हो गयी है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है। अगर हम ऊंची शिक्षा को देखें तो हायर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीजियेट कालेजेज की संख्या भी बहुत बढ़ गयी है, अस्पतालों की संख्या भी पहले से बहुत बढ़ गयी है, अन्न के मामले में हम अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं, तो हम कैसे कह दें कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, इस सूबे का प्रशासन किसी से नीचा नहीं है। अगर आप दूसरे प्रदेशों में जायं तो वे उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तारीफ़ करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि हमारा प्रशासन खराब है ?

एक बात यह कही गयी कि जो राष्ट्रीय योजनायें हैं उनको सफल करने में हम समर्थ हैं या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश समर्थ ही नहीं बल्कि बहुत से कार्यों में सब में अगुआ रहा है। पहली बात जमींदारी उन्मूलन की है जिसे इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है। दूसरी बात पंचायत राज की है। इसमें भी यह प्रदेश सब से पहला रहा है। श्रमदान के मामले में जो भावना इस प्रदेश में उत्पन्न की गयी है वह भी सब को मालूम है। साथ ही साथ जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम है वह सब से पहले हमारे प्रान्त में इटावा से प्रारम्भ हुई है। जो प्रदेश उत्थान के कार्यों में इतना नेतृत्व करता हो उसको कैसे कहा जा सकता है कि अयोग्य है ।

चौथी बात एकता की है। मैं यह कह सकता हूं और हमारे मान्य सदस्य जितने बैठे हैं वे जानते हैं कि एक हमारा ही प्रान्त ऐसा है जिसमें प्रान्तीयता नहीं है। जो दूसरे सूबे हैं वे इसको इसीलिये हिन्दुस्तान के नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से भाषा के आधार पर आज प्रान्त बनाये जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें प्रान्तीयता बढ़ेगी। इसको रोकने के लिये हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक तो यह कि हम प्रजातन्त्र को मजबूत करें। इसके लिये हमारे पास पार्टी सिस्टम है। विभिन्न दलों की भावनाओं के आधार पर वोट दिये जायं। जैसा कि आज हो रहा है उससे प्रांतीयता का प्रश्न नहीं आता है, यह कम हो जाती है।

दूसरी चीज यह है कि जब हमारे और प्रदेश जब भाषा के आधार पर बन गये हैं, जैसे बंगाल बन गया, आंध्र बन गया, कोई तेलगू भाषा पर बन गया, कोई कन्नड भाषा पर बन गया, और कोई तामिल भाषा पर बन गया और कोई गुजराती भाषा पर बन गया, तो हमारा प्रदेश ही रह जाता है। यानी जब सब लड़ने लगें तो हमारा प्रदेश ही एक माडरेट इंफलुऐन्स रख सकता है। इसलिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है एकता रखने के लिये। जहां तक सिक्यूरिटी का सम्बन्ध है, मुझे अनुभव है उस जमाने का, जब १९४७ में मुस्लिमलीग का बड़ा जोर था, जनसंघ का बड़ा जोर था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंजाब में मारकाट हो रही थी और उस समय हमारे सहारनपुर, हरिद्वार और लक्सर तक में यह बात बढ़ती जा रही थी। उस समय मैं बिजनौर कांग्रेस कमेटी का प्रधान था, और जिस समय यह लड़ने वाले गंगा नदी पार करके आने लगे थे तो हमने मल्लाहों से कह दिया था कि इनको नदी से मत उतरने दो। यदि उस समय का प्रशासन तगड़ा न होता और यह लोग घुस आते तो न जाने हमारे प्रदेश की क्या दशा होती ! यह हमारे यहां की सिक्यूरिटी का सबूत है। तो आज हम इसको टुकड़े करके किस प्रकार से कम हो जाने दें। जहां तक बड़े होने का प्रश्न है मैं इसको बुरा नहीं समझता हूं।

पणिक्कर साहब ने लिखा है उसका और देशों में भी प्रश्न था, जैसे जर्मनी में प्रूशिया का था, रूस में ग्रेटर रूस का प्रश्न था, और अमेरिका में न्यूयार्क का प्रश्न था। इन देशों में भी अपने यहां के प्रश्न को हल किया है जो ऊपर का हाउस है उसको अधिकार देकर। इसी प्रकार हमें कोई एतराज नहीं है। वह संविधान में परिवर्तन कर लें, राज परिषद के अधिकार में परिवर्तन कर दें, और अधिकार बढ़ा दें और वहां पर प्रान्त के रिप्रेजेंटेशन को बराबर रख दें, जो और देशों ने किया है। मैंने इसलिये इनका उदाहरण दिया कि हम भी क्यों न इसी पर चलें। अपने प्रदेश की एकता और सिक्यूरिटी को कम करने की क्या जरूरत है। मैं तो इस विचार का हूं कि इसको और दृढ़ किया जाय।

आज जैसा कि हमारे दोस्तों ने सुझाव दिया है मैं भी चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के पड़ोस में जो जिले हैं और जो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम उनको मिला लें। हमें यह देख कर खेद होता है कि हमारे ऊपर एतराज होता है, और आसपास के छोटे-छोटे प्रान्तों को मिला कर एक बहुत बड़ा प्रान्त बना रहे हैं जैसे मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बचे हुये हिस्से को और भोपाल को मिला कर एक प्रान्त मध्य प्रदेश के नाम से बना रहे हैं। इसका रकबा करीब १ लाख ७१ हजार २०० वर्गमील है और इसमें भी कितनी विभिन्नता है ? वहां तो यह कर रहे हैं और हमारे ऊपर एतराज करते हैं ! मैं उचित समझता हूं कि मध्य भारत के ग्वालियर, मुरेना, शिवपुरी तथा भिंड और विन्ध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़ बग़ैरा और बघेलखंड के रीवां आदि जिलों को अगर वह तैयार हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाय। जैसा कि राजा वीरेन्द्रशाह का प्रस्ताव है इन जिलों को मिला लिया जाय। इनके मिलाने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ५७ लाख आबादी और

[श्री रतनलाल जैन]

आ जायगी और ३५ हजार वर्गमील रकबा बढ़ जायगा और फिर हमारे प्रदेश का रकबा १ लाख ४८ हजार वर्गमील होगा और मध्य प्रदेश का एक लाख ७१ हजार २०० मील के स्थान पर १ लाख ३५ हजार रह जावेगा । इसलिये मुझे यह बात ठीक जंचती है । मैं तो उनसे यह अर्ज करूंगा कि जो उनके आक्षेप हैं उनके लिये वह संविधान में परिवर्तन करा लें ।

अब रही हमारे और भाइयों के आक्षेपों की बात । जो आक्षेप हमारे इस सदन में बैठे हुए कुछ भाइयों ने किये हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि शायद उनका ख्याल है कि गवर्नमेंट पूरब के जिलों को इतनी अधिक सहायता न दे । मैं उनसे यह कहूंगा कि यह हमारी संकीर्णता होगी कि जो प्रदेश पिछड़े हुए हैं उनकी हम सहायता न करें । मैं तो कहूंगा कि करीब ६०, ७० फीसदी हिस्सा उनके लिये खर्च होना चाहिये और २५, १० फीसदी हमारे उन्नत प्रदेशों के लिये । मैं समझता हूं कि मेरी इस बात को हमारे पश्चिमी भाई भी पसन्द करेंगे ।

कुछ भाइयों ने अम्बाला कमिश्नरी को उत्तर प्रदेश में शामिल करने की बात कही । मेरी समझ में वह नहीं आई । जहां तक मैं जानता हूं अम्बाला के आदमी और पंजाब के आदमी एक प्रदेश महापंजाब के समर्थक हैं, वहां की हिन्दू जनता महापंजाब की समर्थक है और उनकी यह इच्छा नहीं है कि अम्बाला कमिश्नरी को निकाल कर एक नया प्रदेश कायम किया जाय । मुझे तो अपने भाइयों के विचारों पर खेद होता है कि जब यह चाहते हैं कि हम उन प्रदेशों को मिला कर एक नया राज्य तैयार करें कि जहां के लोग ऐसा होने देना नहीं चाहते । वह प्रदेश जो सौ, डेढ़ सौ बरस से मिला हुआ है और जिसका काम ठीक तरह से चल रहा है और जो अलग होना नहीं चाहते । मैं इस तरह से जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, विगत तीन दिनों से उत्तर प्रदेश के पुनस्संगठन अथवा विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अत्यन्त प्रभावोत्पादक और विद्वतापूर्ण वक्तायें हो रही हैं । वास्तव में यह प्रश्न एक ऐसे महत्व का प्रश्न है कि जिसमें अत्यन्त गंभीरतापूर्वक वक्ताओं को भविष्य को देखने और विचार करने की आवश्यकता है ।

इस विभाजन और पुनस्संगठन की मांग को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होगा कि यह मांग देश के, राष्ट्र के विभाजन की नहीं है बल्कि प्रदेश के विभाजन की है । इसमें यह सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता कि जो किसी राष्ट्र विभाजन के संबंध में लागू किया जा सकता है । जब हम अमरीका, आस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस आदि दूसरे देशों की उन योजनाओं और सिद्धांतों को देखते हैं कि जिनके आधार पर वहां प्रदेशों का विभाजन किया गया है, तो उनसे यह स्पष्ट होता है कि वहां भाषा के, संस्कृति के आधार को छोड़कर बहुत ही कम ऐसी आवश्यकतायें प्रतीत हुईं कि जिनके आधार पर प्राविंसेज का, प्रदेशों का विभाजन किया जाय । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में, जिस समय वाशिंगटन में रिपब्लिक की घोषणा हुई उस समय चंद राज्य थे । आज उसमें ४८ राज्य हैं, लेकिन आज तक उनमें परस्पर बटवारे का प्रश्न पैदा नहीं हुआ । वहां के प्रान्तों में प्रशासकीय दृष्टिकोण से बटवारे का प्रश्न आज तक पैदा नहीं हुआ । रूस में भी जो प्रान्तों का विभाजन हुआ वह विभाजन भाषा और नेशनैलिटी के आधार पर हुआ, केवल शासन प्रबन्ध के दृष्टिकोण से वहां पर प्रान्तों का विभाजन नहीं हुआ । आज भी जो हम पद्धति देखते हैं, जो परंपरा स्थापित होते देखते हैं उसकी सबसे बड़ी ताजी मिसाल पाकिस्तान में मिलती है जहां तीन, चार प्रान्तों को मिला कर एक यूनिट बनाने की परिकल्पना वहां की राष्ट्रीय सरकार को अभी हाल में करनी पड़ी । वहां उन्होंने भाषा के प्रश्न को ठुकरा दिया, संस्कृति के प्रश्न को ठुकरा दिया, जिसे हम भारत में मानते हैं । लेकिन वहां परिस्थिति विशेष के कारण एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"वन यूनिट स्कीम" लागू करना उनके लिये अनिवार्य हो गया। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करने का अवसर मिलता है।

अगर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को लें तो हम यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि आज है उसको अंग्रेजों ने बनाया। वही ब्रिटिश नौकरशाही की देन है यह स्पष्ट है, लेकिन इतिहास यह बतलाता है कि यह उत्तर प्रदेश जैसा कि आज है वह उस नौकरशाही ने एक सुन्दर प्राविन्स की दृष्टि से संगठित किया था। आखिर इस उत्तर प्रदेश को सन् १७७५ में आसफुद्दौला ने पहली बार ईस्ट इंडिया कम्पनी को दिया। तत्पश्चात् १८०१ में जब कि यहां पर नवाब सआदतअली अवध के नबाव थे, उस समय गंगा और यमुना के बीच के हिस्से को अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को दिया। उसके बाद १८०३-४ में जब मरहठों से युद्ध हुआ तो जमुना के उत्तर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा उस समय पहले पहल अंग्रेजों ने मरहठों से विजित किया। १८१६ के करीब गढ़वाल और कुमायूं का हिस्सा गुरखों से जीत कर अंग्रेजों ने इसमें मिलाया। उस समय बंगाल की प्रेसिडेंसी के मातहत यह हिस्सा था। तत्पश्चात् १८३६ में इस अवध को लार्ड डलहौजी ने एक प्रांत के रूप में स्थापित किया और उस समय इसका नाम नार्थ वेस्ट प्राविन्स अंग्रेजों ने अलग स्थापित किया और १८५६ में अवध का प्राविन्स डलहौजी ने स्थापित किया। इस तरह से इसके दो हिस्से हो गये। एक तो नार्थ वेस्ट प्राविन्स जिसको आगरा प्राविन्स कहा जाता था, और दूसरा अवध प्रान्त जो कि बीच में था, और जिसको डलहौजी ने स्थापित किया था। लेकिन उसका पुनस्संगठन किया गया और वह मजबूरी की वजह से संगठित किया गया तो इन दोनों राज्यों को मिलाया। फिर १८७० में इस नार्थ वैस्ट प्राविन्स को और अवध को मिलाया गया। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों को शासकीय आवश्यकताओं को देखते हुये इन दोनों हिस्सों को मिलाना पड़ा। उस समय यह नार्थ वैस्ट एन्ड अवध के नाम से मशहूर हुआ। सन् १९०१ में इसको आगरा व अवध प्राविन्स की संज्ञा दी गयी। लेकिन अंग्रेजों ने निर्माण की आवश्यकता को देखते हुये, चूंकि उनको शासन चलाना था तो उन्होंने बहुत विचार और संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की एक इकाई बनायी। मैं समझता हूं कि शासकीय, आवश्यकताओं ने इस बात के लिये उनको मजबूर किया कि इस प्रांत की वह एक इकाई बनाये। इसलिये आज जो यह उत्तर प्रदेश एक यूनिट में है इसका इतिहास बहुत लम्बा नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक बहुत निचोड़ और निष्कर्ष के बाद बनाया गया। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको साधारणत: अलग-अलग करना कोई सिद्धान्त की बात नहीं होगी। परन्तु इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि इसके पीछे संघर्ष का इतिहास और विद्रोह का इतिहास रहा है। क्या हम यह चाहते हैं कि प्रदेश में इस प्रकार की आवाज उठाकर यहाँ पर कोई विरोध की भावना उत्पन्न की जाय? राष्ट्रीय भावना से अलग होकर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। क्या हम राष्ट्रीय भावना से अलग नहीं हो रहे हैं? क्या हम यहां पर पृथ्वीराज, जयचन्द की तरह से पुराने इतिहास को दोहरा कर लड़ाई नहीं चाहते हैं जिन्होंने बुन्देले, चौहान और मरहठों से युद्ध किया था। मैं उस पुराने इतिहास को दोहराने की कल्पना नहीं कर सकता हूं। हमको तो नया इतिहास बनाना है। पुराने इतिहास की परिपाटी को छोड़ना है। समाजवाद के ढंग पर नये समाज का निर्माण करना है और इसी हैसियत से हमको अपने प्रांत का निर्माण करना है और उसी हैसियत से अपनी संस्कृति और भाषा का सामन्जस्य करना है। आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसको जरा हम देखें।

आदरणीय श्रीचन्द्र जी की जो मनोकामना है उसकी मैं इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा ऊंचा आदर्श अपने संशोधन में रखा है, लेकिन जब मैं उसको देखता हूं तो उसमें उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश के संगठन की मांग नहीं की है बल्कि तीन और प्रदेशों के संगठन की मांग की है। प्रस्ताव पूर्ण होना चाहिये था लेकिन उनका संशोधन अधूरा है जिसको उन्होंने मिलाने के लिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कहा है, उसमें अम्बाला डिवीजन भी है कि उसको मिला दिया जाय। पंजाब को भी पुनस्संगठित करने की बात उन्होंने कही है। तो क्या इससे पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन नहीं करते हैं। जो हमारे मित्र अम्बाले डिवीजन के मिलाने की बात करते हैं, वह पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन करते हैं। यह बात स्पष्ट नहीं है, कम से कम मैं समझ नहीं पाया। महेन्द्रगढ़ जो पेप्सू का अंग है और जिसकी मांग राजस्थान ने की है कि उसे राजस्थान में मिलाया जाय, इस तरह से महेन्द्रगढ़ तीन प्रदेशों का प्रश्न बन जाता है। इसी तरह भरतपुर, धौलपुर, अलवर जो राजस्थान के अंग हैं उनकी मांग इस संशोधन में की गयी है। इस तरह से अगर वे स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं तो फिर बाकी राजस्थान का क्या होगा? इसकी एक सम्पूर्ण तस्वीर हमारे सामने रखनी चाहिये थी कि राज्यों के पुनर्निर्माण के बाद इन चारों राज्यों के भविष्य का नक्शा क्या होगा। संशोधन से यह स्पष्ट नहीं होता, मसलन पुरानी दिल्ली को मिलाने की बात तो उन्होंने की है लेकिन नयी दिल्ली का क्या होने वाला है, यह संशोधन से स्पष्ट नहीं होता? फिर एक हरियाना प्रान्त की बात, ब्रज प्रदेश की बात और पश्चिमी प्रदेश की बात की जाती है लेकिन इन तीनों के दृष्टिकोण में आपस में सामंजस्य नहीं है जिसका होना अत्यन्त आवश्यक है। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, चार राज्यों के पुनस्संगठन के आधार पर यह संशोधन कसौटी पर खरा नहीं उतरता पर साथ ही साथ जैसा कि श्री पणिक्कर के नोट में है, पणिक्कर साहब की विद्वत्ता में कोई संदेह नहीं हो सकता, केवल एक बात है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पणिक्कर साहब के नोट आफ डिसेंट में कहा गया है कि मध्य भारत के चार जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं, केवल यू० पी० के नोट आफ डिसेंट में यह चीज है लेकिन मध्य प्रदेश के नोट आफ डिसेंट में इसका कोई जिक्र नहीं है। पेज १३२ पर आप देखेंगे कि जिस में यह लिखा है मध्य प्रदेश में ये हिस्से मिला दिये जायं। श्री पणिक्कर ने मध्य प्रदेश के लिये कहा है कि ये चार जिले मध्य प्रदेश में मिला दिये जायं, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश के लिये नोट आफ डिसेंट है वहां उन्होंने लिखा है कि ये चार जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। इससे मालूम होता है कि इन चार जिलों के बारे में पणिक्कर साहब की दो रायें हैं कि उनको मध्य प्रदेश में मिला दिया जाय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिला दिया जाय। तो इस तरह जो यह इशारा है यह जरा स्पष्ट नहीं है कि वे मध्य प्रदेश में रहें या उत्तर प्रदेश में रहें।

अब दूसरी बात यूनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका के बारे में कही गयी कि वहां जितने अलग-अलग स्टेट्स हैं उन सबका प्रतिनिधित्व सिनेट में बराबर है और इसीलिये बड़े स्टेट और छोटे स्टेट के मुकाबले में उनके स्वार्थ का कोई अहित नहीं होता है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैंने दो-चार किताबें देखने की चेष्टा की कि यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहासकारों ने इस बड़े महत्वपूर्ण प्वाइंट के बारे में क्या कहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के हिस्टरी के प्रोफेसर मि० मकलालिन ने कहा है कि वहां पर अमेंडमेंट किस तरह से हुआ:—

"The truth is, the nationalists had lost little or nothing, though some of them were for the moment discouraged. Equal representation of the States in the Senate neither injured the large states as such nor destroyed the principle of nationalism ; in the long run it probably had no appreciable effect in preserving the states from being compounded into a consolidated republic ; it did not protect the smaller states against their larger neighbours."

सिनेट में किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो छोटे-छोटे यूनियन्स होते हैं उनके हित की रक्षा के खिलाफ कोई बात नहीं होती है, यह बात ठीक है कि सिनेट में प्रत्येक राज्य को बराबरी का अधिकार दिया गया है लेकिन अमेरिका के इतिहासकारों का कहना है कि वह संशोधन केवल कागजी संशोधन ही रहा है। सिनेट में बराबर प्रतिनिधित्व होने के बाद भी छोटे राज्यों का किसी भी तरह से कोई अहित नहीं किया गया है। मैं एक और दृष्टिकोण से इस प्रश्न को आपके सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक श्री झारखंडे राय जी के संशोधन का प्रश्न है उन्होंने इस सिद्धान्त को रखने की चेष्टा की है कि उप-भाषाओं के आधार पर प्रान्तों का विभाजन किया जाय। अगर सिद्धान्ततः यह बात सम्भव होती तो मैं उनके संशोधन का समर्थन करता, लेकिन संशोधन अगर उनका स्वीकार कर लिया जाय तो हिन्दुस्तान को कितने हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में बांटना होगा, मैं समझ नहीं पाता। सेंसेस रिपोर्ट आफ इंडिया जो है उसमें हिन्दी डाइलेक्ट्स की लिस्ट दी गयी है कि कितनी ऐसी बोलियां हैं जो हिन्दी की उप-भाषायें मानी जा सकती हैं और कितनी ही ऐसी बोलियां हैं जो कि हिन्दी का उपभाग मानी जा सकती हैं! और हमारे यहां ८१ डायलेक्ट्स हैं जैसे भोजपुरी, बुन्देली, हिन्दुस्तानी, बलाही, लोधी, किरारी, रघुवंशी, धमदी, ब्रजभाषा, जाटू, परदेसी, कलारी, भातू, भंगी, गोसवी, ओझा, अवधी, नूनिया, बैगनी, पांडो, भोपारी, गूजर, मारवाड़ी, मैथिली आदि यह सब ८१ हिन्दी भाषा के डायलेक्ट्स हैं। यदि इसी आधार पर हम भाषावार क्षेत्रों का विभाजन करें तो मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त विडम्बना होगी और इस आधार को भी नहीं माना जा सकता। मेरा तो यह निश्चित मत है कि कम से कम दस साल के लिए हमें पश्चिमी, पूर्वी, पर्वतीय या बुन्देलखंडी किसी भी भाग के रहने वालों को मिल कर इस प्रश्न को न उठाना चाहिए और अपने वर्तमान शासन को सुधारने की चेष्टा करना चाहिये, और एकोनामिक या सामाजिक जिस दृष्टिकोण से भी हम अपने को संगठित कर सकें हमें अपने को और अपने रिसोर्सेज को संगठित करके प्रदेश की उन्नति करने में तत्पर हो जाना चाहिए। यदि दस वर्ष के बाद ऐसी आवश्यकता होती है और हम समझें कि हम शासन प्रबन्ध ठीक से नहीं चला सकते तो किसी भाग के शासन का नियंत्रण यदि न हो पाता हो तो उस वक्त हम इस चीज पर दोबारा विचार कर सकते हैं कि शासकीय आधार पर हमारा संगठन कैसा है?

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी के संशोधन का प्रश्न है इसके मुताल्लिक मैं एक बात कहूंगा कि माइनर एडजस्टमेंट की बात मैं नहीं समझ सका कि वह कैसे हो सकता है। अगर वह अपनी भाषा को स्पष्ट कर दें कि उन्होंने विन्ध्यप्रदेश के ऊपर के भाग की मांग की है तो ठीक होगा। मैं समझता हूं कि राजा साहब का सुझाव और अधिक स्पष्ट है और वह आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, लेकिन उसको मानने में केवल वही दिक्कत आती है कि उसकी स्वीकृति के बाद उत्तर प्रदेश के विभाजन की आवश्यकता केन्द्र के लोग महसूस न करने लगें। यदि वह महसूस न करें, या जो कमीशन के सदस्य हैं और जो कमीशन अभी संगठित है वह महसूस न करें तो वृहद् उत्तर प्रदेश की जो बात कही जाती है तो वह वृहद् उत्तर प्रदेश न होगा। यदि विभाजन न हो और संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो विशेष आपत्ति न होगी। इसलिए मेरी राय है कि आनेवाले दस वर्षों तक सारे प्रदेश के लोग इसी प्रकार मिलकर इस प्रदेश को समुन्नत, समृद्धिशाली और विकसित करने की चेष्टा करें और उसके बाद यदि प्रशासकीय दृष्टि से कोई दिक्कत आवे तो फिर से इस सवाल पर गौर दस वर्ष बाद कर लें।

निर्माण उप-मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य) (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित आगरा प्रदेश के बहुत निकट का निवासी होने के नाते मेरा यह पुनीत कर्तव्य हो गया कि मैं अपने विचारों को आज सदन के समक्ष रखूं। ३ दिन से निरन्तर इस सदन के समक्ष सीमाओं के संबंध में और मुख्यतः २ प्रश्नों को लेकर, पहला यह कि उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय और दूसरा यह कि उसका बटवारा कर दिया जाय, वाद-विवाद हो रहा है। मुझे यह भी स्वीकार करने में संभवतः हिचक नहीं है कि यहां बहुत मूल्यवान बातें भी कही गई हैं। मैं, श्रीमन् के द्वारा, यदि सदन के माननीय सदस्यों को यह याद दिलाऊं कि अंग्रेजी कवि की उक्ति के अनुसार कि "When tempers rise, reason dies." अर्थात जब कभी आवेश और क्रोध में लोग बात करते हैं तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। यह उक्ति मैं समझता हूं कि सदा के लिये ही सत्य है। बहुत सी चीजों को यहां सदन में दोहराया गया है और शायद बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों को बहुत सी भाषाओं में कहने का प्रयास किया है। मैं यदि नम्रतापूर्वक इस सदन के समक्ष केवल ३ बातें रखने की चेष्टा करूं तो यह अनुचित न होगा।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मोटे तौर पर यहां कहा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। बड़ा है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में और उसके परिणामस्वरूप उसका शासन ठीक नहीं होगा और इसलिये इसका बटवारा कर दिया जाना चाहिये। कहीं यह भी कहा गया कि भाषा के कारण नहीं, संस्कृति के विचार से नहीं किन्तु आर्थिक कारणों से इसका बटवारा किया जाना चाहिये। और तीसरे मुख्य रूप से यह कहा गया कि यह आवश्यक है कि उसका बटवारा किया जाना चाहिये। यदि समस्त भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और उसकी संस्कृति और हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, यदि इस बात का बहुत छोटा सा विश्लेषण इस सदन के सामने किया जाय और यदि पुनरावृत्ति का मुझे दोषी न कहा जाय तो मैं केवल यह कहूंगा कि यह तो इस आयोग के आलेख्य से सर्वविदित है कि कोई प्रदेश बड़ा है, इसका उसके शासन पर कोई प्रभाव पड़े तो यह तो गलत है। बराबर कहा गया कि यह प्रदेश बड़ा है तो निश्चित है कि उसका शासन पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश बड़ा है, जनसंख्या या क्षेत्रफल में इन दोनों में विशेष अन्तर नहीं पड़ता। बराबर इस चीज को दोहराया गया है कि प्रदेश बड़ा है इसलिये मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पहुंच नहीं सकते, हर जगह।

मेरे भाई परिपूर्णानन्द जी ने उत्तर दिया कि अभी कुछ थोड़ी सी परिपाटियां हम बना रहे हैं हमें उनको बढ़ाना है। यह भी संभव है कि प्रजातंत्रीय शासन में मंत्री लोग दौरा करें यह संभव न हो, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह बड़ा है और मंत्रीगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाते इसलिये उसको काट दिया जाय यह कोई तर्क नहीं है। क्या कुछ मंत्रिगण बढ़ाये नहीं जा सकते हैं? यह भी संभव हो सकता है कि कुछ मंत्रिगण बढ़ाये जा सकते हैं और इस प्रदेश के शासन में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अपने विरोधी मित्रों को यह कहने का अवसर मिला कि शासन में खराबी है और रामेश्वर लाल जी ने जो उस पर बहुत स्पष्ट कहा कि शासन खराब है उसको पहले आप लोग खत्म करें। उसके बाद और कोई बात करें। और हमारे माननीय मित्र गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि इधर के लोग भी अब उनके साथ हैं। तो मैं उनसे अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि स्मरण रखिये कि चाहे इस आयोग के आलेख्य के संबंध में हम सौ और पांच हैं किन्तु उनके लिये तो हम १०५ हैं। और मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शायद उनके मस्तिष्क में यह ख्याल आया हो कि आज हम इस आयोग के विवाद के संबंध में जबकि यह चर्चा करते हैं कि यह शासन कुछ खराब है या हमारे मित्र ने जैसे उस दिन दारुलशफा का जिक्र कर दिया तो आज वे चाहे इस प्रदेश की उन्नति का जिक्र न करें लेकिन इस प्रदेश ने किस प्रकार जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया, किस प्रकार आम आदमी की आमदनी बढ़ी, किस प्रकार हमने अपनी फसलों को उत्तरोत्तर बढ़ाया, आम आदमियों की भूख की चिन्ता में यहां का शासन व्यस्त रहा है, और किस प्रकार से आगे के निर्माण के कार्य में यह शासन व्यस्त है जिसको माननीय सदस्य अपनी दृष्टि से हटाना स्वीकार नहीं करेंगे। आज तो केवल कुछ मोटी सी चीजें हैं जिन पर हम अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकते हैं।

मैं अवश्य अपने उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश का बटवारा किया जाय उनकी सेवा में, श्रीमन् आपके द्वारा, कुछ थोड़े से तथ्य उपस्थित करने की धृष्टता करूंगा। यह क्यों चाहते हैं कि इस प्रदेश का बटवारा किया जाय? उन्हें कुछ भाइयों ने उत्तर दिया है कि ऐतिहासिक रूप में इसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे मित्र इस संबंध में कृपा करके इतना अवश्य विचार कर लें कि इतिहास मनुष्य का सौभाग्य से सबसे बड़ा शिक्षक है। समय-समय पर वह मनुष्य को शिक्षा देता है और अपने पन्ने खोलकर सामने रख देता है, मनुष्य के लिये कि पढ़ो, विचारों और भविष्य का निर्माण करो! आखिर हमारे मध्यकालीन युग में राणा सांगा ने यहां जन्म लिया, राणा प्रताप ने यहां जन्म लिया, जौहर की प्रथाओं ने स्थान ग्रहण किया, त्याग और तपस्या ने हमें प्रेरित किया, अपनी त्याग, तपस्या और संन्यास के द्वारा ही हम एक निश्चित परिवार के रूप में, निश्चित प्रथा के रूप में हमारा प्रदेश पनपा और चला। इस देश ने महाबली

अर्जुन और महाबली भीम को उत्पन्न किया, इस देश ने महाभारत के दृश्य देखे लेकिन दुर्भाग्यवश संभवतः १हजार वर्ष पहले हमने दासता की श्रृंखला अपने पैरों में न जाने कैसे डाल ली? क्या माननीय सदन के सदस्यगण यह विचार कर सकेंगे कि उसका कारण क्या था। हमारे यहां तो महान राष्ट्र थे। हमारे यहां तो महान वीर थे, योद्धा थे, त्यागी थे, तपस्वी थे फिर दासता की श्रृंखला कैसे आई? कुछ उन व्यक्तियों द्वारा जो बहुत छोटी संख्या में इस देश में आये। यदि हम इतिहास के पन्नों को पढ़ना चाहते हैं, यदि हम देखना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से मैं आज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि निश्चित रूप से शायद ऐसा कहने में अपने प्रति नैतिक अपराध करता हूं। हमारी संकीर्णता, हमारी क्षुद्रता ने, हमारे विवाद ने, हमारे इस बटवारे ने हमको दास बनाया, क्या यह सही नहीं है कि चंदेले और बुन्देलों की लड़ाई ने इसको दास बनाया? क्या यह सही नहीं है कि छोटे-छोटे राज्यों में बटवारा होने के कारण इस देश में राष्ट्रीयता जन्म नहीं ले पाई, राष्ट्रीयता पनप नहीं पाई? क्या यह सही नहीं है जैसा कि उस अंग्रेज विद्वान ने दासता के संबंध में लिखा, कि मुझे तो सचमुच इसका बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में कोई हिन्दुस्तानी नहीं, कोई भारतवासी नहीं? उसने कहा कि यहां मुसलमान हैं, हिन्दू हैं, और अन्त में उसने कहा कि यहां हिन्दू भी नहीं, यहां कोई मुसलमान भी नहीं, यहां पर तो न जाने कितने हिन्दू हैं, न जाने कितनी जाति और उप-जातियों में बटे हुये हिन्दू हैं और उनके अलग-अलग राष्ट्र हैं, अलग-अलग राज्य हैं। इसी कारण इस देश ने उस दासता की श्रृंखला को अपने पैरों में डाल लिया। एक हजार वर्ष के पश्चात त्याग, तपस्या और अपरिमित रक्तदान द्वारा उस श्रृंखला को यह राष्ट्र छुड़ा पाया। प्रांतीयता के नाम पर, मुझे क्षमा करें, मैं स्पष्ट रूप से इसको सदन के सामने रख दूं कि आज मेरा विश्वास इस देश में भाषावार प्रांतों में भी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि भाषा की सीमाओं में इस राष्ट्र को बांधा गया तो संभव है जिस चीज का नाम जाति और उप-जाति के राज्य थे, वही संभवतः किसी दिन भाषा के राज में भी इस देश के अपहरण की तैयारियों में न लग जायं। मैं समझता हूं कि भाषा और संस्कृति के द्वारा राष्ट्रों का निर्माण होता है। मैं समझता हूं कि भाषा संस्कृति, उसकी अर्थ-व्यवस्था, भौगोलिक कारण और उसके अतिरिक्त कुछ दूसरे कारण जिनमें प्रशासकीय कारण भी हैं जैसे किसी राष्ट्र या उप-राष्ट्र की सुरक्षा का कारण होता है, इनके द्वारा भी राष्ट्रों की रचना होती है, लेकिन इसके अर्थ यह नहीं है कि निश्चित रूप से आज हम केवल भाषाओं द्वारा इस देश के बटवारे की चर्चा करें। आज इस चीज को कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन यह ठीक है कि भाषाओं के नाम पर इस देश में जो तांडव नृत्य--आप मुझे क्षमा करें, एक ऐसी कटु आलोचना के लिये जिसमें असेम्बली भवन में लोग घुस कर किसी को मारपीट कर सकते हैं--उस तांडव नृत्य को अपने प्रदेश में हमें उपस्थित करना है तो शायद वह दिन इस प्रदेश का दुर्दिन होगा। कैसे हम भविष्य के लिये चिन्ता करें, कैसे इस देश के निर्माण का प्रश्न हमारे सामने आये? यदि जाति के नाम पर भाषा का प्रश्न स्थान लेगा, तो यह ठीक है कि भाषावार प्रान्त बनने से इस देश में प्रांतीयता और पनपेगी और मैं कैसे उस चीज को इस सदन के सामने रखूं। मेरे मित्रों ने ब्रजभाषा का नाम लिया और मेरे कुछ मित्रों ने भोजपुरी भाषा का नाम लिया। शायद उनको यह नहीं मालूम कि मथुरा में ब्रजभाषा एक है और पूरे ब्रज में ब्रजभाषा दूसरी है! और शायद उनको यह भी न मालूम हो कि मथुरा में चतुर्वेदियों की भाषा दूसरी है और मेरी भाषा दूसरी है। उनको शायद यह भी नहीं मालूम कि जिस भोजपुरी का उन्होंने जिक्र किया उसके कितने भेद और विभेद हैं! किस नाम को लेकर इस प्रांत का बटवारा हो और कैसे इस प्रांत के भविष्य और भाग्य का निर्माण हो। श्रीमन्, मुझे तो स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने यह रखना है कि शायद जिन विचारों से प्रेरित होकर आज हम इस सदन में कुछ विचार कर सकते हैं, वे विचार हमारे लिये बहुत स्पष्ट हैं। वे हैं इस देश को अक्षुण्ण रखने की क्षमता, इस देश की हमारी नव-अर्जित स्वतंत्रता की अभिवृद्धि की चिन्ता, और शायद उसी के द्वारा आज हम इसी विवाद पर आगे बढ़ सकते हैं। छोटी चीजें हैं, संकीर्णतायें हैं और शायद ऐसी हैं, जो इस प्रदेश को सदा के लिये समाप्त कर दें।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

एक ऐसे प्रदेश का निवासी होने के नाते, जिसकी ओर से यह आवाज उठायी गयी, मैं सचमुच लज्जित हूं। जब मेरे मन में आता है कि मेरे कुछ भाइयों ने अपने मन में विचार किया कि आज हम कुछ स्वस्थ और सम्पन्न हैं, चूंकि हमारा छोटा भाई कुछ दुखी है, कुछ दीन है, कुछ नग्न है, कुछ ऐसा है जो आज भी सत्तू खाता है, कुछ ऐसा है जिसको सात आने पैसे मजदूरी मिलते हैं, कुछ ऐसा है कि जो वस्त्र हैं वे फटे हैं। कुछ ऐसा है जिसको भोजन और वस्त्र की कमी है, और इसलिये हमारे मन में ऐसी भावना जागी कि उस छोटे भाई को कान पकड़ कर बाहर खड़ा कर दें और यदि आज मैं इसको दूसरे रूप में कहूं, इतिहास इसके लिये हमें क्षमा नहीं करेगा। हमारी संकीर्णताओं के लिये इतिहास हमसे उत्तर मांगेगा और अगर यह सदन कोई उत्तर दे सकेगा, वह होगा जो आज हम छः बजे देंगे।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और जो संशोधन इसमें आये हैं उनका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य पुनस्संगठन कमीशन बनाया गया उसका एक उद्देश्य था और वह उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में अपने स्वार्थ के लिये तमाम सूबे बना दिये थे। वे बहुत छोटे-छोटे और बड़े भी एकाध थे और उनसे उनका स्वार्थ साधन होता था। जबसे देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इस देश के अन्दर तमाम जो ए, बी, सी क्लास के राज्य थे, उनको विलीन करने और उनको ऐसे स्तर पर लाने की कोशिश की गयी जिसमें वे छोटे-छोटे राज्य बड़ी इकाइयों में आ जायं और इस देश का राज्य-संचालन सुचारु रूप से चले। यही उस कमीशन का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को ले कर वह चला। कमीशन ने इस उद्देश्य में काफी कामयाबी हासिल की है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिये पणिक्कर साहब ने टिप्पणी दे दी, उससे हमारे साथी कुछ दूसरी बात समझ गये कि हम इस उत्तर प्रदेश का बटवारा कर सकते हैं, और दूसरा शासन बना सकते हैं। यह एक ऐसी बात है जो कि हमें १५,२० वर्ष पहले ले जाती है जब कि यहां की अमन सभायें जो अंग्रेजों के हाथ में खेला करती थीं और वे पाकिस्तान के लिये तथा अपनी जाति के लिये बटवारा करना चाहती थीं, साम्प्रदायिक आधार पर इस देश के टुकड़े करना चाहती थीं।

उस समय की बात मैं थोड़े से शब्दों में सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सोचिये कि पंद्रह बीस वर्ष पहले यहां क्या दशा थी। एक राजा साहब कोशला थे, जिन्होंने अजगर संघ बनाया था, वह चाहते थे कि सारे अजगर वर्ग का राज्य हो जाय। उन्होंने इसमें अहीर, जाट-गूजर जो कि कश्मीर और पंजाब में भी फैले हुये हैं, उनकी कोशिश थी कि उन लोगों का एक ऐसा राज्य बना दिया जाय जिससे एक बहुत बड़ा शासन बन जाय। यहां ऐसी भी संस्थाये थीं, जैसे सर छोटूराम साहब ने जाटों की संस्था बनायी थी। संसार संघ कायम था जो कहते थे कि पठानों को भी राजपूत गिना जाय। ऐसी तमाम संस्थायें थीं जो साम्प्रदायिक आधार पर बनी थीं, वे अंग्रेजों के हाथ में खेला करती थीं और इस देश की एकता को मिटाने के लिये हर तरह की कार्यवाही करती थीं। लेकिन जहां तक हमारे साथियों का सवाल है, जो उन्होंने इस समय सदन के सामने संशोधन रखे हैं उनमें जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है सारा विरोधी पक्ष और सारा सदन जो यहां पर हैं वह उन संशोधनों के खिलाफ है। हमारे कुछ साथी हैं जो चाहते हैं कि इस प्रदेश का बटवारा हो, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके सामने यह कह देना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश जो है वह हमारे हिन्दुस्तान का हृदय-प्रदेश है, इसको हम हृदय-प्रदेश कहते हैं और हृदय-प्रदेश इसको हम इसलिये कहते हैं कि भारत में इस प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान है। मैं पन्त जी के लफ्जों में बतलाना चाहता हूं, पूर्वी और पश्चिमी जिलों की जन शक्तियों के बल पर पन्त जी ने एलान किया था कि अगर पाकिस्तान चढ़ाई करेगा हिन्दुस्तान पर, तो उत्तर प्रदेश अकेला उसका मुकाबिला कर लेगा और उसको परास्त कर लेगा। यह उसका बल था। इसलिये यह उत्तर प्रदेश का मान कोई मामूली मान नहीं है। इतिहास भी इस बात को बतलाता है कि आज उत्तर प्रदेश का जो

मान है वह सारे संसार के अन्दर उसका मान रहा है। आज आप क्षितिज को देखिये, सूर्य को देखिये, चन्द्र को देखिये, सप्तऋषियों को देखिये, ध्रुव को देखिये और शुक्र-बृहस्पति व राहु, केतु को देखिये! यह सब क्षितिज, नक्षत्रों ग्रहों के जो नाम पड़े हुए हैं इनका नामकरण किसने किया? यह सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे और यहीं शरीर धारण किये हुये थ। यह सूर्य वंश और चन्द्र वंश जिसमें कि राजा भगीरथ हुये, हरिश्चन्द्र हुये, ऐसे-ऐसे प्रतापी राजा हुये, जो गंगा ऐसी नदी को ले आये, अपने परिश्रम से लाये, जो कि सारे संसार में पूज्य हो गईं और यही नहीं, भगवान राम यहीं हुये, जिनके ऊपर रामायण की रचना हुई, भगवान श्रीकृष्ण जी यहीं हुये, उन्होंने गीता की रचना की। आज रामायण, गीता, महाभारत और यह हमारे ऋषियों की बनाई हुई स्मृतियां, वेद, शास्त्र और उपनिषद इत्यादि जिनका सारे संसार में आदर होता है, वह सब यहीं बने। हमारे आगरे के अंगिरा जी, अत्रि जी, और यह सब तमाम जो ऋषि लोग थे, इन्होंने जो चीजें बनायीं हैं वह स्मृतियों के रूप में सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में फैली हुई हैं। आज की सारी संस्कृति और इतिहास जो है वह इसी के ऊपर आधारित है। आज ध्रुव जो है, जो स्थिर है वह सारे विश्व को रास्ता दिखलाता है, वह ध्रुव इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। कण्व ऋषि का आश्रम यहीं इसी प्रदेश में मलिन नदी के तट पर मालन स्थान जो गढ़वाल जिले में है। शकुन्तला और दुष्यन्त का इतिहास कौन नहीं जानता है, बुद्ध, बाल्मीकि, सूर, कबीर, रविदास, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है? ऐसे-ऐसे ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने इस प्रदेश का सिंचन किया है, इसलिये इस उत्तर प्रदेश का मान सारे विश्व में है। आज उसका बटवारा आप करना चाहते हैं? हृदय-प्रदेश का बटवारा कभी नहीं करना चाहिये। हृदय के यह आगरा और अवध दो फेफड़े हैं। अगर किसी तरह एक फेफड़ा कट जाता है तो दूसरा फेफड़ा अपने आप मर जाता है। इसलिये यह जो आर्थिक प्रश्न हैं या और छोटे-मोटे प्रश्न हैं, इसमें कोई सैद्धांतिक बात है नहीं। मैं गांधी जी के शब्दों में कहता हूं डाक्टर भगवान दास ने लिखा है:—

मन तूशुदम तूमन शुदी, तू तन शुदम, मन जांशुदम
ताकस न गोयद वाद अजीं, मन दीगरम तू दीगरी।

मैं तू हुआ तू मैं हुई, तू तन हुई, मैं जा हुआ,
अब तो न कोई कह सके मैं दूसरा तू दूसरी।

इस तरह से हमारे अन्दर प्रेम होना चाहिये। उत्तर प्रदेश से हम प्रेम दिखलावें और वह प्रेम दिखलाकर अपने यहां एकता बनायें और सारे विश्व के अन्दर दिखला दें कि उत्तर-प्रदेश एक है। इसलिये मैं भाई श्रीचन्द्र जी से और सब साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने संशोधन पेश किया वह उसे वापस ले लें।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द्र जी के संशोधन का, हालांकि वह बहुत हैप्पिली वर्डेड नहीं है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और साथ ही साथ जो राजा वीरेंद्रशाह का अमेंडमेंट है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि इन दोनों में क्लैश नहीं है, बल्कि एक का मंजूर होना दूसरे को भी काफी सहायता पहुंचाता है।

जो श्रीचन्द्र जी के अमेंडमेंट में पिक्चर है, उसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ और आगरा डिवीजन के १० जिले और रुहेलखंड के बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं और टेहरी और गढ़वाल, ये उत्तर प्रदेश के १६ जिले हैं और अम्बाला डिवीजन के ५ जिले और पेप्सू का महेंद्रगढ़ जिला और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और अलवर,

[श्री विष्णु शरण दुब्लिश]

तीन जिले। इस तरह से ५९,०७१ स्क्वायरमाइल्स की यह स्टेट बनती है और इसकी आबादी २,७४,००,००० होती है। इधर अगर राजा वीरेन्द्रशाह का अमेंडमेंट मान लिया जाय तो जो १८२ लाख की आबादी का यू० पी को लास होता है, उसमें ४०-५० लाख की आबादी शामिल हो जाती है।

इससे पहले कि मैं अपने प्वाइंट्स को आप के सामने रखूं, मैं सबसे पहल एक मिस्अंडरस्टैंडिंग को साफ कर देना चाहता हूं और वह यह कि हम लोगों का जो मेन आर्गूमेंट है उसमें कहीं पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जो खर्चा होता है उसमें डिस्पेरिटी है, इसका सवाल नहीं है। मैं कई स्टेटमेंट में यह बात कह चुका हूं और कमीशन के सामने भी जो हमने बयान दिया था, वह पढ़े देता हूं--

"As we have stated before the commission that our main argument for setting up a separate State, was not the disparity in the expenditure incurred by the U. P. Government in the development of the Eastern and Western parts. We rather concede that so long as both these parts form part of the same State, Eastern part must receive greater attention by the Government."

श्रीमन्, एक चीज पर जरूर हमको एतराज होता है, जो अक्सर इस हाउस में कही जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश एक हो और चाहे वह अलग-अलग, उसके दो विभाग हो जायं, किसी हालत में भी मैं अपने जो पूर्वी भाई हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जो पश्चिम के लोग हैं, हमारे हृदय के अन्दर यह बात बिल्कुल बनी हुई है कि हमारे पूरब के भाई हमसे बहुत ज्यादा गरीब हैं और हम हमेशा यह चाहते हैं कि उनका जो इलाका है उसकी काफी उन्नति हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के रिसोर्सेज से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, फ्लड एरिया की समस्या हल नहीं हो सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे बिहार और दूसरे भाखरा डैम और दूसरी चीजों में अरबों रुपये खर्च किये हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की पूरी तरह से फ्लड एरिया की समस्या को उसे हल करना है और उसमें हम, चाहे इधर के हों या उधर के, उन सबको पूरा साथ देना है।

एक बात जो अक्सर कही जाती है और हमारे कुछ साथियों ने यहां पर रखी-अब भी इस डिबेट में और पहले भी कई बार रख चुके हैं--कि पश्चिमी जिलों में जो है उनमें जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें उन्होंने पूरब वालों की कमाई पहले खा ली है और यह सब हमारे पैसे से डेवलेपमेंट वहां हुआ है और यह अन्याय होगा कि अब हमारे इलाके से इस तरीके से भागने की कोशिश करें। मैं एक बात रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे यहां डेवलेपमेंट हुआ है, आप जा करके देख लीजिये कि सिवाय हमारी चार नहरों के और कोई बड़ी भारी डेवलेपमेंट की ऐसी चीज नहीं हुई, जो पूर्वी जिलों में नहीं है। चार नहर गंगा की, अपर गंगा और लोअर गंगा कैनाल और यमुना की पूर्वी यमुना नहर--जिसका रिमाडेलिंग हुआ है, और आगरा नहर। इन चारों नहरों में हमारी स्टेट का एक पैसा नहीं लगा। जब गंगा नहर बनी तब अवध नहीं शामिल था। उस वक्त लन्दन के मनी मार्केट में कर्जा लेकर यह नहरें बनायी गयीं और ११,३२,११,००० रुपये का कैपिटल इन नहरों के बनाने में लगा। आज तक इन नहरों ने अपना मेन्टिनेंस पे करने के बाद ६६ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार को दिये हैं। अगर कैपिटल आउट ले को निकाल दिया जाय तो ५५ करोड़ रुपया नहरें अब तक आपको दे चुकी हैं और अब भी बराबर दे रही हैं। हमारे सारे प्रदेश में शारदा नहर जरूर ऐसी है जो अपना कैपिटल आउट ले भी अभी तक नहीं दे पायी है और कुछ घाटे में चल रही है। वह नहर उन हिस्सों में नहीं आती है जिनके बारे में सवाल पेश है। जो स्टेट मने प्रोपोज की है वह इतिहास में तमाम उथल-पुथल होने के बावजूद एक हिस्टोरिकल यूनिट रही है। कुरुक्षेत्र, रामगंगा

और सरस्वती, जो अब लोप हो गयी है, लेकिन वेदों में जिसका जिक्र है, इसके बीच में जो इलाका है वह हमेशा से एक हिस्टारिकल यूनिट रहा है। चूंकि ये दोनों १८५७ की लड़ाई में एक साथ मिल कर अंग्रेजों से लड़े थे, इसलिये सजा देने के लिये दो टुकड़े कर दिये गये और मैं आपसे कहता हूं कि १०० वर्ष की जुदाई भी हमारे एक दूसरे के हृदय अलग नहीं कर सकी है। आज भी जब पंडित लोग कहीं संकल्प करते हैं तो कहते हैं "कुरुक्षेत्रे उत्पन्नो"। हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडीशन्स, यहां तक कि हमारे फोक सांग्स, सब एक हैं। अगर आप किसी की आंख पर पट्टी बांध दें और इन जिलों में से किसी एक जिले में भी खड़ा कर दें तो उसको कोई अन्तर नहीं दिखाई देगा। तो जो १०० वर्ष से हमारे भाई बिछुड़े हुये हैं हम चाहते हैं कि वे हमसे मिलें।

इसके अतिरिक्त जितने भाषण यहां हुये हैं हमारे प्रोपोजल के विरोध में, वे सेन्टीमेंट के कारण हुये। उस सेंटीमेंट की मैं भी कद्र करता हूं। जो हमारे साथी हैं, जो आज इन बेन्चों पर बैठे हैं, १०० वर्ष से हम लोग एक साथ हैं, एक साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम एक साथ जेलों में गये, जो हमारे पहले मुख्य मंत्री थे पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त और जो आज हैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द और भी जितने साथी हैं, हम सब एक साथ जेलों के अन्दर रहे। तो यह एक जबर्दस्त मोह विछोह का हमारे अन्दर है और वह होना चाहिये और मेरे दिल के अन्दर भी किसी और से कम नहीं है। लेकिन जनता के हित में जब हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां की हैं तो हमें यह भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखें कि बिहार का सूबा सन् १७६४ से १९१२ तक बंगाल का एक हिस्सा था, लेकिन १९१२ में उससे अलग हो गया। आज एक बिहारी आवाज नहीं उठाता कि हमको बंगाल में मिलाया जाय। उड़ीसा बिहार के साथ १६४ वर्ष रहा और आज एक उड़िया नहीं मिलेगा जो कहे कि हमको बिहार में मिला दिया जाय। इसी तरह से आप देखें कि आन्ध्र १७९९ में मद्रास के साथ मिला। १५४ वर्ष के बाद वह मद्रास से अलग हो गया। उनके तमाम नेता एक साथ जेलों में रहे। जैसे हमारे दिलों में सेंटीमेंट्स हैं वैसे ही उनके दिलों में भी थे, लेकिन वहां की जनता की मांग और जनहित को देख कर हमारे हाई कमांड ने दोनों को अलग-अलग कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात ये १८१८ से लेकर आज तक एक प्रेसीडेन्सी रहे हैं, लेकिन हमारे हाई कमांड के आशीर्वाद से तीन हिस्सों में आज बांटा जा रहा है। सब साथ-साथ लड़े, साथ-साथ रहे, बराबर इस तरह के सेंटीमेंट्स एक दूसरे के दिल में हैं लेकिन हाई कमांड देखता है कि जनहित में यही ठीक है कि ये हिस्से एक दूसरे से अलग हों। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है नारायणदत्त जी ने अभी आपके सामने रखा कि एक हिस्टारिकल यूनिट नहीं है। कोई किसी वक्त आया, कोई हिस्सा किसी वक्त आया, जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि १०० वर्ष में यह सब हो गया है। मैं आप से कहता हूं कि जहां तक मिनिस्ट्री का ताल्लुक है मुझे कोई किसी तरह का अविश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि आजकल हमारी मिनिस्ट्री में बेस्ट टेलेन्टेड टीम है और उनमें मेरा पूरा विश्वास है और आज उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री हिन्दुस्तान भर में सब से ज्यादा रेडीकल और प्रोग्रेसिव है। जो रिफार्मस इसने अब तक किये हैं दूसरे सूबों ने उनकी नकल ही की, है तो यह कोई दलील नहीं थी कि हमारे सूबे के दो हिस्से किये जायं। हमारी जो हालत है उसमें आज अगर अच्छे से अच्छे मिनिस्टर्स भी आ जायं तब भी ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो लोग आज यहां बैठे हैं उनमें और जनता में जो चैन है उसमें अनेक कड़ियां हो गयी हैं।

आज अगर देखा जाय तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसने एक न एक रीजिनल विभाग न कायम कर रखा हो। हमारा और आम जनता में ८-९ कड़ियों का फर्क

[श्री विष्णुशरण दुब्लिश]

है। इस प्रकार मैं कहता हूं और आप लोग भी देखते जा रहे हैं और सब लोग अनुभव भी करते होंगे कि धीरे-धीरे शक्ति हमारे हाथों से निकल कर, जनता के प्रतिनिधियों से निकल कर नौकरशाही के हाथों में जा रही है। डेमोक्रेसी नौकरशाही में बदलती जा रही है। वैसे कोई कहे या न कहे, लेकिन महसूस सब करते हैं। आज यह हालत है कि आपके हेड आफ दी डिपार्टमेंट कह देते हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट हेड्स को नहीं पहचानते हैं। फिर ऐसी सूरत में क्या फर्क है? क्यों इसको पाप समझा जाता है? इसमें क्या फर्क है, जहां आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन रीजनल डिपार्टमेंट्स द्वारा चलता है, तो फिर जो मिनिस्टर्स जहां बैठते हैं उनमें से चन्द दूसरी जगह बैठ जायंगे, तो क्या फर्क पड़ जायगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बुन्देलखंड के नाते कहता हूं कि जब मैं बुन्देलखंडियों से मिलता हूं, और जब उनसे बात होती है तब मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनकी फ़ीलिंग्स को ऐप्रीसियेट करता हूं। इसलिये आपको भी हमारी फीलिंग्स को ऐप्रीशियेट करना चाहिये जैसा कि अभी अमेंडमेंट दिया है। अगर हम समझते कि उत्तर प्रदेश में हमारे वह हिस्से मिलाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश का ऐडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट के रूप में रह सकता है, तो हम भी उसको बढ़ाने के लिये प्रस्ताव दे देते। हम भी अपने इन साथियों से अलग होना नहीं चाहते हैं, जो हमारे साथ इतने दिनों तक रहे। जवाहरलाल जी से मैं मिला, मौलाना आजाद से मिला उन्होंने कहा कि तुम तो अलग-अलग फिरते हो, अलग-अलग काम करते हो। तब हम हरियाने वालों से मिले। वहां के ३२ एम० एल० एज० में से २७ एम० एल० एज० हमारे साथ हैं। हमने एक भी नान कांग्रेसमैन को अपने साथ नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर प्रायः चार दिनों से विवाद इस भवन में हो रहा है। मुझे स्वयं बड़ा संकोच हो रहा था कि इस प्रश्न के ऊपर मैं कुछ कहूं या न कहूं, क्योंकि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इस प्रदेश के ऐसे अंचल से आता हूं कि जो पूर्वी भाग कहलाता है। फिर भी मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर अपनी सम्मति देने का अवसर आने पर चुप बैठे रहना कदाचित् देश के प्रति न्याय करना न होगा। इस कारण मैं आपकी आज्ञा से खड़ा हो गया हूं।

इस प्रदेश के विभाजन की चर्चा प्रायः उस समय से आरम्भ हुई जब कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बना और तब से बराबर पत्रों में भी, भीतर और बाहर भी, इसकी चर्चा होती रही। श्रीमन्, मैं आरम्भ से इसे सुनता रहा हूं और बड़ी चेष्टा से और बड़े अनुशीलन के साथ यह देखता रहा हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभाजन के पक्ष में कौन से ऐसे तर्क हैं जिनके आधार पर इस प्रदेश का विभाजन उपयुक्त समझा जा रहा है? मुझे अब तक कोई तर्क नहीं मिला। जब इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो मैंने इसको पढ़ा, अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े ध्यान से सरदार पणिक्कर के तर्कों को पढ़ा, और यह ढूंढ़ने की चेष्टा की कि कदाचित् कोई ऐसा तर्क इसमें मिल जाय कि जो मेरी जिज्ञासा को शांत करे और मेरी इस शंका का कि उत्तर प्रदेश का विभाजन क्यों किया जा रहा है, समाधान करे। मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, हालांकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, सरदार पणिक्कर बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि उनके सारे तर्क जिन आधारों और कल्पनाओं को लेकर, जिन मौलिक सिद्धान्तों को लेकर इस कमीशन की रचना हुई उसकी परिधि से बाहर जाते हैं। और यदि मैं उनके तर्कों को पूर्णतया असंगत कहूं तो अनुचित

न होगा। मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि उन्होंने अपने तर्कों में अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अब मैं उनके तर्कों की विशेष चर्चा यहां नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे जो भी माननीय साथी खड़े हुए, उन सब ने प्रायः उनकी चर्चा की है और उनके पक्ष में और विपक्ष में अपनी राय दी है। मैं इसे यहीं छोड़ता हूं।

इस भवन में जो विवाद होता रहा है उसे मैं चार दिन से सुनता रहा ध्यान से कि शायद कोई तर्क ऐसा मिल जाय कि जिससे मेरे हृदय को शान्ति हो कि यह विभाजन उपयुक्त है। आखिर हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं कि जिनको दुब्लिश जी की तरह ३५,४० वर्षों तक इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे साथियों की तादाद लाखों में है कि जिनका जीवन उस युग में गुजरा है कि जिसके प्रतीक गांधी जी रहे हैं, जिसने विश्वनाथ के मंदिर से उतना ही प्रेम करना सिखाया है जितना कि आगरे के ताज से। हमें भी वह अवसर प्राप्त हुआ है और इसलिये मेरी यह बड़ी इच्छा रही कि जितने व्याख्यान यहां हुए, उनमें कोई तर्क ऐसा मैं पा सकता कि जो इस विभाजन के पक्ष में जाता हो। किन्तु मुझे साधिकार तर्क ऐसा एक भी नहीं मिला कि जिसके अनुसार यह विभाजन उचित हो सकता, न सांस्कृतिक दृष्टि से, न शासन की दृष्टि से, न भाषा की दृष्टि से, न ऐतिहासिक, आर्थिक या राजनैतिक दृष्टि से। किसी भी दृष्टिकोण से मैंने नहीं पाया कि एक भी तर्क ऐसा उपस्थित किया गया हो कि जिससे हम इस विभाजन की उपयुक्तता को सिद्ध कर सकते। जो तर्क वहाँ आये वह तीन चार किस्म के हैं। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है।

मैं इस संबंध में कुछ विशेष नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके पीछे जो बातें हैं उनको न कहना ही उचित होगा, परन्तु इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साभार और साधिकार कि मेरे जिन मित्रों के हृदय में यह संदेह है कि यहां कोई पक्षपात किया गया है और जैसा कहा जाता है कि पश्चिमी भागों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वह मेरे पास आयें। मेरे सामने वह आंकड़े मौजूद हैं। अभी समय नहीं है कि मैं उन्हें प्रस्तुत कर सकूं किन्तु यदि वह देखना चाहें शान्त और निष्पक्ष दृष्टि से, निर्दोष दृष्टि से, तो मैं उनको निमंत्रण देता हूं। आखिर किसी पश्चिम के इलाके के रहने वाले पर यह दोष नहीं लगा सकता कि उनके यहां नहरें किस जमाने में बनी। जो भाई यह कहते हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक सुख भोगा, वह मैं समझता हूं कि पश्चिमी इलाके के रहने वाले भाइयों के साथ अन्याय करते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी वास्तविकता है कि १८३० में नहरें बनीं और लोअर गंगा कैनाल और अपर यमुना और लोअर यमुना कैनाल सन् १८३० में बनी, लेकिन शारदा नहर २०वीं सदी के प्रथम चरण में बनी। १९३२ में वहां पर ट्यूबवेल बने, और गंगा नहर पर यह तमाम पावर हाउसेज बने, और यह सारी कार्यवाही अंग्रेजों ने की। हमारे पच्छिम के जिलों के निवासियों की कोई इच्छा नहीं थी कि वहां पर कोई उन्नति या विकास का कार्य किया जाय लेकिन अंग्रेजी सरकार ने किया। परन्तु जहां तक ये सत्य है वहां यह भी वास्तविकता से परे नहीं है कि १९५२ तक इस प्रदेश के पूर्वी जिलों में एक पाई का भी काम नहीं किया गया! क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के दक्खिनी भू-भाग पर कोई काम नहीं किया गया? यह इसलिये रहा है कि बृटिश सरकार ने ऐसा किया। इसके पीछे राजनीतिक कारण थे। आज हम स्वतंत्र हैं और हमको स्वतंत्रता मिल गयी है, तो क्या यह सत्य नहीं है कि यदि पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गयी तो वह अन्याय नहीं था उस बड़े भूखंड के साथ। यदि आज हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो क्या यह हमारा धर्म नहीं हो जाता है कि उस अन्याय का प्रतिकार करें? मुझे खेद होता है हमारे कुछ साथियों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में होने वाले खर्चे को अधिक बतलाया और उसके लिये उन्होंने एक सीधे-सीधे सर्टिफिकेट दे दिया कि जितने पूर्वी इलाके के रहने वाले हैं वह भिखारी हैं, दरिद्र हैं, नंगे हैं, दीन हैं, भूखे हैं और पूर्वी प्रदेश के साथ बड़ी सहानुभूति दिखायी गयी। लेकिन वह सर्टिफिकेट आपने कैसे दिया? वह इतने नंगे भूखे नहीं है। यदि हमारे प्रदेश में एक विदेशी सत्ता ने उस पूर्वी भूखंड के साथ अन्याय किया और ५० वर्ष तक उनके लिये कोई काम नहीं किया, तो आप उसके लिये जिम्मेदार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नहीं हैं, सिवाय इसके कि उनकी राजनैतिक नीति ऐसी थी। आज उस अन्याय का परिहार किया जा रहा है, जो कि यह सरकार कर रही है। अंग्रेजी सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उनको पीछे रखा गया और न उनको उठाने के लिये और न उनका उत्थान करने के लिये मौका दिया। मैं आपसे कहूं कि सन् १९५२ के बाद हमारे प्रदेश में जो खर्च हुआ है, पूर्वी प्रदेश में, पश्चिमी प्रदेश में, दक्खिनी प्रदेश में और मध्यवर्ती प्रदेश में, उसके आंकड़े हमारे सामने हैं। उनकी जनसंख्या की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से जितने काम होते रहे हैं उनकी दृष्टि से उन तमाम आंकड़ों को आप देखें। आज भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के ट्यूबवेलों की चर्चा की गयी। पश्चिमी इलाके में आज तक ५१-५२ के बाद करीब ७०० ट्यूबवेल बनाये गये, बीच के इलाके में ५०० ट्यूबवेल बनाये गये और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में १२०० के करीब ट्यूबवेल बने। सन् १९५६ तक पश्चिमी इलाके में २,८५० ट्यूबवेल बन जाने हैं, और ४६ तक पश्चिमी इलाके में १७०० ट्यूबवेल थे। इन दस वर्षों में करीब वहां पर ११,१२ सौ ट्यूबवैल बने हैं। जब कि पच्छिमी इलाके में २८ सौ बनेंगे, तो पूर्वी इलाके में केवल १७०० बनेंगे और करीब ६०० हमारे बीच के इलाके में बनेंगे। इसलिये न मध्यवर्ती जिलों की उपेक्षा हुई है, न पूर्वी इलाके की उपेक्षा हुई है और न पश्चिमी हिस्से की उपेक्षा हुई है। उस तर्क को लाना मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है। फिर मैं आपकी आज्ञा से एक आफर देना चाहता हूं कि यदि केवल इसी कारण से उत्तर प्रदेश के बटवारे की बात कही जा रही हो तो यद्यपि मैंने पूर्वी प्रदेश के भाइयों से बात नहीं की है, परन्तु मैं साधिकार इस आशा से यह बात कहता हूं कि वह मेरा समर्थन करेंगे। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी पूर्वी प्रदेश पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको बन्द कर दिया जाय और सारा धन एकत्रित करके उसको उस प्रदेश के इलाके की ओर मोड़ दिया जाय जहां उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही हो। उत्तर प्रदेश के लोग या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अगर २०० वर्ष तक अंग्रेजी राज्य में गरीबी में रह सकते थे, जिसका सर्टीफिकेट दिया गया है, तो भारत और उत्तर प्रदेश की एकता के लिये १०, २० वर्ष तक और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग गरीबी में रहने के लिये तैयार है।

एक तर्क यह भी दिया गया और मालूम नहीं इस तर्क में क्या तुक है। हमारे भाई श्री मोहनलाल जी ने, जो शायद यहां उपस्थित नहीं हैं कहा कि उत्तर प्रदेश का बटवारा हो और यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का विस्तार हो और कहा कि विन्ध्यप्रदेश को मिला लो। वह सोचते हैं कि विन्ध्यप्रदेश में खनिज पदार्थ हैं। बटवारे के साथ खनिज पदार्थ की बात करने लगे? अगर विन्ध्यप्रदेश आवेगा तो वह किस इलाके में मिलाया जायगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बढ़ा कर विस्तार करने के बाद इसे दो हिस्सों में काट दो। यह तो ऐसा ही हुआ कि बकरे को खूब खिलाओ और जब वह मोटा हो तो बलिदान चढ़ा दो! यह तर्क समझ में नहीं आया। विन्ध्यप्रदेश की घटनाओं को हम और आप जानते हैं और अगर वह हमारे साथ नहीं मिले तो फिर क्या होगा? तब बटवारा होगा या नहीं? विन्ध्यप्रदेश को आप किस भाग के साथ मिलावेंगे? ख्वाजा साहेब ने नयी भाषा का विज्ञान हमें सिखाया। ब्रज की भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी इत्यादि के नाम उन्होंने कहीं से सुने होंगे, लेकिन वह यह नहीं जानते कि हिन्दी इन सबकी मूल है। हम जानते हैं कि यह सब भाषायें हैं और साथ ही बुन्देलखंड में और पर्वतीय इलाकों में अलग अलग भाषायें बोली जाती हैं। तो इसके माने यह हुये कि उत्तर प्रदेश को हरियाना के साथ मिलाने के लिये ही नहीं, बल्कि भाषाओं की बात सोचते हुये जो यहां इतनी सारी बोली जाती हैं, उत्तर प्रदेश के ६,७ टुकड़े हो जाने चाहियें। अगर यही तर्क मान लिया जाय तो हर ५ मील पर उत्तर प्रदेश में बोली का तरीका बदल जाता है जो बोली बनारस शहर में है उससे भिन्न उसके देहात में है, जो बोली मिर्जापुर शहर में है, वह मिर्जापुर के देहात से भिन्न है। तो कहां तक आप बांटते चले जावेंगे। कहीं तो उसकी सीमा होगी? हमारे भाई वीरेन्द्र पति जी ने भी एक नया इतिहास सुनाया। कहा गया कि उत्तर प्रदेश तो कभी एक रहा ही नहीं। ठीक है, ऋग्वेद के काल में एक नहीं रहा। महाभारत

में बहुत से टुकडे कुरु, पंचाल, व्रज, काशी आदि हुये। बुद्ध के जमाने में भी १६ हिस्से थे। मुसलमानों के जमाने में सूबेदारियां थीं। यातायात के साधन नहीं थे। एक स्थान से सबका शासन मुमकिन नहीं था। उन्होंने छोटी-छोटी सूबेदारियां बनाईं। लेकिन क्या इसके यह अर्थ होते हैं कि आज के उत्तर प्रदेश की भी वही हालत हो? दुब्लिश साहेब ने कहा कि हमारा ऐतिहासिक यूनिट एक रहा है। कुरु में रुहेलखंड का भाग घुसेड़ा जा रहा है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इस प्रश्न पर हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिये। इतिहास का मैं भी विद्यार्थी रहा हूं। इतिहास हमें बतलाता है कि जब-जब हमारे देश के कई-कई शासक होकर टुकड़े हुये, तब-तब देश में तबाही आई। यह २ हजार वर्षों के इतिहास से सिद्ध होता है। हमें वह दिन नहीं भूलना चाहिये जब सिकन्दर की सेनायें पंजाब से आगे नहीं बढ़ सकीं। माननीय सदस्य जरा उसके कारण तो सोचें। मैं उनकी डिटेल में जाकर सदन का अधिक समय नहीं लूंगा।

(लाल बत्ती होने पर) अध्यक्ष महोदय, मुझे ३,४ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं ३ मिनट पहले आगाह कर देता हूं। आप ३ मिनट और बोल सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं अपने भाइयों से जो बटवारे के पक्ष में हैं कहना चाहता हूं कि आखिर उनकी दलीलों में सार क्या है? मुझे तो कोई भी उनका तर्क ऐसा नहीं लगा कि मानने के योग्य हो। महात्मा गांधी ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में एक मन्थन हुआ। जैसा कि समुद्र में मंथन होने से विष और अमृत निकलता है, वह हमारे यहां भी निकला और मैं इतना ही, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस विष को अमृत में बदलें। कालिदास जी ने कहा है कि "विषमप्यमृतं क्वचिद् भवेत्, क्वचिदमृतं विषमी श्वरेच्छया"। अमृत का पान करके हमें अपने देश को ऊपर उठाना चाहिये। केवल भावुकता के आधार पर अपना विनाश करना कदाचित् किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया है। भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते, तथा अल्पसंख्यक के नात और सिख सम्प्रदाय में जन्म लेने के नाते मुझे इस विषय पर प्रकाश डालना अत्यावश्यक हो जाता है। माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो विचार यहां प्रकट किये हैं, चाहे बटवारे के पक्ष में हों या बटवारे के खिलाफ हों, मैंने उन सबको बड़े ध्यान से सुना है। बहुत सी दलीलें उन लोगों की तरफ से दी गईं जो विभाजन चाहते हैं और जो नहीं चाहते, उनकी दलीलों को मैंने इस सदन में बड़े ध्यान से सुना। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि क्या आज से १० वर्ष पहले जो भारतवर्ष में वायुमंडल चल रहा था क्या वही चीज इस राज्य कमीशन की रिपोर्ट के बाद उपस्थित नहीं हुई? क्या आज हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यह चीज देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुई। इस सदन में आठ वर्ष पहले यही बात कही जाती थी और हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े किये गये। यह बड़े अफसोस और शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पुराने इतिहास को न दोहराया जाय, क्योंकि उसमें गरमागरमी बढ़ जाती है। आप अपने कारण बतावें इस पक्ष में या उस पक्ष में।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—मैं आज कुछ अंशों में वही चीज पा रहा हूं। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई और हमें यह सोचने का मौका आया कि हमको क्या करना चाहिये और किस तरह से अपने प्रान्त को तरक्की करनी चाहिये? इस पर ख्याल न करते हुये आज हमारा प्रांत एक अजीब वायुमंडल में गुजर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेशों को भाषावार प्रांत के आधार पर बटवारे का प्रश्न इस राज्य कमीशन के सुपुर्द किया था और उससे कहा गया था कि वह भाषावार प्रदेश बनाने के लिये छानबीन करे

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

और बताये कि किस तरह से प्रांत बनाने चाहिये और उसके ढांचा या रिपोर्ट उसके लिये मांगी गई थी, और उस कमीशन में ३ सदस्य जो २ इस प्रदेश के और एक दूसरे प्रांत के सदस्य थे मैं उनकी विद्वता के लिये हृदय से आदर करता हूं। और मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कहता हूं कि वास्तव में जो कमीशन इस काम के लिये नियुक्त किया गया था उसने हमारे प्रदेश के लिये जो राय दी, क्या वह भाषावार प्रांत के आधार पर दी ? उनको राय देने का हक था लेकिन क्या हमारे प्रांत की दो भाषायें हैं ? मैं रिपोर्ट का संक्षेप में एक हवाला देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि राज्य पुनःसंगठन आयोग ने अपने कर्त्तव्य में कहां तक सफलता प्राप्त की है। उस आयोग में केवल ३ सदस्य थे, उसमें से भी एक की राय कुछ, एक की राय कुछ, और तीसरे की कुछ, और जो रिपोर्ट आई यह सर्वसम्मति से नहीं दी गई। हमारे प्रांत के लिये जो सरदार पणिक्कर जी ने राय दी है, पंजाब के लिये उसी कमेटी के दूसरे सदस्य ने दूसरी राय दी है। इससे साबित होता है कि वह लोग अपनी रिपोर्ट देने में एकमत न हो सके और सर्वसम्मति से रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा और केन्द्र के मंत्रिमंडल उस पर विचार करेंगे और उस प्रांत के सदस्य तथा नागरिकों को हक होता है कि वह उसका मंथन करें और विचार करें और उस पर अपनी राय जाहिर करें। हमारे कुछ भाइयों ने सरदार पणिक्कर जी की राय को लेकर कहा है कि इस प्रांत का बटवारा होना चाहिये क्योंकि उनके नोट में ऐसी सिफारिश की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि यह बहुत बड़ा प्रांत है और यहां की आबादी ज्यादा है और यहां का शासन सुचारु रूप से नहीं हो पाता है और यहां के सदस्य पार्लियामेंट में जाकर बहुमत से केंद्र की सरकार पर दबाव डालते हैं। मैं पूछता हूं कि कहां तक उचित है कि अगर एक प्रांत बड़ा हो तो उसे इसलिये काट दिया जाय कि यहां से जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग राय देते हैं ? उसको अंगभंग करना चाहिये यह उनकी कौन सी बुद्धि है, कौन सी राजनीति है, कौन सी समझदारी है यह समझ में नहीं आता ! वह तो लोकतन्त्र का गला घोंटते हैं दुनिया की हालत को देखते हुये कि वह किस तरफ बढ़ रही है। आज डिवीजन की बात कहां तक उचित हो सकती है। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान बटने की बात करता था वह आज एक इकाई में हो रहा है और संलग्न हो रहा है। हमें इससे सबक सीखना चाहिये कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका क्षेत्र इतना बड़ा है, अपना काम चला सकती है तो यू० पी० तो उसके सामने छोटी सी ही चीज है। और मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि वह अपना जो प्रदेश के विभाजन का विचार है उसको छोड़ दें। बहुत से भाइयों ने कहा कि पूर्वी प्रांत बहुत रीब है और हम उसके लिये दया करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा पूर्वी भाग गरीबगनहीं है। जैसा हमारे भाई कमलापति जी ने कहा कि इस भाग के साथ सदा सौतेले भाई जैसा बर ताव अंग्रेजों ने किया इसलिये कि पूर्वी भाग ने सदा राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया जिसका प्रमाण बलिया है, बनारस के हिन्दू युनिवर्सिटी के नवयुवक हैं, आजमगढ़, बलिया, बनारस, गाजीपुर, और गोरखपुर की वह सन् १९४२ की राज्यक्रांति है। इस प्रदेश के पूर्वी भाग ने सबसे ज्यादा उसमें हिस्सा लिया, और इसी में नहीं सन् १८५७ से लेकर १९४२ तक पूर्वी प्रांत बराबर उसमें हिस्सा लेता रहा और इसी कारण अंग्रेजों ने हमेशा उसके साथ सौतेले भाई के समान व्यवहार किया और पश्चिमी भाग को उसके मुकाबिले में आगे बढ़ाते रहे। आज हमारे पश्चिमी जिलों के लोगों को खयाल होना चाहिये कि इस देश की गुलामी को मिटाने के लिये जिन भाइयों ने अपने को मिटा दिया, अंग्रेजों ने जिनके साथ बेरहमी का बरताव किया, हम उनके साथ उदारता दिखलावें। लेकिन आज वह यह न करके कह रहे हैं कि हमको अलहदा कर दो और हमारा अलग सूबा बनाओ। कुछ भाइयों ने तो इस मनोवृत्ति का परिचय दिया और कहा कि इस सदन में छः बाहर के आदमियों को लाकर रख दिया गया है और दो चार आदमियों का नाम लेकर कहा गया जैसे फूलसिंह, शिवमंगल सिंह कपूर और प्रकाशवती सूद। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ आपने कौन सी मेहरबानी की या फूलसिंह के साथ आपने कौन सी इनायत की। देश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह किस किस्म की तंग मनोवृत्ति है, और यही मनोवृत्ति देश के लिये घातक है।

मैंने कुछ नेताओं के भाषणों को सुना कि हरियाना प्रांत अगर पंजाब से निकाला जाय तो पंजाबी सिक्ख जो शेर हैं वह हमको बकरी बनाकर खा लेंगे। यह क्या हिमाकत की बात है कि कुछ भाइयों को तो आपने शेर हिंसक बना दिया और कुछ को बकरी बनाते हैं। क्या यह हमें शोभा देता है। मैं आपसे कहता हूं कि आज सिखों के लिये आप ऐसे शब्द क्यों कहते हैं। सिखों ने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे पहले साथ दिया। मैं तवारीख का पंडित नहीं हूं, लेकिन भाई कमलापति जी मौजूद हैं वह इससे इंकार नहीं कर सकते कि आजादी के संग्राम में सबसे पहले उन्होंने भाग लिया और देश की आजादी में कंधे से कंधा भिड़ाया। मैं नहीं चाहता कि पंजाबी सूबा बने। अभी हाल में पंजाब में एक नेशनलिस्ट्स सिख कांफ्रेंस हुई थी। वहां पर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमने यह रिजोल्यूशन पास किया था कि हम पंजाबी सूबा नहीं चाहते, वह हम नहीं चाहते जो मास्टर तारासिंह चाहते हैं। हम भारत की एकता चाहते हैं। हमारा और मास्टर तारासिंह का मतभेद हो सकता है, लेकिन जब कोई सिखों पर इस प्रकार के हमले करता है तो आत्मा को दुख मालूम होता है। आप तंग मनोवृत्ति को छोड़ें और उदारता दिखावें। इन शब्दों क साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर साहब, आखिर तीन दिन की पैहम कोशिशों के बाद जो वक्त मुझे मिला है मैं उसके लिये आपका शुक्रगुजार हूं। तीन दिन से इसके मुताल्लिक कि हिन्दुस्तान भर के सूबे खसूसियत के साथ हमारा सूबा इसके अन्दर, जुगराफिया कैफियत के अन्दर, इसकी हदूद के अन्दर कोई तब्दीली की जाय—इसके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से इजहारे खयाल किया गया। सबसे पहले इस बहस को शुरू करते हुए आनरेबिल चीफ मिनिस्टर ने यह फर्माया और उसने बड़ी हद तक हमारा रास्ता साफ कर दिया कि हमको बहुत ज्यादा अपने ही सूबे के मुताल्लिक इजहार खयाल करना चाहिये। बाहर ऐसी खतरनाक शक्लें पैदा हो गई हैं कि यहां से बैठ कर उसको हवा देना हमारे लिये कोई मुनासिब न होगा। और मैं तो यह समझता हूं कि यहां बहुत सी दलीलें दी गई हैं और बहुत से वाकयात सामने रक्खे गये हैं और कुछ ज बात की स्वतन्त्रता की बात भी कही गई है, कुछ मजहब के मुताल्लिक भी बात कही गई है और कुछ उन बातों को भी दोहराया गया है जो जबान और कल्चर से ताल्लुक रहती हैं, जिनका मुस्तकिल तौर से इस रिपोर्ट के अन्दर तजकिरा मौजूद है। लेकिन जब से रिआर्गेनाइजेशन की फिजा पैदा हुई देश के अन्दर, बम्बई में जो कुछ हुआ या और सूबों में जो कुछ हो रहा है, हैदराबाद के टुकड़े करने से जो कुछ होने वाला है या हो रहा है, दिल्ली का सूबा टूटने से वहां जो कुछ हो रहा है, उस सबको देखते हुए हमने इत्मीनान की सांस ली कि इस तरह की चीजें हमारे सूबे के अन्दर नहीं हो रही हैं बल्कि सकून के साथ बैठे हैं वर्ना इस तरह की बेचैनी को देखते जिसको बर्दाश्त करना सूबे के लिये आसान न होता। बहुत सी बेचैनियां दूसरे सूबों में पैदा हुईं। हमने बम्बई की फायरिंग देखी, दूसरे सूबों की गड़बड़ियां देखीं, जिनका हमको तजुर्बा न करना पड़ा।

जहां तक इन दलीलों का ताल्लुक है कि कुछ मगरबी अजला के लोग हट कर कहीं दूसरी जगह जायं या दूसरे के हिस्सों को अपने साथ मिलमिला कर नया सूबा बना लें, मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके अन्दर वे लोग भी हैं जिनकी मुख्तलिफ जबानें हैं जो इस सूबे के अन्दर बोली जाती हैं। अकलियत की जबान की चर्चा भी इस रिपोर्ट के अन्दर की गई है। अब इस जबान को लेकर या कल्चर को लेकर सूबा मुत्तहिदा यू० पी० के अन्दर रहता है या दूसरे सूबे के अन्दर जाकर नया तजुर्बा करेगा और खुदा जाने वहां बदतर हालत हो या बेहतर हालत हो, वहां जाकर आपको नई जिन्दगी बनानी होगी। मैं समझता हूं कि इसके लिये अभी हमें इतनी फुर्सत नहीं है। हमें और बहुत से काम करने हैं। हम नये नये रोज तजुर्बे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री]

करने के लिये किसी सूरत से तैयार नहीं हैं। जनाबवाला, कोई तबका अगर कुछ कह सकता है कि हम यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन से घबड़ा गये हैं, हम यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन के निकम्मेपन से ऊब गये हैं लिहाजा हम बाहर जाना चाहते हैं, तो जाहिर है दो ही चार ऐसे जिले होंगे जो इम्याजी तौर पर कह सकते कि उनके साथ बुरा सलूक बर्ता गया। मुझे तो बाज दोस्तों की शिकायत सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं उस इलाके का रहने वाला हूं जो न मशरिक में है और न मगरिब में, बीच में है यानी इलाहाबाद। अगर वह न होता तो हम अपनी तमद्दुन तक बरकरार न रख पाते। मशरिक से जो मिनिस्टर होकर आये उन्होंने अपने जिले के लिये कोई काम आज तक नहीं किया। जौनपुर की तालीम में एक शिम्मा भर भी वजन नहीं बढ़ा। हरगोविन्द सिंह जी वहीं के मिनिस्टर हैं। अगर कुछ किया तोपूरे सूबे के लिये किया। शिकायत हो सकती थी तो पूरे सूबे के लिये हो सकती थी। जो मेरे दोस्त इसके मुताल्लिक बोले हैं वह बात तो मेरे खयाल में काबिल तजकिया भी नहीं रह गई कि पूर्व की तरफ गौर ज्यादा किया गया और मगरिब का तरफ नहीं किया गया। मैं तो समझता हूं कि मगरबी अजला का वजन है। उस वजन को अपने हाथों कम करने की वे कोशिश न करें। इस रिपोर्ट को हम पढ़ें। अपनी कल्चर और अपनी जबान को मैं देखूं और देखकर दूसरे हिस्से में मिलना चाहूं तो किसी हद तक वाजिब हो सकता था। जो तजुर्बा हो रहा है, जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने उर्दू जबान को कुचला में घबड़ा कर कहता कि उर्दू को कुचला जा रहा है, चलो किसी दूसरे देश के अन्दर, दूसरे सूबे के अन्दर, दूसरे जिले के अन्दर जहां उर्दू के लिए बड़ा मफाद हो। लेकिन जब यहां यह हालत है कि आप इस जबान को पनपाने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या अगर दिल्ली में मिल जायंगे तो उर्दू जबान पनप सकेगी ? पंजाब जायंगे तो और खत्म हो जायगी, दिल्ली में जायंगे तो और खत्म हो जायगी।

आप सब्र रखें, घबराएं नहीं। हम भी अहसास रखते हैं। हमारी दुख भरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, यह मुसलमानों की जबान है, बोलने में तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत की जबान है, लेकिन लिखने के एतबार से यह एक अक्लियत की जबान है। लेकिन हमारे सूबे की गवर्नमेंट ने न आज तक इस बारे में मदद की और न इस वक्त तक कोई कदम उठाया है कि आगे हमारा कल्चर और हमारी जबान पनप सके।

वह बुड्ढा फकीर जो इस मुल्क का शहनशाह था, जिसने इस मुल्क पर और इस मुल्क के रहने वालों के दिलों पर हुकूमत की और जो दिल्ली में गोली खाकर मरा, उसका यह कहना था कि यह कोई भी अक्लियत हो, चाहे वह जबान के एतबार से, मजहब के एतबार से हो या किसी एतबार से हो उसकी पूरी-पूरी हिफाजत की जाय। जब आज आप उन चीजों को छोड़ बैठे तो आपको गांधी का नुमाइंदा या गांधी का शागिर्द कहने का हक नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पानी इस हद तक ऊंचा नहीं हो गया है कि हम उसमें बिल्कुल डूब जायं। हमें थोड़ी सी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हम इस सूबे के अन्दर अपनी जगह भी बना लेंगे, अपने कल्चर को भी महफूज कर लेंगे, अपनी जबान का तहफ्फुज भी कर लेंगे। लेकिन इन्हीं साथियों के साथ जो यहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस सूबे को यहां तक पहुंचाया है। जनाबवाला, अगर हम इसके किसी हिस्से को पंजाब या दिल्ली के अन्दर मिल ने के लिए कहते हैं, तो वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन का जो हाल है वह हम सब लोग देख रहे हैं। इस सूबे की कमियों के बावजूद, मजमुई एतबार से मैं कह सकता हूं, किसी पार्टी के असर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ईमानदारी से अगर कोई भी बात न कही जाय तो खुदा के सामने जवाब देना पड़ता है। फिर भी मजमुई तौर पर जो यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन है, बाज उमूर में वह दूसरे सूबों से निकम्मा है, तो बाज चीजों में और सूबों से अच्छा है। कम्युनल फीलिंग को दबाने के सिलसिले में अगर बम्बई और कलकत्ता ने कुछ कदम उठाया तो यहां भी ऐसी हस्तियां मौजूद थीं, जिन्होंने इसके लिए निहायत कोशिश की।

लेकिन इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, फिर अगर हम इस खतरे को रखते, हमने, जो स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया, उसको देखा और दूसरे मिनिस्टरों ने दिया, जिसमें सब मिनिस्टर मौजूद हैं, उसको पढ़ा। उससे हमारी उम्मीदें टूट गयीं। तो अगर हम अपनी जबान और अपने कल्चर के लिए यह खतरा लेकर कहते कि हमें बांट दो, तो क्या हम इलाहाबाद को अपने सर पर उठा कर ले जायंगे और कलकत्ते से मिला देंगे? मैं अर्ज करूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का वह रेजोल्युशन और जो उन्होंने उस पर तकरीर करते हुए तजवीज फरमायी है वह इस सूबे के लिए मुफीद है। उस पर यह कहा जा सकता है कि यह कौन सी माकूलियत है कि अपने सूबे का कोई हिस्सा देना न चाहे, लेकिन दूसरे सूबे के टुकड़े को मिलाना चाहें। मैं अर्ज करूंगा कि जागरफिकल हैसियत से, सूबे के मफाद की हैसियत से, इलाहाबाद को जो रींवा के उस हिस्से से फायदा पहुंचगा और रींवा के उस हिस्से को इलाहाबाद से जो फायदा पहुंचेगा, उस एतबार से और बहुत से एतबार हैं जिनकी बिना पर बहुत ज्यादा सही उम्मीद की गयी है कि उस हिस्से को इस सूबे से मिला दिया जाय। जिस इलाहाबाद ने पालिटिकल फील्ड में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, वह इलाहाबाद का हिस्सा इससे पनप जायगा। आज उसकी हालत बहुत खराब हो रही है।

अक्लियतों के उन तहफ्फुजात की तरफ, जिनकी तरफ कमीशन ने इशारा किया है, क्या मैं उम्मीद करूं, जब कि आप उस रिपोर्ट को मान रहे हैं, चाहे वह माइनारिटी जबान के एतबार से हो, चाहे वह माइनारिटी कल्चर के एतबार से हो, उसके अन्दर चाहे चन्द ही आदमी हों, चाहे उस जबान या कल्चर में एक सिक्ख या एक मुसलमान नुमाइन्दा हो कोई भी हो, एक घर भी अगर उसका हो तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है, हुकूमत का यह करीदा नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए अपने तन मन को लगा दे। आज हम देखते हैं कि वह तबका जिसने हमारे दिल के टुकड़े कर दिए, मैं तो दिल से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान न बनता तो हम आज इतने नीचे न जाते कि हम कुछ बोलें तो कम्यूनल कहे जायं और आप कुछ भी कहें मगर आप कम्यूनल न कहे जायं। आज हम मजबूर हैं। मैं यह अर्ज करूं कि माइनारिटी चाहे जितनी कम तादाद में हो, उसकी हिफाजत करना हुकूमत का फर्ज है। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के चीफ मिनिस्टर ने अपने यहां माइनारिटी की पूरी हिफाजत करने का वादा किया हमारी हालत को देखकर। लेकिन हमारा तो यह उसूल रहा है, हमने हमेशा यह वादे किये हैं कि हमारे यहां किसी भी तरह की माइनारिटी के दस घर भी अगर होंगे तो हमारी पूरी कौम उनकी सहूलियत के लिए तैयार होगी। लेकिन हमें अफसोस होता है जब हम इसके खिलाफ जाते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ आखीर में इतना अर्ज करके बैठ जाऊंगा कि इन्तहाई कोशिश होनी चाहिए। और मैं इस हाउस के अपने तमाम उन मेम्बरान से जिनका कि मैं अदब अपने बुजुर्गों की तरह करता हूं, यह अर्ज करना चाहता हूं कि अपना एक एक वोट इस तरह से कास्ट करें और यह सोचकर करें कि अगर उससे जरा भी बाउंड्री में हेरफेर हुआ या तबादला हुआ तो उसका नुकसान पूरे स्टेट को उठाना पड़ेगा। मैं कमीशन के उस मेम्बर का भी शुक्रगुजार हूं कि उनकी एक राय जो थी वह उन्होंने रखी कि इस सूबे का डिवीजन किया जाय। मैं उनकी किसी तरह की भी तौहीन करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आज की हालात को देखते हुए, इस सूबे की हालात को देखते हुए उनकी राय गलत है। इस सूबे के किसी भी हिस्से को तकसीम करना इस सूबे के लिए खतरनाक है और यहां के रहने वालों के लिए खतरनाक है।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आज की लगातार उठक बैठक के बाद आपकी कृपा दृष्टि मेरी ओर आयी और मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं यहां पर सभी

[श्री मलखानसिंह]

माननीय सदस्यों के सामने किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं और न मैं यह समझ रहा हूं कि यह जो प्रश्न है यह किसी पार्टी विशेष का है। यहां पर हम ४३१ माननीय सदस्य इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस विषय पर हम अपनी सम्मति साफ तौर से दें। इसलिए मैं यहां पर किसी पार्टी की तरफ से बात न करके जो मेरे साफ-साफ विचार हैं, वह रखूंगा। जहां तक कि माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो संशोधन रखा है और दूसरे साथियों ने भी रखा है, उनका सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उस संशोधन का खोखलापन मेरे भाई नारायणदत्त जी ने जाहिर कर दिया कि वह एक सूबे का पुनर्गठन करने नहीं जा रहे हैं बल्कि कई एक सूबों का पुनर्गठन करने की व्यवस्था उन्होंने रखी है। इसलिए उस संशोधन में कुछ तथ्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी दलीलें अपनी रखी थीं, वह भी मैंने अच्छी तरह सुनीं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि रहन-सहन, खानपान, हमारे व्यवहार सब भिन्न-भिन्न हैं इसलिए हमको अलहिदा हो जाना चाहिए।

बहुत से भाइयों ने बहुत जोशीली बातें कीं और एक भाई ने तो यह कहा कि यहां पर भविष्य बोल रहा है और इस उत्तर प्रदेश के जरूर टुकड़े टुकड़े होंगे। मैं केवल यह कह देना चाहता हूं कि जो भाई इस उत्तर प्रदेश के टुकड़े-टुकड़े करने के पक्ष में हैं वह लिख लें स्वर्णाक्षरों में इस बात को कि उनको इसके ऊपर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, यह उनका आत्मघात होगा जो इस तरह की चर्चा करते हैं। मैं उनके भावों पर कटाक्ष नहीं करता। मैं उनकी ईमानदारी में कोई लांछन लगाना नहीं चाहता लेकिन मैं यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की बात है वह आप अपने हृदय के टुकड़े कर रहे हैं, अपने प्रदेश के टुकड़े कर रहे हैं और आपका जो सब से प्यारा देश भारतवर्ष है उसको कमजोर बनाने जा रहे हैं। एक भाई ने साफ शब्दों में यह कहा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह हमको कमजोर बना रहा है। मुझे तो उनकी यह दलील माननीय पणिक्कर के शब्दों में भी साफ तौर से नजर नहीं आई। पणिक्कर जी ने तो यह कहा कि यह खतरा हो सकता है भारतवर्ष की यूनिटी के लिए, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने भाई के मुंह से सुना कि हमारा उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष को कमजोर बना रहा है। मैं आपके सामने यह कहने आया हूं कि अगर हम आज यह भी मान लें कि सन् १८५६ या १८५७ में अवध का सूबा हमारे उत्तर प्रदेश में मिला और आज लगभग सौ वर्ष हुए, और अगर हम यह भी मान करके चलें कि हमारी आजादी की लड़ाई सन् १८५७ से शुरू हुई, तो लगभग यह उत्तर प्रदेश जैसा कि आज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कन्धे से कन्धा मिला कर कम से कम लगभग सौ वर्ष तक लड़ा। और जब आज आजादी मिल गयी है तो हमको १० वर्ष भी नहीं हुए, ८ वर्ष भी नहीं हुए कि हम आज बंटने की बात करते हैं। जिस समय कि हमने खून बहाया, अपनी जानें खोईं, अपना धन गंवाया, अपने घरों को बरबाद किया और लगातार सौ वर्ष की ऐतिहासिक लड़ाई के बाद अंग्रेज का इस देश से काला मुंह किया और हम अभी अपना घर दुरुस्त करने में ही लगे थे, हम अभी दुरुस्त भी नहीं कर पाये, अभी हम यह भी नहीं पूछ सके हैं बहुत से कोनों में जाकर के कि आपके घर में रोटी मिलती है या नहीं, तुम्हारा घर टूटा-फूटा है या कैसा है? इसका भी अवसर नहीं मिला है कि हमारे भाई आज यह कहने चले हैं कि हमारे इन १६ जिलों को इधर से काट दिया जाय और दूसरी तरफ मिला दिया जाय। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन बातों को सुनकर, हृदय में दुःख भी लगता है कि आज हम अपने इन विचारों को कहां तक ले जा रहे हैं।

पणिक्कर जी ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में कहा है, मैं आपके सामने उनकी बात रखूंगा और उन्हीं के शब्दों में रखूंगा। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र बात कही है, जो मेरी समझ में कम से कम नहीं आती कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। उन्होंने यह कहा कि—

"There are other factors, such as economic and social conditions within the different areas and political consciousness and traditions of the people and the political acumen....."

श्री अध्यक्ष—आप पैराग्राफ का नम्बर बता दीजिये। आप इनके नोट आफ डिसेंट की बात कर रहे हैं।

श्री मलखानसिंह—जी हां, पैरा १६, पेज २५१ देखें ।

"I am convinced that the decision the Government of India takes about Uttar Pradesh will determine the course of our evolution, the sanctity, the strength and the faith of the people in our Constitution, which should be the palladium of our rights and the source of our political unity. It is my deep conviction that if at this time when the whole issue is before the country, this unnatural feature of our Constitution is not set aright, the faith of the people in the Constitution—which consciously or otherwise provides for the predominance of one area—will be weakened."

मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा कोई असंगत बात कही नहीं जा सकती थी कि कांस्टीट्यूशन जो भारतवर्ष का है, उसमें, अगर उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कि हमारे माननीय पणिक्कर जी चाहते हैं उस तरह से अगर रिआर्गेनाइज नहीं करते तो लोगों का, कुल देश के ३६ करोड़ आदमियों का कांस्टीट्यूशन में फेथ नहीं रहेगा। यह कौन-सी बात कह डाली ? मैं तो इसको अनर्गल ही समझता हूं। मैं अपने भाइयों के सामने नतमस्तक होकर के यह कह देना चाहता हूं कि अगर कांस्टीट्यूशन की बात है, जहां पर आपका कांस्टीट्यूशन बनाया गया देश के लोगों ने बैठ कर, उसमें एक ही बात है कि जनमत के आधार पर रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी जहां उन्होंने अमेरीका और रूस का उदाहरण दिया और यह बात भी कही कि वहां भी बड़े छोटे प्रदेश हैं और वे रह सकते हैं तो फिर मेरी समझ में वह बात जो उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा निशाना है कि अगर इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनकी मरजी के मुताबिक ठीक नहीं किया तो लोगों का यकीन उस कांस्टीट्यूशन में नहीं रहेगा, नहीं आयी। अगर कांस्टीट्यूशन कि बात है तो दिल्ली में बैठकर उसको ठीक कर लेना चाहिये। और जो यह कहा जाता है कि ४६६ में यहां के ८६ आदमी तमाम देश की राजनीति पर असर डालते हैं तो मेरा कहना यह है कि ४१३ आदमी बाकी बचते हैं। ८६ की क्या ताकत है ४१३ के मुकाबिले में, मेरी समझ में यह लाजिक नहीं आ ती। तो मैं आपके सामने बड़े गम्भीर शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि यह जो बात आज हमारे १६ जिलों को दूसरी जगह मिलाने के लिये कही जाती है यह मेरी समझ में जरा भी नहीं आती। साथ ही यह भी मैं देखता हूं कि पुरानी दिल्ली की तरफ से भी हमारे लोगों के तार खींचे जाते हैं और हर तरफ से कोशिश की जाती है कि दिल्ली को बड़ा बना दिया जाय। मैं आपको कहने के लिये तैयार हूं कि जहां पर कुल हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है वहां पर एक और दिल्ली इधर-उधर के सूबों के जिलों को काट कर बना दी जाय। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं आपको यह भी कहूंगा कि इतने बड़े कांग्रेस के इतिहास में यह भी सफलीभूत नहीं हुई कि दिल्ली में इस सूबे की कांग्रेस कमेटियां चली जायं और जब कुछ चन्द, इने-गिने दिनों के लिये मेरठ, मुजफ्फरनगर की कांग्रेस कमेटियां वहां गईं तो वे भी अपना मुंह लेकर इधर आ गईं और फिर कभी इस बात की चेष्टा नहीं की कि उनका दिल्ली के साथ कोई भी ताल्लुक रहना चाहिये।

मेरे भाई मोहनलाल जी ने एक बात कही, मैं मानता हूं कि वह ईमानदारी की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी राय है और भी बहुत से भाई बोले जिन्होंने रेफरेंडम की बात कही, लेकिन मोहनलाल जी ने कम से कम यह दावा नहीं किया, उन्होंने तो केवल यह कहा कि मेरी निजी राय ऐसी है और वे लोग जो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि इस विषय पर रेफरेंडम कर लें म उनको पश्चिम के कई जिलों मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा के लिये दावत देता हं कि वहां रेफरेंडम कर लें लेकिन एक भी व्यक्ति उनका साथ नहीं देगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—दावत स्वीकार है ।

श्री मलखानसिंह—मेरे एक भाई, वीरेंद्रपति यादव जिन्होंने यह कहा कि एक नहीं अभी करोड़ों पगिक्कर इस देश में हैं, तो इस तरह की बात भावावेश में आकर अनर्गल कह देना मेरी समझ में आया नहीं, करोड़ों ऐसे आदमी जो इस बात को चाहते हों कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े हों, मैं नहीं देखता। कुछ गिने-चुने भाई ही इस बात के पक्ष में हैं। लेकिन मैं उनसे साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि यह जो आप अलहिदा होने की बात कर रहे हैं यह भारतवर्ष के उत्थान के लिये नहीं है, यह उसको पतन की ओर ले जाने वाली है। जहां हम सब लोग एक साथ होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़े और जहां सुरक्षा की नीति से भी यह आवश्यक बात है, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान बनने पर थोड़े दिनों बाद हमारे सूबे में भी एक बवंडर उठा था, तो आधी रात में, एक बजे और २ बजे वहां के कलेक्टर और कप्तान मुझे बुला कर ले जाते थे और मैं बुलन्दशहर जिले में गया, और अलीगढ़ में बल्बों को रोका, यहां तक कि दूसरे जिलों में और देहली में जाकर हमने बल्बों को रोका। इस बात का श्रेय उत्तर प्रदेश का तभी हो सका जब कि यहां का सुसंगठित और मजबूत राज्य था अन्यथा यह कभी नहीं हो सकता था। इसलिये इस प्रदेश को कमजोर बनाने की तरफ यदि कोई एक कदम भी उठाने की बात करता है तो मुझे बहुत सख्त चोट लगती है, और मैं अपने उन भाइयों से बड़ी विनम्रता के साथ दस्तबस्ता प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने इस समय अपने विचार प्रकट किये कि पश्चिम को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, और पूर्व वालों की तरफ से यह बात कही गई कि हम छोटे भाई हैं, हमारा भी कुछ खयाल करो तो मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। पूर्वी भाइयों को दया की भिक्षा करने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं समझता हूं कि पश्चिमी जिले के जो भाई हैं, और बहुत से लोगों ने कहा है कि पश्चिम के सब जिले जाने के लिये तैयार हैं, तो यह उनको गलतफहमी है। पश्चिम के कुछ थोड़े से इने-गिने भाई हो सकते हैं जो आज इस आवाज को उठा रहे हैं कि सब पश्चिमी जिले जाने के लिये तैयार हैं। यह बात नितान्त निर्मूल है, और इसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम पिछले चार दिनों से राज्य पुनस्संगठन आयोग की उस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, जो लगभग डेढ़ लाख डाक्यूमेन्ट्स पढ़ने के बाद, जिनमें लगभग २,००० मैमोरेंडम थे, ३८ हजार मील की यात्रा करने के बाद, १०४ स्थानों पर जाने के बाद तथा ९ हजार आदमियों से इन्टरव्यू करने के बाद दी है। चार दिनों से जो यहां विभिन्न विचारों को लेकर भाषण हो रहे हैं उनमें अनेक बातें कही गई हैं। इस प्रदेश का कुछ हिस्सा अलग करके दिल्ली और पंजाब के कुछ जिलों से मिला दिया जाय। इनके पक्ष में कहीं भाषा की दुहाई दी गई, कहीं इतिहास की, कहीं सभ्यता की, कहीं इकोनामिक, फाइनेंस और कहीं राष्ट्रीय योजनाओं की। परन्तु इस पुनस्संगठन के इतिहास में यदि हम जायं तो इसकी उत्पत्ति सन् १९३० ई० में नागपुर में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में हुई, जबकि कांग्रेस ने देश का प्रांतीयकरण भाषा के आधार पर करने का प्रस्ताव पास किया। परन्तु इसके बाद स्वयं कांग्रेस ने विभिन्न समयों पर अपनी नीति में परिवर्तन किये, जैसा कि १९२८ में जब आल पार्टीज कांफ्रेंस में नेहरू कमेटी बनी तो केवल भाषा का आधार न रखकर अन्य बातें भी इसमें सम्मिलित की गईं। इसके बाद १९४८ में एन० वी० पी० कमेटी बनी, जिसमें पं० जवाहरलाल जी, सरदार पटेल और डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया थे। इस कमेटी ने विचार किया, और अपनी रिपोर्ट में भाषा के अलावा और भी कई बातें शामिल कीं, और वह रिपोर्ट कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में स्वीकार की गई। इसके उपरांत हैदराबाद और कल्याणी कांग्रेस अधिवेशनों में प्रांतों के पुनस्संगठन होने पर विचार हुआ, और इस में देश के संगठन और एकता को मुख्यता देकर प्रांतों को बनाने का विचार किया गया। इसके अनुसार कमीशन बना और उसके बनने के संबंध में २९ दिसम्बर, १९५३ को जो भारतीय सरकार का रिजोल्यूशन हुआ, उसमें यह तय हुआ कि वहां की राष्ट्रीय निर्माण योजना को सफल करने के लिये, संस्कृति एवं भाषा के दृष्टिकोणों

को भी सामने रखते हुये, इकोनामिक कंडीशन को सामने रखते हुये इस आयोग का कार्य किया जाय। तो जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें हम देखते हैं कि कमीशन के दो माननीय मेम्बरों ने बहुत सोच समझ कर उत्तर प्रदेश को किसी तरह से भी छूने का यत्न नहीं किया, सिर्फ सरदार पणिक्कर ने उसमें अपना एक मतभेद दिया, और उसमें विभिन्न विरोधी बातें कहीं। लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कही, जैसा कि मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सार की बात हो। उन्होंने एक बात यह कही कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसलिये यह सारे देश के ऊपर अपने लोक सभा में ८६ मेम्बरों के बल पर गालिब रहता है। लेकिन उन्होंने कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं बतायी कि जो यह साबित करती हो कि उत्तर प्रदेश ने अपने ८६ मेम्बरों के होने के कारण सारे देश के साथ कोई ज्यादती की है या बहुमत के बल पर कोई कार्य किया हो। जहां तक भाषा का प्रश्न है स्वयं कमीशन ने माना है और पणिक्कर साहब की भी सम्मति है कि उत्तर प्रदेश भाषा की दृष्टि से एक यूनिट है। कोई दो भाषायें यहां नहीं हैं। अब यह कहना कि यहां अवधी है, भोजपुरी है, पहाड़ी है, ब्रजभाषा है, स्वयं पणिक्कर जी के मत के विरुद्ध जाता है। आज यदि देश की परराष्ट्र नीति, गृह नीति, सुरक्षा नीति, खाद्य नीति तथा यातायात नीति का उत्तरदायित्व केन्द्र के जिन मंत्रियों पर है, वह उत्तर प्रदेश के हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह इसलिये वहां नहीं है कि हमारे ८६ मेम्बर वहां हैं, बल्कि वह इसलिये हैं कि उत्तर प्रदेश ने जवाहरलाल जैसे लाल को पैदा किया है जिस पर कि सारा देश ही नहीं संसार आज गर्व करता है। वह इसलिये है कि माननीय पंत जी जैसा शासन निपुण यहां पैदा हुआ, वह इसलिये हैं कि माननीय डाक्टर काटजू तथा शास्त्री जी जैसे कुशल राजनीतिज्ञ यहां पैदा हुये। मौलाना आजाद यदि आज सारे देश की शिक्षा की नीति का संचालन कर रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश के नहीं है इसलिये हम उनसे कोई द्वेष नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसी बात पणिक्कर जी की रिपोर्ट में नहीं है कि जो यह बतला सके कि उत्तर प्रदेश ने अपने बहुमत के बल पर सारे देश पर गालिब होने की कोशिश की है। एक बात और कही कि प्रदेशों में डिस्पैरिटी है इसलिये उत्तर प्रदेश को छोटा होना चाहिये। लेकिन देश का एक नक्शा हमारे सामने है और उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान एरिया में उत्तर प्रदेश से कम नहीं है। जन-संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो आसाम, बंगाल और बिहार आदि में बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वहां आबादी बहुत घनी है, और अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है तो यह कोई कारण नहीं है कि उसके टुकड़े किये जायं। संस्कृति और सभ्यता की भी बात कही गयी। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहीं भी सभ्यता अलग-अलग हो, अथवा संस्कृति अलग-अलग हो! पणिक्कर जी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वह जब सन् ४७ में बीकानेर राज्य में प्रधान मंत्री थे और उस समय उनकी जो जहनियत थी रिऐक्शनरी, उसका ही वह यहां प्रदर्शन कर रहे हों।

श्री अध्यक्ष--इस तरह का हमला करना उचित नहीं है। वह इसका उत्तर नहीं दे सकते।

श्री कृष्णशरण आर्य--तो इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई सारयुक्त बात ऐसी नहीं कही है जो कि यह साबित कर सके कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

दूसरी बात, जो मूल प्रस्ताव यहां सदन में उपस्थित किया गया है उसके संशोधनों में से एक में ऐसा भी है कि रामपुर को भी वह अपने साथ ले आना चाहते हैं आगरा प्रांत में। अगर रामपुर को आगरा मे ही जाना है तो बरेली क्या उससे दूर है? और अगर दिल्ली में जाना है तो लखनऊ उसके लिये क्या बुरा है? दिल्ली में मिलने के बाद दिल्ली की उन्नति होगी और

[श्री कृष्णशरण आर्य]

मेरठ में मिलने पर मेरठ को उन्नति होगी। रामपुर शहर इतना गरीब है कि उतना गरीब शहर पूर्व में भी संभवतः नहीं है। मेरठ के लोग वहां पर गरीबी बढ़ाने के लिये उसको लेना चाहते हैं जबकि वह उनका प्रदेश नहीं है। यह दशा है तो अपने प्रदेश में लेकर तो वह न मालूम क्या करेंगे।

श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी (जिला सहारनपुर)—

"हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले।"

जनाबवाला, जब कोई मसला पेश आता है तो हम पिछले जमाने की तरफ देखते हैं और यह एक इन्सानी आदत है। चुनांचे जिस वक्त इस कमीशन की तकर्रुरी का वक्त आया तो लोगों ने, खास कर यू० पी० के लोगों ने, इसके मातहत दिल्ली को मिला कर यहां के अजला के साथ में यह ख्वाहिश की कि हमारा सूबा ऐसा बना दिया जाय, और दिल्ली से हम वाबस्ता हो जायं। लेकिन इसके बाद जब मैं देखता हूं कि हर जगह यह दावा होने लगा कि अलग-अलग स्टेट बन जायं। पंजाब का हरियाना बन जाय और बम्बई और महाराष्ट्र में तकसीम हो जाय। उसकी वजह यह है कि हमारे वजीरे आजम पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक दफा यह कहा था कि हमारी मुश्किलें और हमारे प्राबलम जितनी हमारी आबादी है, उतने ही हैं। दूसरे लफ्जों में इसके मायने यह हैं कि हममें खुदगर्जी और इन्फरादियत इतनी है कि हम हर चीज को अपने नुक्तेनिगाह से देखते हैं। हम अपनी जाति को देखते हैं। अपने खानदान को देखते हैं, मुहल्ले को देखते हैं और शहर को देखते हैं। इसी तरह से जब यह मसला पेश आया तो लोगों ने इस इन्फरादियत के साथ इसको जांचने की कोशिश की कि हमारा भी एक सूबा हो। तो यह भी वजह हो सकती थी। हमने यह चाहा कि इस सूबे के भी दो टुकड़े कर दिये जायं, लेकिन यह ख्वाहिश ही ख्वाहिश थी। और ख्वाहिश के पीछे कोई दलील नहीं हुआ करती। उस ख्वाहिश का जब हम दलील, रीजन और दिमाग से ताल्लुक पैदा करते हैं तो वह ख्वाहिश नाकामयाब हो जाया करती है। और जिन ख्वाहिश के पीछे दलील और रीजन नहीं होता वह अरमान पूरा नहीं होता। इसीलिये जब हम इस ख्वाहिश को अक्ल और रीजन के साथ तौलते हैं कि उत्तर प्रदेश बट जाय, तो कोई दलील हमें ऐसी मालूम नहीं होती कि जिस पर किसी मजबूती के साथ वह दावा करने वाले खड़े रह सकें। इब्तदा में जिन लोगों ने इस चीज को उठाया था उन्होंने हरियाना, अम्बाला डिवीजन, दिल्ली, मेरठ डिवीजन, आगरा डिवीजन और रुहेलखंड डिवीजन को मिला कर एक सूबे की सूरत बनानी चाही थी, लेकिन जिस वक्त कमीशन की रिपोर्ट आ गयी तो उनके वास्ते कोई गुंजायश नहीं रही और उन्होंने सरदार पणिक्कर के नोट को अपना सहारा बनाया। दिल्ली उन्होंने छोड़ दिया, अम्बाला छोड़ दिया और यह कहा कि सिर्फ यू० पी० के ही कुछ जिलों को मिला कर एक सूबा बना दिया जाय। दिल्ली वाले बहुत कहते थे कि यू० पी० के अजला को मिला कर एक सबा बनाया जाय। लेकिन आज उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें जैसा शुरू में बनाया गया वैसा रखा जाय। वह नहीं कहते कि हम दूसरे अजला को अपने में मिला कर महा दिल्ली बनाना चाहते हैं। यह कहा गया कि हम मालदार हैं, बड़े हैं। यह अहसासे बरतरी है और इस मर्ज के लोग दूसरों को अपने से अलग ही रखते हैं। मगर यह मर्ज थोड़े ही लोगों में है। उनमें अहसासे बरतरी नहीं है कि हम तो पिछड़े हुये लोगों में से हैं। अब सोशलिस्ट पैटर्न बन गया है और हमारा यह फर्ज है कि चाहे कोई पूरब में रहता हो या पश्चिम में, सबको सहारा देने की कोशिश करें। हमें अपनी ताकत अपने भाइयों के लिये बांटनी चाहिये। यह कोई तर्क नहीं है कि चूंकि हम काबिल हैं, मालदार हैं, बड़े हैं इसलिये हमारा सूबा बांट दिया जाय। यह नहीं कहना चाहिये कि हमारा पैसा दूसरे हिस्सों में खर्च किया जाता है। मान लीजिये की आप बंट भी जावे तो क्या कमजोर हिस्से को सेन्टर मदद नहीं देगा? सेन्टर के पास रुपया आसमान से तो बरसता नहीं है, आप ही लोगों से लेकर जमा करता है और जहां जरूरत होती है वहां खर्च करता है।

तो क्या आप उस वक्त सेन्टर से यह कहेंगे कि जितना रुपया हमसे वसूल किया गया है वह कमजोर इलाकों पर खर्च मत करो ? मैं जनाब वजीरेआजम के रिजोल्यूशन की ताईद करता हूं ।

श्री हरखयालसिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, आज ३, ४ दिन से इस सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है कि इस सूबे के १६ जिले दूसरे और जिलों से मिलकर एक अलग सूबा बनावें या नहीं । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने यह जरूरी समझा कि अगर अंग्रेज के बनाये हुये सूबों का पोलिटिकल नक्शा ऐसा है कि उसमें रद्दोबदल करने से हमारे देश की उन्नति हो सकती है, और हमारा प्रशासन और दूसरे कार्य उन्नति पा सकते हैं, तो उसमें रद्दोबदल करना चाहिये। उसके मातहत यह कमीशन बैठाया गया, जिसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है । कई जगह पर तब्दीली के लिये इस रिपोर्ट में लिखा गया है । कहीं-कहीं तब्दीली नहीं की गई है । उसमें यह भी है कि आयन्दा रद्दोबदल का प्रश्न कभी उठाया नहीं जा सकता है । इस रिपोर्ट पर हमें ठंडे दिल से गौर करना चाहिये सेन्टीमेंट से इसमें काम नहीं लेना चाहिये । हमें अपने देश को हानि होने से बचाना है । इसमें जिद या गुस्से की कोई बात नहीं होनी चाहिये । इसमें ईस्ट या वैस्ट य० पी० या पाकिस्तान बनने का प्रश्न नहीं है । और न राष्ट्र के साथ किसी तरह की गद्दारी का सवाल है । यह ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हमारे देश के नेताओं ने, पूज्य बापू ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, माननीय पन्त जी ने माना है कि हमारे नव निर्माण से राष्ट्र की उन्नति होगी, और हमारे फेडरल यूनिट की सब इकाइयां अपनी-अपनी तरक्की करेंगी । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम उन बातों को भूल गये हैं ५,६ साल पहले की कि जब लूटमार और आग लगी थी । मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि अगर किसी सूबे के बटवारे से ऐसी आशंका हो तो हम उस बटवारे को लानत भेजते हैं, और कतई इसके लिये तैयार नहीं हैं । लेकिन क्या यह बटवारा ऐसा है जिससे ऐसा खतरा हो ? क्या यदि सूबे के कुछ जिले अलग हो गये तो उनका पुराने राजाओं की तरह से अलग झंडा अलग सिक्का, अलग सेनायें होंगी ? अलैग्जेन्डर के हमले और दूसरे हमलों के तर्क यहां दिये गये । उस समय हालत यह थी कि कोई केन्द्रीय सरकार नहीं थी, अलग-अलग राज्य थे, जिनमें द्वेष था और वे जाति–पांति पर निर्धारित थे । क्या आज के सूबे हमारे वैसे ही राज्य हैं ? ऐसी बात नहीं है । चाहे कोई बटवारे के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबकी यह भावना है कि हमारा देश उन्नति करे और संसार में उसका ऊंचा नाम हो । हमें इस भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिये कि इतना खर्च ईस्ट में होता है और इतना वैस्ट में होता है । जो इस भावना को उठाते हैं वे इस बात को कहते हैं कि वे भाई हमारे भूखे हैं, जो दूसरे जिलों में रहते हैं, यह बात उचित नहीं है । मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूं । मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह ईस्टर्न और वैस्टर्न यू० पी० की बात नहीं है । अगर हमारे देश में बंगाल या महाराष्ट्र में भुखमरी है तो देश के हर शहरी का फर्ज है कि अपनी रोटी में से आधी रोटी उनके पास भेज दें। पंडित कमलापति जी ने साफतौर से बतलाया कि सन् ५१, ५२ के बाद ईस्टर्न साइड में कोई ऐसा खर्च नहीं हुआ जिससे वैस्टर्न साइड के लोगों को शिकायत हो । अगर यह नहीं होता तो यह कहा जा सकता था कि वैस्ट वालों का रुपया ईस्ट में खर्च होकर वैस्ट में खर्च नहीं हो रहा है । ईस्ट वैस्ट की बात करना वैस्ट के लिये उतनी ही नुकसानदेह हो सकता है जितनी ईस्ट के लिये । मैं माननीय दुब्लिश जी की बात से सहमत हूं और वह ऐसी है कि उसे मानने में इस सदन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । एस० आर० सी० के एक माननीय सदस्य, डाक्टर सरदार पणिक्कर को भी मैं उस स्थान पर रखता हूं और उनकी योग्यता और उनके अविश्वास के नोट को भी मैं वही वजन देता हूं जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने दिया । सरदार पणिक्कर भी उन्हीं तीन हस्तियों में से हैं, जिनमें से दो ने एक किस्म की राय और सरदार पणिक्कर ने दूसरे किस्म की राय दी और उन्होंने भी राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर अपने विचार रिपोर्ट में व्यक्त किए और उनका जो इस सम्बन्ध में नोट आफ डिसेन्ट है, वह सदन के सामने है ।

[श्री हरखयालसिंह]

दूसरी बात यह है कि यह प्रदेश कितना बड़ा हो, या कितना छोटा हो या छोटे से छोटे सूबे हो जायं, यह गौर करने की बात है। आज हमारे देश में किस किस्म की डेमोक्रेसी है? हमारी डेमोक्रेसी और इंगलैन्ड और अमरीका की डेमोक्रेसी में बहुत अन्तर है। वहां किस प्रकार कांस्टीट्यूशन है, क्या वहां के अधिकार हैं, चाहे पोलिटिकल साइन्स के प्रिन्सिपल में डिफरेन्स न हो, लेकिन जो वहां के प्रिविलेजेज और अधिकार है और दूसरी बातें हैं उनमें अन्तर है। वहां की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोक्रेसी भिन्न है। चाहे माननीय परिपूर्णानन्द जी की राय से मास्को और अन्य देशों के मिनिस्टर इतना दौरा न करते हों, लेकिन मैं कहता हूं किइस देश की सोसाइटी अभी इतनी ट्रेन्ड कहां है? और मैं मास्को की तो क्या कहूं वहां के मिनिस्टर्स तो पब्लिक कंटेक्ट में आते हुए डरते हैं कि किसी तरह की कान्सपीरेसी कहीं न हो जाय, और वह बड़े फैसले अपनी स्पेशल मीटिंग्ज में तय कर लेते हैं, और जो उनकी पालिसी होती है उसको वह बजोर, तलवार, पुलिस आदि साधनों से जनता को मनवाते हैं। रूस की बात तो जाने दीजिये, लेकिन अमरीका और इंगलैन्ड में जिस तरह से डेमोक्रेसी चलती है और जिस तरह के वहां के नागरिक हैं, उनमें और यहां के नागरिकों में बहुत भेद है। वहां तो आज भी यह होता है कि रेडियो से एक स्पीच के द्वारा संदेश प्रजा या जनता को प्रसारित कर दिया जाता है, और यह आशा की जाती है कि उसको सब समझ लेते हैं और उसी से सारी प्रतिक्रिया जो होनी होती है, हो जाती है। लेकिन मैं अपने इस देश की क्या कहूं, सदन के सभी सदस्य और मंत्रिगण जानते हैं कि हमारे यहां अभी स्त्रियां जब वोट देने जायंगी तो पूछने पर भी वह अपने पति का नाम नहीं बतायेंगी, और किसी तरह से भी अपना लम्बा घूंघट लज्जावश नहीं खोलेंगी। स्कूल जाने या दूसरी बातों की तो कौन कहे, शफाखाने में जाने में हिचकती हैं, जल्से में लाइन में बैठने में उनको शर्म आती है। इसमें कोई यहां की जनता का या किसी का दोष नहीं है। जब अभी सारे देश का स्तर नहीं उठा है तो जनता का, माननीय सदस्यों का दोष इसमें नहीं है, और इसी कारण से माननीय सदस्यों के लिए कांग्रेस की तरफ से और शायद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भी सरकुलर जारी होते रहते हैं कि पब्लिक कान्टेक्ट करो। इसलिए जहां तक हमारे मंत्रियों के दौरे का सवाल है वह तो पब्लिक के लाभ के लिए ही है, और वह हमारे देश में बहुत जरूरी है चाहे उन देशों में जिनका जिक्र किया न गया हो। हमारे देश में परसनल कान्टेक्ट से लाभ ही हो सकता है और एम० एल० एज० और मिनिस्टर्स को भी यहां पब्लिक और पर्सनल कन्टेक्ट की जरूरत है।

तीसरी बात हमारे कुछ भाइयों ने यह कही कि इसके लिये पब्लिक की डिमान्ड नहीं है। पब्लिक की डिमान्ड न हो इसकी कोई फिक्र नहीं है, यहां कहीं भी जैसा और जगह प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, हमें तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया कि हम एक ऐसा संविधान चुनें जो डेमोक्रेटिक हो, और अगर हमारी कोई मांग हो तो उसको हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से रखें और उसको मनवाने की कोशिश करें। जो लोग तोड़-फोड, हुल्लड़बाजी या पत्थर जूते फेंकने में विश्वास रखते हैं, उनके उन तरीकों से चाहे अलग सूबा बने या न बने। हम तो मांग को सही और डेमोक्रेटिक तरीके से पेश करते हैं किसी भद्दे तरीके से नहीं, और कोई खुराफात जैसी बम्बई या विन्ध्य प्रदेश आदि में हुई वह हमें नहीं करना है और न किसी को कभी शोभा दे सकता है। और जो लोग इस तरह के गलत तरीके अपनाते हैं उनको मैं समझता हूं कि किसी तरह का प्रोत्साहन मिलना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने पब्लिक में ठीक तरह से मांग रखने की क्षमता पैदा करने की कोशिश नहीं की वह उस के अधिकारी भी नहीं हैं। लेकिन हम तो कांस्टीट्यूशनल तरीके से, एक डेमोक्रेसी के जायज तरीके से अपने नेताओं तक और अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और हमारी जनता भी बता सकती है अगर उनसे इस विषय में राय ली जाय। कुछ भाइयों ने कह दिया कि एक भी आदमी इसकी सपोर्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास

है कि वहां के ८५–९० प्रतिशत आदमी इस बात को चाहते हैं कि एक अलग स्टेट इस तरह की बने। उस प्रान्त के बनने पर भी मैं समझता हूं कि इस प्रान्त और उस नये प्रान्त में कोई आपस में भेदभाव की बात नहीं है। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप चेंज हो जाने से कोई भेद कहां उत्पन्न होता है। कृष्ण मथुरा में हुये, राम अयोध्या में हुये। हमारे वैस्टर्न साइड के भाई, जो इतने तीर्थ स्थान पूर्वी इलाकों में हैं, वहां समय-समय पर हिस्सा लेते हैं, वहां के लोग इतनी दूर से यहां आते हैं और इधर के लोग आज भी मथुरा जाते हैं और जाते रहेंगे, आते रहेंगे। यह आपस की भावनायें, आपस के विचार दोनों के और इस देश के हर एक व्यक्ति के आपस के जो विचार हैं, वे भिन्न नहीं हैं और वे आत्मिक रूप से और मन से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव चेंज को कोई ऐसा चेंज नहीं मानता हूं कि हमारा आपस में झगड़ा हो जायगा, हममें नाइत्तिफाकी हो जायगी। हम क्या सारी आज दुनिया इतनी नजदीक आ रही है कि एक मुल्क आज दूसरे मुल्क की तरक्की के लिये कोआपरेशन देता है कि दूसरा मुल्क तरक्की कर जाय।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर, जो तीन चार रोज से इस सदन में बहस हो रही है, और जिस पर नेता सदन ने अपना प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्वाभाविक रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी यह ख्याल था कि हर एक राष्ट्र, हर एक प्रान्त हमेशा इसी बात को सोचता होगा कि हमारी वृद्धि कैसे हो, न कि ऐसा कि हमारी अवनति कैसे हो। मुझे ताज्जुब हुआ जब कि दो तीन दिन की बहस को मैंने सुना। कुछ सदस्यों ने ऐसी भावनायें प्रदर्शित कीं कि हमारी ताकत कैसे कम हो। मैं तो यही आशा करता था कि हमारे प्रान्त की ताकत कैसे बढ़ेगी।

(इस अवसर पर ५ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

परन्तु अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ व्यक्तियों की राय ऐसी मालूम हुई कि किसी प्रकार इस प्रान्त की ताकत घटे। मुझे तो सदन की ही, और उसमें भी सदन के कुछ सदस्यों की ही ऐसी राय मालूम हुई, जनता की राय किसी अखबार के जरिये या किसी और प्रदर्शन आदि के जरिये नहीं मालूम हुई कि जनता इस उत्तर प्रदेश की एकता के विरुद्ध हो, क्योंकि कोई कहीं ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखलाई दिया। साइलेंस इज हाफ कंसेंट। तो मैं सोचता हूं कि ५१ जिलों में जो विचार धारा जनता की अब तक है, उससे तो यही अब तक प्रतीत होता है कि सारी जनता का समर्थन इसकी एकता के साथ है कोई खिलाफ नहीं है। हमारे पर्वतीय प्रदेश के लोगों ने यहां पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया है। मुझे दुख है कि टेहरी के एक माननीय सदस्य ने यह यहां कहा और पता नहीं कि उनके कहने का क्या आधार था कि वहां के लोग यह चाहते हैं कि यू० पी० में रहने में उनकी बेहतरी नहीं है, और हमें दुःख है कि इसके लिये उन्होंने यह सोचा कि हम हिमांचल प्रदेश में चले जायं, और उन्होंने यहां तक दावा किया कि सारा टेहरी-गढ़वाल इसके साथ है। गो कि मुझे शक है इसलिये कि मुझे मालूम है कि पर्वतीय प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं। अभी कुछ थोड़े दिन हुये नैनीताल में कान्फ्रेंस हुई जिसमें चारों जिलों के प्रतिनिधि आये थे, उसमें यही तय हुआ था कि हम लोग यू० पी० से कभी भी अलग होना पसन्द नहीं करेंगे। हम तो हिमांचल प्रदेश के लिये स्वप्न में भी ख्याल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह तो एक ऐसा प्रदेश है जो सालवेंट प्रदेश कहा नहीं जा सकता, जिसकी रेक्टल फीडिंग सेन्टर सबसीडी पर चल रही है, जिसके भविष्य का पता नहीं है, तो ऐसे प्रदेश के साथ जाना अलाभकर है, बिल्कुल अनर्गल है, और बिल्कुल मूलरहित है। मुझे उसमें दूरदर्शिता तो छोड़ दीजिए कोई तुक नहीं मालूम होती। मैं आशा करता हूं कि ऐसी भावनायें जो प्रदर्शित की गई हैं उससे कोई गलतफहमी इस

[श्री नरेंद्रसिंह विष्ट]

सदन में नहीं होनी चाहिये कि कामन मैन इस पर्वतीय प्रदेश का ऐसा सोचता होगा कि हमें इस प्रदेश का साथ नहीं देना चाहिये, या यहां से दु:खी हैं। इस बात में अवश्य तथ्य है कि वह जो चार जिले हैं पर्वतीय प्रदेश के ये बहुत गरीब हैं, और उनकी बहुत बुरी हालत है। लेकिन बावजूद इन बातों के वे अपने को उत्तर प्रदेश के साथ रखने में जो सारे हिन्दुस्तान में इतना बड़ा प्रदेश है, गौरवशाली समझते हैं। वे कभी यह विचार नहीं करते कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर जायंगे। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि बार्डर का इलाका होने से जैसे कि काश्मीर या हिमांचल प्रदेश और आसाम के इलाकों को सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत फायदा पहुंच रहा है—उत्तर प्रदेश के इन चार पहाड़ी जिलों को भी उन फायदों से वंचित न होना चाहिये। उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनका सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक विकास हो, राजनैतिक उत्थान हो और सैनिक उत्थान हो और जो पंचवर्षीय योजना बन रही है, उसमें जो पर्वतीय प्रदेशों का उत्थान और निर्माण कार्य हो रहा है, वह कार्य प्रान्तीय स्तर पर न समझा जाना चाहिये बल्कि वह सारे राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जाय। और हमारे इस बार्डर के इलाके को भारत सरकार से डिफेन्स के लिये पूरी-पूरी मदद मिलनी चाहिये। मैं पर्वतीय प्रदेश के बारे में अभी केवल इतना ही कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, हालांकि मेरी इच्छा तो थी कि मैं वहां की भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता। लेकिन जो विषय सदन के सामने विचाराधीन हैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें हमारे पर्वतीय प्रदेश का कोई भी इलाका उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहता हो। मैं उन आदमियों में हूं जो बहुत आशावादी हैं और जो हमेशा यह चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की दिन प्रति दिन उन्नति हो। मैं राजा वीरेन्द्रशाह के सुझाव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य भारत के चार जिले भी उत्तर प्रदेश में मिला लिये जायं, जिससे हमारा प्रान्त और भी आगे बढ़ सके। और मुख्य मंत्री जी ने बघेलखंड के इलाके के लिये जो सुझाव दिया है उसका भी मैं हृदय से समर्थन करता हूं। अब तक हमारा प्रान्त ऐग्रिकल्चरल एकोनामी पर ही आधारित रहा है, लेकिन जमाना आयेगा अगर हम उस पर ही सीमित रहे तो हमारा उत्थान नहीं हो सकता। इसलिये हमको सोचना है कि हमारे प्रान्त की इंडस्ट्रियल एकोनामी भी आगे बढ़े ताकि हमारा आर्थिक स्तर ऊंचा हो और हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े नेता हैं, पं० जवाहरलाल, पं० गोविन्द बल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री—जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में हैं—लेकिन जमाना एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमारे यहां ऐसे नेता न रहें तो इस प्रान्त की वह इज्जत, वह स्थान सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रहेगा जैसा कि आज है। इसलिए मैं तो सोचता हूं कि यदि कम्यूनिस्ट स्टेट यहां न बने, और ५०–६० साल तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर यहां चलती रहे तो हमारा आधारभूत इज्जत तभी ही कायम रह सकेगी जब हम पोलिटिकल पावर के साथ एकोनामिक पावर भी गेन करते जायं। जब एकोनामिक व्यवस्था सुधरेगी तो तमाम हिन्दुस्तान के स्तर पर हमारी पोलिटिकल पावर कायम रहेगी। इसके लिये नितान्त आवश्यक है कि जो हमारी पोलिटिकल पावर का जो स्तर है उसमें सीमित न रह कर अपनी एकोनामिक ताकतों को भी बढ़ाने की कोशिश करें, और यह तभी हो सकता है कि जो मिनरल रिसोर्सेज के इलाके हैं, जैसे बघेलखंड आदि या दूसरे इलाके जिनका जिक्र करने के लिये मुझे अभी रोक दिया गया ---ऐसे इलाकों का हमारे साथ आ जाना नितान्त आवश्यक है। उनके ही आने से हमारे देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। इन विचारधाराओं को रखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के रखे हुए प्रस्ताव का और राजा वीरेन्द्रशाह के रखे हुए प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

*स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश) (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई खास विचार नहीं था कि मैं सदन का कोई समय लूं। किन्तु इस महत्वपूर्ण विषय पर चुप रहना भी मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं उस इलाके में से आता हूं जिसको पश्चिमी कहा जाता है और पश्चिमी में भी उस जिले से जो जिला वहां का एक मुख्य स्थान कहलाता है।

श्री अध्यक्ष---उसका नाम लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा।

श्री कैलाशप्रकाश---मेरठ, श्रीमन्, आज लगभग २५ वर्ष हुये, जब से सार्वजनिक जीवन से मेरा संबंध है। और इन पच्चीस वर्षों में यह प्रश्न बटवारे का प्रश्न किसी न किसी रूप में मेरे सामने आता रहा। जब सन् १९३० में हम आन्दोलन में हिस्सा ले रहे थे तो मेरठ और मुजफ्फरनगर यह दो जिले कांग्रेस संस्था के हिसाब से दिल्ली प्रांत में थे और दिल्ली सूबा कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत रह कर हमने उन आन्दोलनों को चलाया। उन आन्दोलनों में इन पश्चिमी जिलों के लोगों ने कुरबानियां कीं और हिस्सा लिया। किन्तु श्रीमन्, जितने लोगों ने हिस्सा लिया, उनको दिल्ली के साथियों के साथ रहने का मौका मिला और इस प्रदेश के साथियों के साथ भी रहने का मौका मिला। सबको यही अहसास हुआ कि हमको तो उत्तर प्रदेश में मिल जाना चाहिये। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस समय मेरठ और मुजफरनगर के जिलों ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी से यह बात कह कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं तो एक साथ करीब-करीब सब की सहमति थी और उसके साथ उत्तर प्रदेश आये। श्रीमन्, आज प्रश्न फिर यह उठता है। मैं टटोलता हूं अपने दिल को, तो ठंढे दिल से इस बात पर विचार करता हूं कि क्यों यह बटवारे का प्रश्न फिर उठता है? मैं जानता हूं, इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं कि मेरे कुछ साथी हैं उनकी राय इस बटवारे के पक्ष में है, मैं उनकी राय की कद्र करता हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि उनका सार्वजनिक जीवन बहुत दिन का है, और इस बात को भी मानता हूं कि देश प्रेम में भी वह किसी से कम नहीं हैं। मैंने अपने दिल को टटोला, बारबार इस बात को सोचा कि क्या उत्तर प्रदेश का बटवारा ठीक है? मैंने वहां के लोगों से बात-चीत की। मुझको जिन लोगों के अन्दर इस बात को सोचने की शक्ति थी उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। किन्तु सोचने और बात करने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उत्तर प्रदेश के बटवारे की कोई विशेष बात नहीं है। हां, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि यह बात एक दफा पंजाब से उठी थी, पंजाब के हरियाना प्रदेश की ओर से यह बात उठी थी कि हमको एक अलहदा प्रदेश बनाना चाहिये और मेरठ इत्यादि मिल जाना चाहिये। दिल्ली के प्रदेश से भी यह सब बातें उठीं, ठीक बात है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र दीनदयालु शास्त्री जी ने भी कहा कि हमें अब अपने राज्यों का पुनर्गठन करना है, तब हमें इस बात को भी विचार करना होगा और यह भूलना नहीं होगा कि जो हमारे पड़ोसी इलाके हैं उनकी क्या स्थिति है? और उससे मुझे यह महसूस हुआ कि जो हमारे बटवारे की भावना है, जो पुनर्गठन की भावना है इसके अन्दर स्वतः वह चीज नहीं है। जो चीज है, वह उन इलाकों के साथ सहानुभूति की बात है। सहानुभूति रखना बहुत अच्छी बात है, सहानुभूति रखनी चाहिये और अगर हम अपने साथियों को, कोई अपने सहयोगियों को सहायता पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाना जरूरी है। किन्तु श्रीमन्, मैं यह पूछता हूं कि क्या जो खुद कमजोर है, जिसमें खुद कोई ताकत न हो, क्या वह किसी दूसरे को सहायता पहुंचा सकता है? आज इस उत्तर प्रदेश में जब हम एक जगह लगे हुये हैं, उस समय क्या यह सोचा जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश कमजोर न हो, जब उत्तर प्रदेश में शक्ति हो, तब जरूर सोचा जा सकता है कि किसी जिले की सहायता करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दें और टुकड़े कर देने के बाद हम दूसरे को सहायता कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूं श्रीमन्, यह एक भूल की बात है। यदि हम उनकी सहायता कर सकें, हमें अवश्य करनी चाहिये किन्तु अपनी इस शक्ति को रखकर ही हम उनकी सहायता कर सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

श्रीमन्, यहाँ पर मेरे एक मुअज्जिज साथी ने यह भी बात कही कि अगर बटवारा न भी हो या बटवारा हो तो उसमें तो रिफ़्रेंडम करा लेना चाहिये। मेरी कोई दावा करने की आदत नहीं है और प्रजातंत्र में सार्वजनिक जीवन में कोई दावा भी करना नहीं चाहिये, किन्तु जितनी मेरी कुछ जानकारी है उस जानकारी के सिलसिले में मैं यह कह सकता हूं कि यह कोई एक इतनी जबरदस्त मांग नहीं है कि जिसमें रिफ़्रेंडम की बात हो। श्रीमन्, रिफ़्रेंडम होना तो एक आगे की बात है, लेकिन आज जो प्रतिनिधि हैं, उत्तर प्रदेश के जो उन जिलों के प्रतिनिधि हैं, उनको सामने रखकर ही अगर हम अनुमान लगायें तो हमें यह प्रतीत होता है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। केवल इतना ही नहीं मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र उस रोज मेरठ में मौजूद थे या नहीं जब कमीशन मेरठ में आया था और उस कमीशन के सामने दोनों पक्षों ने अपनी रायें रखीं। मैं नहीं जानता उन्होंने उन लोगों को भी देखा या नहीं जो लोग कि इस पक्ष की ओर से आये थे कि उत्तर प्रदेश का विभाजन न प्रदेश के हित में है और न देश के हित में है। उनमें चुने हुये लोग थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी नुमाइन्दे थे, म्युनिसिपल बोर्ड के भी चुने हुये लोग थे, उन सबको देखकर इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता था और लग सकता है कि वहां के लोगों की क्या राय है और रिफ़्रेंडम का नतीजा क्या ऐसा होगा कि वहां के सब लोग बटवारा चाहते हैं? श्रीमन्, मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं और मानता हूं कि वह जिले सीमा के जिले हैं, सीमा उनकी है, और जो सीमा के जिले होते हैं वहां के रहने वालों का, वहां जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनसे भी संबंध होता है। आज मैं इस बात को मानता हूं कि मेरठ के कुछ लोगों का पंजाब वालों के साथ संबंध है, उनके बीच रहन-सहन का संबंध है, विवाह शादी का संबंध है, मुजफ्फरनगर के लोगों का भी है, उनकी ऐसी भावना हो सकती है कि अगर हम मिलें तो इनसे मिलें। किन्तु इससे यह अनुमान लगा लेना कि सब लोग बटवारा चाहते हैं, सब लोग इस उत्तर प्रदेश का विभाजन चाहते हैं तो मुझे यह उचित नहीं प्रतीत होता। श्रीमन्, एक बात और है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ कमी की आवाज उठती है, कभी-कभी ऐसा प्रश्न पश्चिम के जिलों के द्वारा पैदा होता है कि हमारी जो जरूरियात हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। और जब उनको यह महसूस होने लगता है कि हमारी कोई सुनता नहीं तो उनको कुछ गुस्सा होता है और उस गुस्से में यह महसूस होता है कि हम अलाहिदा क्यों न हो जायें, हमारी तो यहां कोई बात सुनता नहीं। इस बात को भी जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसी चीज कहीं नजर नहीं आती कि किसी जगह भी यह मांग न हो। माननीय गौतम जी ने स्वयं इस बात को कहा कि उनका भी यह तजुर्बा है कि जब वह फतेहपुर गये तो फतेहपुर में भी उनसे यह बात कही गई कि पूरब के लोगों की मांग स्वीकार हो जाती है, पश्चिम के लोगों की मांग स्वीकार हो जाती है, लेकिन बीच के जो हम बचते हैं हमारी कोई मांग स्वीकार नहीं होती है।

बाराबंकी लखनऊ के बिलकुल पास का जिला है वहां भी हम अगर जायं तो वहां भी हमको यही सुनने को मिलता है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, हमारी यह दिक्कतें हैं, हमको यह तकलीफें हैं। तो यह अगर इससे अन्दाजा लगाया जाय कि वहां के लोग यह चाहते हैं कि वह अलाहिदा हो जायं तो यह मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। बहन प्रकाशवती जी ने कहा था कि हम अपने क्षेत्रों की बात रखने के लिये अपने मुख्य मंत्री से कहेंगे, अपने मंत्रिमंडल से कहेंगे, जोरों के साथ कहेंगे। लेकिन इन सब चीजों से यह अनुमान लगाया कि हम बटवारा चाहते हैं, हम इस हद तक तैयार हैं कि बटवारा चाहेंगे, तो मुझे उचित प्रतीत नहीं होगा। श्रीमन्, मैंने माननीय कमलापति जी की भी बात सुनी और वास्तव में मुझे दुख है कि आज इस सदन के कुछ सदस्यों के मन में इस तरीके की भावना पैदा हो गयी कि पश्चिम के लोगों के दिलों में यह चीज है कि हमारा रुपया पूरब के जिलों पर खर्च होता है। श्रीमान्, मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ लोगों के मन में यह बात हो। यह भी श्रीमान् मैं स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी कुछ लोगों की ओर से ये बातें कही गयीं, किन्तु मैं उनको विश्वास दिलाता हूं

और केवल मैं नहीं उन लोगों ने भी अच्छे तरीके से उनको विश्वास दिलाया है कि जो आज कुछ इस सदन में विभाजन के पक्ष में बोले हैं उनके मन में इस तरीके की भावना नहीं है, इस तरीके की संकीर्णता की दृष्टि से वह इस चीज को नहीं देखते हैं। और जैसा पश्चिम के जिलों के लोगों को मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी है उनके दिल में कोई इस तरीके की संकीर्णता की भावना नहीं है कि वह किसी तरीके से इस बात पर एतराज करें जब कि हम इस देश का नव-निर्माण करने चले हैं, जबकि हम यहां एक नया समाज बनाना चाहते हैं, जबकि हम कमजोर कड़ियों को सबल बनाना चाहते हैं तब उनके दिल में यह खयाल पैदा हो कि क्योंकि हमारा रुपया ज्यादा है और दूसरों पर ज्यादा खर्च होता है तो हम अलहदा हो जायं। श्रीमान्, मैं आज यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर किसी हिस्से से यह बात आती है, और अगर कोई इस तरीके की बात का विचार करता है तो उससे घातक और कोई बात हो नहीं सकती। सारे जीवन में सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात होती है कि किन सिद्धान्तों पर हम चलने वाले हैं? विशेषकर प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में मिनिस्टर्स आते हैं चले जाते हैं पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, किन्तु सिद्धान्त अपनी जगह रह जाता है। और जो सिद्धान्त संचालकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, श्रीमान् जनता उसको पकड़ लेती है। और प्रतिपादन करने के बाद अगर नेता भी उसको वापस लेना चाहे तो जनता उसको वापस लेने नहीं देगी। अगर आज हम उस बात का प्रतिपादन करें कि जिन क्षेत्रों की आवश्यकता हो कि उनका निर्माण का कार्य अधिक होना चाहिये और दूसरे लोग जोकि उनकी सहायता कर सकते हैं वह इस बात से गुरेज करें तो किस तरीके से हम इस भारत का नव-निर्माण कर सकते हैं? किस तरीके से हम इस बात के हकदार हो सकते हैं कि हम केन्द्र से सहायता प्राप्त कर सकें?

श्रीमन्, मैंने बहुत गौर से इस प्रश्न पर विचार किया। २५ साल से इस प्रश्न पर विचार करता आता हूं, लेकिन मुझे कोई इस तरीके का तर्क और दलील समझ में नहीं आई जिसकी वजह से मैं भी इस पक्ष में होऊं कि उत्तर प्रदेश का बटवारा हो और श्रीमन्, आज लगभग ४ दिन हुए, तब से मैं भी बहुत गौर से इस सदन में बैठा हुआ इन तर्कों को सुन रहा था। मुझे कोई तर्क बावजूद इन सब बातों के, मेरी समझ में आया नहीं जिसमें कोई सार हो, जिसकी वजह से आवश्यक हो कि हम अपने प्रदेश का बटवारा करें।

माननीय श्रीचन्द्र जी ने बात कही, और उन्होंने कहा यह कि क्योंकि हमारा यह प्रदेश बहुत बड़ा है और केवल मिनिस्टर्स के आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है और क्योंकि इतना जबरदस्त फासला है कि उनका टी० ए० और डी० ए० में खर्चा बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए इस प्रदेश का बटवारा हो जाना चाहिये। श्रीमन्, जब हमारे देश की कसौटी पर इस सिद्धान्त को रखा जाता है तब तो मुझे इस चीज के स्वीकार करने में एक बड़ी जबरदस्त परेशानी होती है। आज यह हमारा प्रदेश बटे या न बटे लेकिन इस देश के बहुत से प्रदेश अंग हैं---वह अंग है जो दक्षिण में हैं---देहली से बहुत दूर। जब दक्षिण वाले लोगों को देहली आने में न मालूम कितने दिन लगते हैं। अगर यह एक दलील, यह एक तर्क देरी का हम आज स्वीकार करने लग जायं और सब चीजें देरी पर आश्रित कर ली जायं तो, श्रीमन्, मुझे अन्देशा मालूम होता है कि हम अपने इस देश की अक्षुण्णता को कुछ धक्का पहुंचा सकते हैं, इससे हम अपने देश में एक ऐसे सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं जिसके द्वारा इस देश की एकता पर कभी भी एक दिक्कत पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में एक मध्य प्रदेश बनाया गया जिसका क्षेत्रफल बड़ा जबर्दस्त है, हमारे इस प्रदेश से भी ज्यादा है। और फिर मेरे साथी ने यह कहा कि किसी प्रदेश का बड़प्पन उसके क्षेत्रफल से नहीं होता है, उसके नागरिकों से होता है। मैं भी स्वीकार करता हूं, किन्तु इस बात के लिये तो वह चीज नहीं है कि टी० ए० और डी० ए० बहुत ज्यादा बनता है, मिनिस्टर्स सम्पर्क में नहीं रह सकते। जहां तक इस बात

[श्री कैलाशप्रकाश]

का सम्बन्ध है कि खर्चा अधिक होता है, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि दूर बहुत है, तो श्रीमन् यह तो क्षेत्र से ही ताल्लुक रखता है, आंकड़ों से नहीं। और अगर एक जगह इतना बड़ा क्षेत्र बनाना ठीक हो सकता है तो फिर यह बात कैसे सिद्ध होती है कि हमको इस क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये।

विशेषकर एक दलील अक्सर दी गयी और वह यह कि जैसे कि माननीय गौतम जी ने कहा कि उनकी निजी राय यह है कि दो से चार करोड़ तक के प्रदेश होने चाहिये, उनका प्रशासन बहुत अच्छा हो सकता है। श्रीमन्, इस सिद्धान्त को भी आइये इस कसौटी पर कस कर देखें। हमारे इस देश में तो ऐसे सूबे थे कि जिनकी २ करोड़ से ४ करोड़ तक की भी आबादी थी, ऐसे भी सूबे थे कि जिनकी आबादी लाखों में थी, और ऐसे भी सूबे थे कि जिनकी आबादी हमारे जैसे सूबे की तरह थी। प्रशासन का मुकाबिला कर लीजिए। समय नहीं है, लाल-बत्ती दिखायी पड़ती है। उनका मुकाबला करना आंकड़ों से हमारे लिए दुश्वार है, किन्तु इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि हमारे इस प्रदेश का शासन अच्छे शासनों में से है। इतना ही नहीं, जैसा कि माननीय विचित्र भाई ने कल कहा कि इस प्रदेश का शासन इतना संगठित शासन है कि जब कभी देश में किसी चीज की आवश्यकता पड़ी है। जब कभी ला ऐंड आर्डर को खतरा हुआ है तब हमने जाकर वहां सहायता की है। पंजाब और दिल्ली का उदाहरण तो माननीय विचित्र भाई दे ही चुके हैं, किन्तु मुझे याद पड़ता है, अगर मैं भूल नहीं करता हूं कि एक दफा जब हैदराबाद में इस बात की आवश्यकता थी कि वहां अच्छे प्रकार की पुलिस होनी चाहिये तो इस प्रदेश के पी० ए० सी० की कम्पनियां हैदराबाद भेजी गई थीं। तो इस तरह से हम एक बड़ा प्रदेश रख कर अपने शासन को ठीक कर सकते हैं। और फिर इस बात पर भी सही है कि प्रजातंत्र में खर्च का एक तरीका होता है और जितनी इकाइयां प्रजातन्त्र के शासन की कम होती चली जायंगी खर्चे का प्रतिशत बढ़ता चला जायगा। तो इस तरीके से इस प्रदेश के बटवारे का कोई सिद्धांत मुझे महसूस नहीं होता। मैंने आपसे निवेदन किया श्रीमन्, कि मुझे इतने दिनों से देखने और सुनने के बावजूद अपने दिल को टटोलने के बावजूद कोई तर्क आज भी और इससे पहले भी इस बात का दिखलाई नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप ठंडे दिल से इस बात पर विचार कीजिये और फिर निर्णय कीजिये।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, २२ तारीख को इस विषय पर वाद-विवाद को आरम्भ करते हुये मैंने एक निवेदन किया था। उस निवेदन का तात्पर्य यह था कि हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राज्यों के प्रदेशों की सीमायें रोज नहीं बदली जातीं। एक बार जो सीमा तय हो गयी तो स्थायी तो इस दुनिया में क्या चीज होती है, परन्तु फिर भी सम्भवतः १००—५० वर्ष तक वही बनी रहेगी, और उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलता जायगा। ऐसी अवस्था में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी दल का हो, किसी पार्टी का हो, प्रत्येक व्यक्ति को माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा अवसर होना चाहिये और हम सब लोगों को यह मान कर चलना चाहिये कि जो भी राय यहां दी जायगी, वह नेकनीयती के साथ दी जायगी। प्रत्येक सदस्य उतना ही देशभक्त है, प्रत्येक सदस्य के सामने भारत की सुरक्षा का, भारत एकता का, उतना ही ध्यान है जितना कि किसी दूसरे सदस्य के सामने हो सकता है। इसलिये मैंने प्रार्थना की थी कि अपनी सम्मति व्यक्त करते समय किसी की नीयत पर किसी प्रकार का आक्षेप न किया जाय और वाद-विवाद के दौरान में किसी प्रकार की कटुता या कड़वापन न आने दिया जाय। मुझे यह देख कर बहुत ही संतोष हुआ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरी इस प्रार्थना का प्रायः लिहाज किया गया।

प्रश्न जटिल है और ऐसे मौके पर कुछ न कुछ भावना का जाग जाना अस्वाभाविक नहीं है और जब भावनायें जाग जाती हैं तो कभी-कभी होश को जोश मिल जाया करता है, उत्तेजना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जाती है, क्रोध आ जाता है, फिर भी जिस ऊंचे स्तर पर यहां वाद विवाद हुआ, उसके लिये मैं समझता हूं कि हम सब अपने को बधाई दे सकते हैं। विशेषतः जब हम देखते हैं कि किन्हीं और जगहों पर इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करते समय कितनी अधिक कटुता आ गई थी।

यह ठीक है कि कुछ भाषण ऐसे हुये जो कि इस स्तर से कुछ नीचे गिर गये। मैं उनके संबंध में कुछ और ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। परन्तु मुझे यह जरूर विश्वास होता है कि जिन माननीय सदस्यों से ऐसी कोई गल्ती हुई वह स्वयं उसको अनुभव कर रहे होंगे, उनको स्वयं दुख होगा कि उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई, जो इस सदन की मर्यादा और स्वयं उनकी शान के अनुरूप नहीं थी और मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात का मुझको दुख हुआ कि अपने नोट में सरदार पणिक्कर जी ने चाहे जो कुछ कहा हो लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रांत के विभाजन के पक्ष में बोलते हुये, उनकी कही हुई हर बात को बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं थी ! उन्होंने इस नोट में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का शासन बहुत अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिन हमारे साथियों को प्रदेश के विभाजन के पक्ष में बोलना था वह बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी बात सदन में कह सकते थे बगैर इस बात के कहे हुये। हम इस बात का दावा नहीं करते कि उत्तर प्रदेश के शासन में, उत्तर प्रदेश की गवनमेंट में कोई गल्ती नहीं है। हम आदमी हैं, हमने एक बहुत ही कठिन समय में, जब कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ, अपने हाथ में शासान की बागडोर सम्हाली थी। जरूर हमसे गलती हुई होगी। जरूर हमसे कमियां हुई होंगी और उनमें से कुछ गलतियों का हमको अनुभव भी हुआ, एहसास भी हुआ, ज्ञान भी हुआ। ऐसी भी गलतियां होंगी कि जिनका हमको पता न होगा। इस प्रस्ताव पर बोलते हुये सामने बैठे हुये कई माननीय सदस्यों ने उनमें से कुछ गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं नहीं कहता कि उनका कहना गलत है। मैं मानने के लिये तैयार हूं कि वह गलतियां हुईं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि प्रदेश का शासन इससे अच्छा हो सकता है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि जितना ध्यान हमको प्रदेश के हर कोने की उन्नति के लिये, सर्वांगीण उन्नति के लिये, हर तरह की उन्नति के लिये देना चाहिये था शायद हम उतना नहीं दे सके। यह हमारी गलती होगी, कमजोरी होगी। हो सकता है कि इस देश को समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिये जैसे कदम उठाने चाहिये, जैसे मजबूत कदम उठाने चाहिये, जितनी तेजी के साथ कदम उठाने चाहिये हम उस दृष्टि से भी कमजोर पाये गये हों ! यह सब मैं मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन यह गलतियां ऐसी नहीं हैं कि उनकी वजह से देश के विभाजन की बात कही जाय। यह बातें ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें हम आपस में बैठ कर एक दूसरे की राय से, एक दूसरे के परामर्श से सुधार न सकें। इनका हम सुधार कर सकते हैं। फिर इन बातों का ब्राडकास्ट करना, मुश्तहर करना कि यहां की हुकूमत खराब है ? मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक है ? पता नहीं इससे किसकी शान बढ़ती है ? मैं नहीं समझता कि इससे किसी का बड़प्पन बढ़ता हो ? पता नहीं इसके कहने से क्या होगा कि हमारे देश का, प्रदेश का शासन निकम्मा है, इसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन जो लोग कमियों की बात कहते हैं उनको एक बात का जिक्र करना जरूर चाहिये था कि हमने क्या विरासत पाई थी ? जिस वक्त हमने हुकूमत सम्हाली थी उस वक्त हमको क्या मिला था ? उसका भी जिक्र होना चाहिये था। जब उस चीज का जिक्र किया जाय तभी इस बात का अंदाजा हो सकता है कि पिछले ९ वर्षों में हम कितना आगे बढ़े हैं। हम दूसरे प्रांतों से कितना आगे बढ़े हैं। सन् १९४७ में क्या हालत थी और उस दौड़ में अगर हम उसे दौड़ कह सकें तो, उसमें कौन कहां था, और जो हमारे अपने साधन थे, रिसोर्सेज थे उनको देखते हुये हमारा यह प्रदेश कितना आगे बढ़ा। इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिये, अपनी कमजोरी बयान करने में, अपने को निकम्मा कहने में कोई खास खूबी होती है यह मैं समझ नहीं पाया। आखिर आज केन्द्र में कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमारे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रदेश के हैं। हमारे प्रदेश के लोग हैं इतना ही नहीं कि वह हमारे प्रदेश में पैदा हुये हैं बल्कि उनमें से कितनी ही हस्तियां ऐसी हैं कि जिनका इस प्रदेश के शासन से, हुकूमत से वर्षों तक ताल्लुक रहा है। अभी जो होम मिनिस्टर वहां हैं, पंडित पंत वह तो शुरू से ही यहां के मुख्य मंत्री रहे हैं। आज हम उनकी तारीफ सुनते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस मिनिस्टर के साथ जो मुहकमा है उसका वह बड़ी खूबी के साथ इन्तजाम कर रहा है। तो फिर क्या बात है, क्या हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में कोई खराबी है कि वही आदमी जब यहां रहा तो उसका शासन खराब था, निकम्मा था, उसने उत्तर प्रदेश को चौपट कर दिया और जब वह केन्द्र में गया तो उसी ने वहां का शासन अच्छी तरह से चलाया ! यह तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी बात होगी कि जिसको किसी को समझाना मुश्किल होगा और अगर यह बात सही है, उनका शासन यहां भी खराब था और वहां भी खराब है तो फिर भगवान् ही इस देश का भला करेगा। इसको कोई सम्हाल नहीं सकता चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक हजार टुकड़े करें या एक सौ। लेकिन अगर इतने काबिल आदमी, जिनका इतना नाम है वह अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर सके तो यह एक ताज्जुब की बात होगी और मैं समझता हूं कि तब इस देश को कोई सम्हाल नहीं सकता और यह तबाह हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं और मुझे बड़ा दुःख हुआ यह सुनकर कि यहां की गवर्नमेंट में यह निकम्मापन रहा, वह निकम्मापन रहा।

आखिर गवर्नमेंट चलाने वाले कौन थे ? इस गवर्नमेंट को चलाने वाले इसी सदन के सदस्य हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं। उन लोगों ने ही इनको अपनी तरफ से इस गवर्नमेंट में रखा। उनके ही हाथों में चाहे वह पश्चिम से आये हों और चाहे पूर्व से आये हों यहां का शासन हुआ। अगर वह ऐसा शासन था तो यह हमारी कमजोरी है। सोचने की बात है कि मध्यभारत और विन्ध्य प्रदेश जिन सूबों के लोगों को अपने यहां मिलाने की बात है उनके सामने हम क्या कहना चाहते हैं ? हम उनके सामने यह कहना चाहते हैं कि हम नालायक हैं, हमने अपने घर को बरबाद किया है, तबाह किया है, हम तुमको भी तबाह करेंगे। यह क्या तर्क है ? मुझको अफसोस है कि हमने बार-बार बड़े अभिमान के साथ इस बात को कहा है कि हम हुकूमत करना नहीं जानते हैं, हम नालायक हैं और हमने उत्तर प्रदेश को तबाह किया और उसको तबाह होने दिया। अगर यहां की हुकूमत इतनी खराब थी तो उसको सम्हालना चाहिये था, बिगड़ने देना नहीं चाहिये था। यह उत्तर प्रदेश के साथ एक विश्वासघात हो जाता है कि यहां का शासन चल नहीं पाया।

कुछ और बातें हुईं जिनसे तकलीफ हुई। यह बड़ा सवाल है हमारे बीच में ऐसी बातें आती हैं कि यह पूर्वी है और वह पश्चिमी है। पूर्व और पश्चिम का सवाल उठाया गया। यों तो पूर्व और पच्छिम के अलावा एक और बीच का हिस्सा है उसका नाम अक्सर नहीं आता है। लेकिन वह हिस्सा है और वह बीच का हिस्सा है। कभी कभी वे लोग जो पूर्व के कहे जा सकते हैं वह बोलते हैं, और कभी-कभी वे लोग जो पच्छिम के तरफ के कहे जाते हैं वह बोलते। यह बड़ी अजीब सी बात है ! मैं भी इत्तफाक से ऐसे जिले से आया हूं जो पूर्वी जिला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सवाल किसी के सामने आता हो कि पूर्व के आदमी दया की भीख चाहते हैं यह बिलकुल गलत बात है। हम कभी भी भीख नहीं चाहते हैं। पूर्व के आदमी कोई दया की भीख नहीं चाहते हैं। पूर्व को इस बात पर गौरव भी है। मगर वाकिया ऐसा है कि पश्चिम वाले यदि बहुत खुशहाल हैं और बहुत सम्पन्न हैं, तो यह बात सभी जानते हैं कि बहुत दिनों तक पूर्व के जिलों की तरफ जो गवर्नमेंट थी, उसने ध्यान नहीं दिया। पूर्वी जिले चाहे गरीब हों और चाहे भूखे हों उनको खुशी है कि उनकी सैक्रीफाइस से हमारे पच्छिम वाले खुशहाल हैं और सम्पन्न हैं यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है। चाहे हमारी हालत खराब हो फिर भी हमारे कुछ भाइयों की हालत बहुत अच्छी है तो यह हमारे लिये बड़ गौरव की बात है। मको कोई तकलीफ नहीं है यह भी हम जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का एक भी

कोने का टुकड़ा हमसे अलग हो। हम हर तरह से मिले हुये हैं और हम सब एक हैं। हम यह जानते हैं कि यदि एक जगह कहीं मुसीबत आये तो जो यह ३५, ३६ जिले रह जायेंगे यह भी जीवित रहेंगे, यह देश की सेवा फिर भी करेंगे। यह बात गलत है कि कोई प्रदेश के हिस्से को उनकी आमदनी पर रखा जा रहा है या वह ऐसे जिले हैं जो बड़ी मुसीबत में हैं उन पर दया करके उनको रखा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है और यह ख्याल गलत है। परन्तु चाहे पूर्व का हो, पच्छिम का हो, पहाड़ का हो, बीच के इलाके का हो, हम सबने अपने-अपने तरीके से इस प्रदेश की महत्ता को अपनी शक्ति के अनुसार कंट्रीब्यूशन किया है। श्री जगमोहन सिंह नेगी ने प्रातः एक बात बड़ी मार्के की कही। किसी जिले ने, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की आमदनी में मालगुजारी से कंट्रीब्यूशन किया होगा। किसी जिले ने जंगल के जरिये से कंट्रीब्यूशन किया होगा। बड़े-बड़े शहर हैं। कानपुर है, लखनऊ है, फर्रुखाबाद है, मुरादाबाद है, बनारस है, जहां पर करोड़ों रुपये का रोजगार है। इनका सामान देश में बिकता है और देश के बाहर भी जाता है। सेल्स टैक्स के जरिये से, इनकम टैक्स के जरिये से ये प्रदेश के खजाने को भरते हैं। सभी प्रदेश की उन्नति के रास्ते बनाते हैं। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस हिस्से ने कितनी मदद की। अपने तरीके पर सभी ने मदद की। एक शरीर है उसके जितने अंग हैं, सिर है, हाथ है, पैर हैं, नाक, कान हैं—सभी हिस्से शरीर की मदद करते हैं। वही इस प्रदेश की स्थिति हो जाती है। सभी इसके हाथ हैं। किसी भी इसके हिस्से को अलग करना मुश्किल है। यह अलग नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने जिकर किया कि जिस तरह से वह सौ बरस से और उससे भी अधिक समय से एक साथ रहे हैं और घुल मिल गए हैं, उनको कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। इसलिए हमको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की—इस तरह की गलत बातों को छोड़ना चाहिए। हमारे प्रदेश ने देश की एकानामी में और देश के पोलिटिकल जीवन में एक ऊंचा स्थान पैदा किया है। हमारे यहां की जनता की एक खास किस्म की सेवा रही है और आगे भी यह प्रदेश जब भी समय आयेगा देश की सेवा करता रहेगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इस तरह का दृष्टिकोण किसी तरह से भी हमें नहीं अपनाना है।

यहां बहुत सी बातें प्रदेश के विभाजन के पक्ष में कही गईं। उन सबके बारे में जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि यहां जितने भाषण पक्ष और विपक्ष में हुये हैं उनमें करीब-करीब हर बात का जवाब हो चुका है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने इस प्रदेश के विभाजन के पक्ष में राय दी है उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद इतनी काफी सामग्री पाई होगी कि वह अब अपनी राय बदल देंगे। हमारे सामने जो विभाजन का प्रस्ताव आया है उसके सिवा एक दो प्रस्ताव और भी आए हैं और विशेष रूप से राजा जगमनपुर का। उस प्रस्ताव के द्वारा, उस संशोधन के द्वारा उन्होंने मेरे पूर्व प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है और उन्होंने भी इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश को अक्षुण्ण रहना चाहिये लेकिन उन्होंने एक बात उसमें यह कही है और कई जिलों का नाम लिया है जो विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हैं उनको इस प्रदश में जोड़ दिया जाय। मैं इस संबंध में उनसे और उन लोगों से जिन्होंने उसका समर्थन किया है, निवेदन करूंगा कि यद्यपि हमने इस प्रदेश की ओर से कभी ऐसी कोई मांग पेश नहीं की कि इस प्रदेश में कुछ जिले, किन्हीं दूसरे प्रदेशों के मिलाये जायं। और मैं यह भी बता दूं कि इसका कारण यह नहीं है कि हम अपने को कमजोर समझते हैं या हम उनकी समस्याओं को सम्हाल न सकेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जहां तक शासन का सवाल है हमारे प्रदेश का शासन एक मजबूत शासन है, एक सफल शासन है, जिस पर इस प्रदेश के लोगों को गर्व करने का मौका है (तालियां)। जब हमारे देश के सामने एक बड़ा संकट आया था उस वक्त उस संकट का हमने सीना तानकर सामना किया और इतना ही नहीं बल्कि कई दूसरे प्रदेशों के कष्ट का त्राण किया और उनकी उस समय में रक्षा की। कुछ भाइयों ने जिक्र भी किया था और ठीक ही कहा कि हम आज भी और अब भी दूसरों की, दूसरे प्रदेशों की सेवा करते रहते हैं। अभी कल परसों एक प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में मैंने बताया था कि १५० हमारे अफसर हमसे केंद्रीय सरकार ने मांग रखे हैं और ६० से ऊपर अफसर प्रादेशिक सरकारों के पास हमारे मांगे गये हैं और हिमांचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सब में वह सेवा कर रहे हैं और

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

केंद्रीय सरकार में भी हमारे अफसर गये हुये हैं और शासन चला रहे हैं। इसके अलावा जब कभी कोई विशेष परिस्थिति किसी भी प्रदेश में पैदा हुई तो यहां की पुलिस ने बंगाल में, राजस्थान में जाकर काम किया है।

आज भी तिब्बत के फ्रांटियर पर, १८ हजार फुट की ऊंचाई पर, हमारी पुलिस रहती है और कहा जाता है कि वह हमारा सबसे ऊंचा पुलिस आउटपोस्ट है, वहां फौज नहीं है। इसलिये हमें अपने शासन पर भरोसा है और हम जानते हैं कि अगर हमें कोई दूसर प्रदेश के जिले मिल जायं तो हम उनके शासन को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और उनकी सेवा और उन्नति भी कर सकते हैं, और वह किन्हीं कमजोर हाथों से नहीं और यह कह कर भी नहीं कि हम निकम्मे और कमजोर हैं, बल्कि यह कहकर कि हम शासन करना जानते हैं और हमारे हाथ शासन संभालने के लिये काफी मजबूत हैं और इसलिये भी नहीं कि हमारे यहां पैसे की कमी है बल्कि इसलिये कि हमारे पास अनेक प्रकार के साधन हैं, जिनसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं और करने को तैयार हैं। लेकिन हमने कभी भी इस नीति से यह बात सामने नहीं रखी है कि हम दूसरों को हड़पना चाहते हैं। अगर किसी जगह के निवासी उत्तर प्रदेश से मिलना चाहें और वे लोग जिनके हाथ में अंतिम नीति बनाना है, केंद्रीय सरकार में लोग उसके सामने रखें। उनकी नीति उनको पसन्द हो और अगर वे इस बात को समझें कि उनकी मांग ठीक है और उत्तर प्रदेश को वे देना चाहें तो हम उनको सहर्ष लेने को तैयार हैं, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन आज जबकि आपस में ऐसी सूरत पैदा हो रही है जब हमने पढ़ा है कि दुर्भाग्य से कि आज विन्ध्य प्रदेश में क्या सूरत है, विन्ध्य प्रदेश का राज्य रहे इस बात पर कितनी अशांति वहां है और और स्थानों में भी अशांति है तो हम उस आग में तेल नहीं डालना चाहते। वे अपने मसलों को आपस में तय कर लें कि वह क्या चाहते हैं और तय करने के बाद केंद्रीय सरकार से बातें कर लें। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा मौका आया तो हम सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन अपने से हम कुछ नहीं मांगते है इसीलिये मैं इसे जरूरी नहीं समझता कि इसको इस वक्त रखना चाहिये। मैं श्री वीरेंद्र-शाह जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को इस वक्त वोट के लिये वे प्रेस न करें ताकि उत्तर प्रदेश की नीयत के संबंध में किसी दूसरे प्रदेश के लोगों के मन में आशंका न पैदा हो जाय। मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक छोटा सा टुकड़ा है उसके लिये मैंने कहा है। वह बहुत छोटा सा टुकड़ा है किसी राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है और उसके लिये भी बहुत काफी तर्क भी है। जैसा मैंने बताया कि रिहन्द डैम के पास है और बिजली का मामला भी है। उसके लिये हमने लिखा है। इससे ज्यादा मैं इस समय नहीं कहना चाहता और न सदन का ज्यादा समय लेने की आवश्यकता समझता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मेरे उस प्रस्ताव से सहमत होंगे जो मैंने सदन के सामने रखा है। जो भी संशोधन रखे गये हैं वह भी मुझे आशा है कि वापस ले लिये जायेंगे और सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं एक-एक करके संशोधन करने वालों से पूछ लेता हूं कि वह क्या अपने संशोधन को वापस लेते हैं।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद मैं उचित समझता हूं कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मैं अपने संशोधन और प्रस्ताव को वापस नहीं लेना चाहता।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या इस संबंध में मुझे कुछ समय मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इस वक्त कुछ कहने का सवाल नहीं है। आप यह बताइये कि आप अपने प्रस्ताव पर वोट चाहते हैं या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र---हमारी नेता सदन से बातचीत हो चुकी थी।

श्री अध्यक्ष---आप बताइये कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र---जी नहीं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---पेश्तर इसके कि जनाब वोट लेना शुरू करें मैं अपने साथियों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं जिसके लिये मैंने लीडर आफ दि हाउस से इजाजत ले ली है।

श्री अध्यक्ष---लीडर आफ दि हाउस से इजाजत लेने का सवाल यहां नहीं उठता। सदन के अन्दर की बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं अर्ज करता हूं कि चूंकि पार्टी का ह्विप हमको मिला है कि हम आफिशियल रिजोल्यूशन की मुखालिफत नहीं कर सकते इसलिये हमने यह तय किया है कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप यह बतलायें कि आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो मैं अब एक एक संशोधन को ले लेता हूं। दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो पहले मुख्य प्रस्ताव ले लूं और उसके ऊपर वोट ले लूं। अगर उसके खिलाफ बहुमत नहीं होता है तो वह पास हो जाता है और संशोधन गिर जायेंगे, लेकिन चूंकि, इनके ऊपर बहुत काफी बहस हो चुकी है इसलिये मैं संशोधनों को एक-एक करके लेना उचित समझता हूं। माननीय श्रीचन्द्र जी का संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

> "यह सदन राज्य पुनर्संगठन आयोग के माननीय सदस्य श्री के० एम० पणिक्कर के नोट से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों के पुनर्गठन के संबंध में पूर्णतया सहमत है और इस बात का आग्रह करता है कि देश के आर्थिक प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के १६ पश्चिमी जिलों, महेंद्रगढ़ जिला, अम्बाला डिवीजन, पुरानी दिल्ली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर से सम्मिलित कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों के साथ एक नया प्रदेश बना दिया जाय।"

इसमें ख्वाजा साहब का अमेंडमेंट यह है:---

श्री श्रीचन्द्र के उपर्युक्त संशोधन की पंक्ति ४ में शब्द "जिलों" के बाद शब्द "(झांसी डिवीजन) जैसा कि सरदार पणिक्कर ने तजवीज की है और इलाहाबाद डिवीजन का इटावा जिला जिसकी कि आगरा आल पार्टी कंवेंशन ने सिफारिश की है" बढ़ा दिया जाय।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---एक निवेदन मुझे करना है कि वोटिंग इस ढंग से होनी चाहिये जिसका कि रेकार्ड बन सके।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो तरीका रहा है, हाथ उठाने का, वही तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा ।

प्रश्न यह है कि श्री अतहर हुसैन ख्वाजा का संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—०,

विपक्ष में—२८९ ।)

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय मैं, आपसे निवेदन करूंगा कि जितने माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति भी सदन को बतला दी जाय ताकि बाद में यह न कहा जाय कि आज बहुत से सदस्य नहीं आये ; जितने सदस्य गैरहाजिर हैं और जितने आज इस समय उपस्थित हैं उनकी संख्या बतला दी जाय और बाद को जिन्होंने "हां" या "न" कहा उनकी संख्या भी बतला दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—हाजिरी बाद में बतला दूंगा । अभी बतलाने की जरूरत नहीं है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि माननीय श्रीचन्द्र जी का संशोधन जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया था, उसे स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—०,

विपक्ष में—२७८ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव की पंक्ति १ में शब्द "की" के बाद शब्द "बहुत सी" जोड़ दिया जाय और पंक्ति २ के प्रथम शब्द "है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय तथा उसके बाद के सभी शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "परन्तु इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का तथा भारत संघ के अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों—बिहार, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश (हिन्दी), मध्यभारत, दिल्ली, पूर्वी पंजाब का हिन्दी भाषी भाग का अधिक वैज्ञानिक, उप-भाषावार एवं सुसंगत फिर से बटवारा होना चाहिये और इस प्रकार निर्मित प्रदेशों में एक प्रदेश (बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी जिलों को मिला कर) भोजपुर प्रदेश अवश्य होना चाहिये" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—१,

विपक्ष में—२७६ ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़कर, जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसमें हस्ताक्षर के साथ वोटिंग हो।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि अगर इसके लिये यह होता तो मैं प्रारम्भ से ही सबके लिए ऐसा करता। लेकिन चूंकि मैं निर्णय कर चुका हूं इसलिये अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं संख्या बता दूंगा उनकी जो यहां हाजिर रहे हैं, जिनके दस्तखत हैं, और उनकी भी जो यहां इस वक्त मौजूद हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक बात मैं बता दूं। आज तीसरे पहर गोंडा और और स्थानों के कुछ सदस्यों को मैंने जाते हुए देखा है, तो जिन्होंने दस्तखत किये हैं....

श्री अध्यक्ष—मेरे पास वह सब है। वह सब चीज मैं सुना दूंगा कि कितने दस्तखत करके बाहर चले गए। लेकिन मैं अब लिखित विभाजन कराने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, समय हाउस का ६ बजे तक था। क्या ६ बजे के बाद भी वोटिंग हो सकती है?

श्री अध्यक्ष—मेरा ध्यान अभी बिलाया गया है। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो मैं ले सकता हूं।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद) (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० मिनट का टाइम और बढ़ा दिया जाय जिसमें कि वोटिंग पूरी तरह से हो सके।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों न कर दिया जाय कि जब तक वोटिंग खत्म न हो, तब तक या २० मिनट तक, जो भी उसमें से कम हो, उतने समय तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां, ऐसा ही कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

श्री अध्यक्ष—मैं प्रश्न पुनः उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिपारिशों से सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे सन्धान (adjustments) को छोड़कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिए।

एक सदस्य—घंटी नहीं बजाई गई।

श्री अध्यक्ष—अगर आप चाहते हैं कि घंटी बजायी जाय तो मैं बजवा देता हूं। वैसे मेरा खयाल है जिनको आना था वे आ चुके हैं।

(घंटी बजाई गई।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—मैं यह कहना चाहता हूं कि गिनती में गलती हो रही है। २० आदमी न्यूट्रल नहीं हैं, तो अच्छा यह होगा कि दस्तखत करा लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कर सकता हूं कि टैलर्स (tellers) नियुक्त कर दूं, यदि कोई चैलेंज करते हैं कि गणना ठीक नहीं हो रही है; या जो विरोधी हैं उन्हें खड़ा कर दूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२८४
विपक्ष में—०)

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना यह देना चाहता हूं कि कुल जितने लोगों ने दस्तखत किये हैं रजिस्टर पर, उनकी संख्या ३३६ है, इसके अलावा माननीय मंत्रिगण और उप-मंत्रिगण दस्तखत नहीं करते हैं। उनकी उपस्थिति यहां पर मैं ११ देख रहा हूं।

अगर इसमें कोई गलती हो तो बता दी जाय।

तो ३४७ की उपस्थिति आज रजिस्टर के हिसाब से और मंत्रिगण को मिलाकर हैं।

इस वक्त २९८ सदस्य यहां पर हैं। तो इस हिसाब से जो प्रस्ताव के पक्ष में वोट आये हैं वे २८४ हैं और १४ मालूम होता है न्यूट्रल है; यह इससे स्पष्ट होता है। तो ये आंकड़े मैंने आपको सुना दिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—मैं चैलेन्ज करता हूं इसको।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा) (जिला जालौन)—मंत्री और उपमंत्रियों की संख्या ११ नहीं है, मैं समझता हूं कि १४–१५ है।

श्री अध्यक्ष—तो माननीय मंत्री, उपमंत्री तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज कृपा करक हाथ उठा दें।

(हाथ उठा कर गिनती होने के बाद)

श्री अध्यक्ष—तो यह बात सही निकली कि मैंने जो संख्या बताई ११, वह गलत थी। वास्तव में २० मंत्री, उप-मंत्री और सभा सचिव उपस्थित हैं। ३३६ तो रजिस्टर पर दस्तखत करने वाले हैं। इन २० में से तो किसी ने गलती से रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किये। तो कुल संख्या आज की हाजिरी की ३५६ है, जिनमें से २९८ यहां पर मौजूद हैं और इन २९८ में से २८४ ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिये, १४ न्युट्रल समझे जायंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री—श्रीमन्, जो गणना हुई है, मैं समझता हूं यह सही गणना नहीं हुई। मैं इसे चैलेन्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब तो निर्णय हो चुका। अब हम उठते हैं और ५ दिसम्बर, सोमवार के दिन ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ नवम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की जिलेवार सूची

जिला	स्थान तथा संख्या	जातियां
१—रायबरेली	महराजगंज, ३५	बनमानुष ।
२—बांदा	१०,६२०	गोंड, कौल तथा मवैया ।
३—प्रतापगढ़	२,०००	मुसहर ।
४—मिर्जापुर	रावर्टगंज तथा दूधी ८२,०८२	खरवार, ममीवर, चेरों, अगारिया, घासिया भूहर (बैजा), ढंगर, धरीकर, भूयाण, बादी, पथारी, पनीकर, खराहा, कोल, मुसहर, कारवा तथा मजाही ।
५—अलमोड़ा	पत्ती डींडीघाट, गोरीफट मलाअस्कोट, तहसील पिथौरागढ़ ।	२५० बनरावत ।
६—बहराइच	३,०३१	थारू ।
७—बलिया	१८	भील ।
योग	९८,०३६	

नोट:—शेष ४४ जिलों में यह जाति नहीं पाई जाती ।]

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९२ पर)

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ को अस्थायी रूप से अनुपूरित करने का

विधेयक

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्थानों की आकस्मिक रिक्तियों को वयस्क मताधिकार (adult suffrage) के आधार पर भरने के प्रयोजन से, यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों को अस्थायी रूप से अनुपूरित (supplement) करना आवश्यक है :

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९२२ की धारा ३ का संशोधन।

२--यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (1-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(1-a) Director of Elections (Local Bodies) means and officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette* ;"

आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिये उपनिर्वाचन।

३--यदि १९४८ के सामान्य निर्वाचन में बोर्ड के लिये निर्वाचित किये गये किसी सदस्य का स्थान इस अधिनियम के प्रारम्भ पर रिक्त हो, अथवा उसके पश्चात् रिक्त हो जाय तो ऐसी आकस्मिक रिक्त अनसूची में उल्लिखित लोपों, परिवर्द्धनों, परिष्कारों तथा अपवादों (omissions, additions, modifications and exceptions) के अधीन रहते हुये, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भरी जायगी।

संशयों का निवारण

४--संशयों (doubts) के निवारण के हेतु एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई भी बात उस व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर सदस्य हो, निर्वाचन की वैधता अथवा उसके बोर्ड का सदस्य बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

राज्य सरकार का कठिनाइयां निवारण करने का अधिकार।

५--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारण के निमित्त राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके यह आदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या उक्त अधिनियम को संशोधन अथवा अनुपूरित (supplementing) करने वाला अन्य कोई अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत निर्मित या प्रवर्तित कोई अन्य नियम, विनियम, या उपविधियां (rules, regulations or bye-laws) उस अवधि तक, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनकूलनों (adaptations)

चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप (omissions) के रूप में हों, के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभावी होगी।

(२) खंड (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा उत्तर प्रदेश विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

अनुसूची

(देखिये धारा ३)

१—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२

क्रम सं०	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३
१	५	(१) उपधारा (२) में "Muslim and" निकाल दिये जायं तथा शब्द "the respective population of Muslims and" के स्थान पर शब्द "the population of" रख दिये जायं। (२) उपधारा (३) में— (क) शब्द "if such seats form a majority of the total number of elected seats" निकाल दिये जायं, और (ख) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।
२	७-ए से लेकर ७-जी तक	धारा ७ के पश्चात् ७-ए से लेकर ७-जी तक निम्नलिखित नयी धारायें रख दी जायं :—

"7-A. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise and direct the conduct of elections under this Act.

Conduct of elections to be supervised by the Director of Elections (Local Bodies).

7-B. Election in a casual vacancy on the basis of Adult Suffrage

The bye-election to fill a casual vacancy in a seat of a member of a Board shall be held on the basis of adult suffrage.

7-C.Electoral Roll for a constituency in which by-election is to be held

(1) Where a bye-election is to be held in any constituency (hereinafter referred to as the specified constituency) to fill a seat in a casual vacancy of a member of a board, the District Magistrate shall, if so directed by the Director of Elections (Local Bodies)—

(*a*) appoint an Officer of the State Government or of the Board to be the Electoral Registration Officer of the specified constituency ; and

(*b*) direct the Electoral Registration Officer to prepare an electoral roll for the specified constituency in accordance with the provisions of sections

क्रम सं०	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३
		7-B to 7-G and the directions issued by the Director of Elections (Local Bodies).
		(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of electoral rolls for the specified constituency, adopt the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the Pepole Act, 1950 (hereinafter called the Assembly rolls) relatable to the area comprised in the said constituency and publish the same in the manner specified in the order under section 7-G and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral roll for the specified constituency prepared in accordance with this Act.
		(3) Where any addition, omission, alteration or other amendments is made under the Representation of the People Act, 1950, or the rules framed thereunder, in the Assembly electoral rolls relatable to the area comprised in the specified constituency, a similar amendment shall be made in corresponding electoral roll of the said constituency.
		7-D. Qualifications for electors
		Subject to the provisions of section 7-E, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral rolls relatable to the area comprised in the specified constituency or whose name is in entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the said constituency.
		7-E. Disqualifications for registration in electoral roll
		(1) A person shall be disqualified for registration in the electoral roll of the specified constituency if he is disqualified for registration in the Assembly electoral rolls.
		(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the specified Constituency in which it is included :
		Provided that the name of any person struck off the electoral roll of the specified constituency by reason of disqualification under sub-section (i) shall forthwith be re-instated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorizing such removal.

क्रम० सं०	धारा	लोप, परिष्कार अथवा अपवाद का प्रकार
१	२	३

7-F. Registration to be in one Place

Noperson shall be entitled to be registered in the electoral roll of the specified constituency more than once.

7-G. Order regarding electoral rolls

The State Government may, by order, make provision in respect of the following matters concerning the preparation and revision of electoral roll of a specified constituency, namely —

"(*a*) the date on which the electoral roll shall come into force and the period of its operation ;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned ;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral roll ;

(*d*) the inclusion in the electoral roll of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the constituency but is not included in the electoral roll of the constituency ; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the constituency ;

(*e*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral roll of the specified consitituency."

३—८,९,१० और १४		धारायें ८,९,१० और १४ निकाल दी जायं।
४—	२६	खंड (ए) निकाल दिया जाय।
		२—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अमेंडमेंट ऐक्ट, १९४८
५—	२६	टधारा २६ निकाल दी जाय।

उद्देश्य तथा कारण

वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में अन्य बातों के साथ-साथ, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में मुसलमानों के लिये स्थान रक्षित रखने की व्यवस्था है। इस उपबन्ध की वैधता संशयात्मक है। इसी प्रकार वर्तमान ऐक्ट भी निर्बन्धित मताधिकार (restricted franchise) की प्रणाली का प्रतिपादक भी है जब कि अन्य इसी प्रकार के निकायों में निर्वाचन का समान आधार वयस्क मताधिकार है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में इस समय सदस्यों के कई स्थान रिक्त हैं, और उनके लिये उपनिर्वाचन होने हैं, अतएव उक्त ऐक्ट में तुरन्त ही ऐसे संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिनके फलस्वरूप केवल अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रक्षित रखते हुये उप-निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जा सकेंगे।

तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सैयद अली जहीर,
मंत्री,
स्वायत्त शासन।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४५ एल० ए०—१९५६—७९६।